ISSN-0971-8397

योजना

विशेषांक

मास्क अप इंडिया

नवम्बर 2020

विकास को समर्पित मासिक

₹ 30

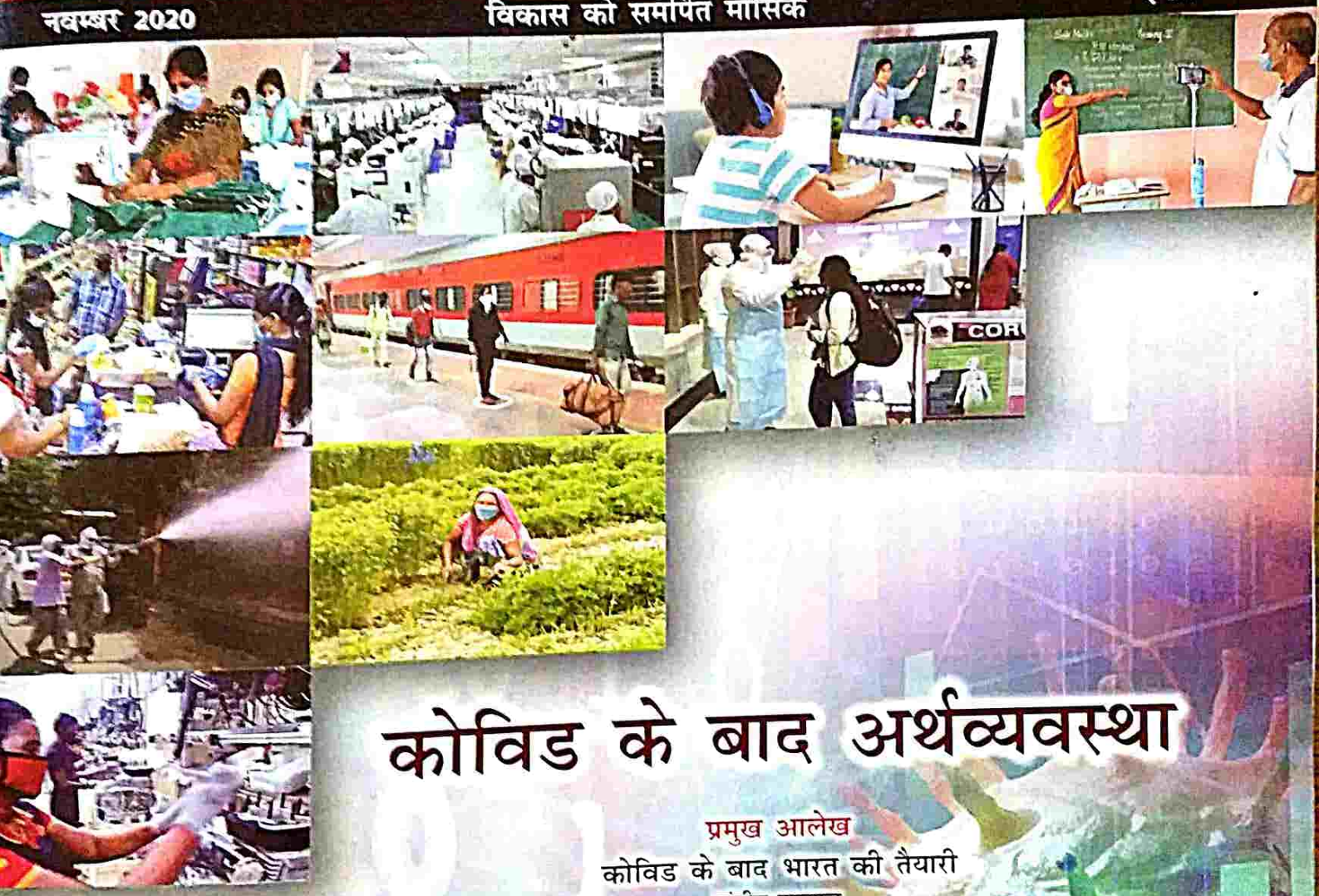

कोविड के बाद अर्थव्यवस्था

प्रमुख आलेख
कोविड के बाद भारत की तैयारी
संजीव सान्याल

फोकस
मौद्रिक नीति
माइकल डी पात्रा

विशेष आलेख
आत्मनिर्भरता की ओर
आनंद सिंह भाल, सुप्रिया मलिक

रोज़गार के लिए संकल्प
जुथिका पाटनकर, डॉ मनीष मिश्र

कृषि: अर्थव्यवस्था की तारणहार
डॉ जगदीप सक्सेना

घर वापसी
डॉ अमिता भिड़े

प्राकृतिक गैस विपणन सुधार

गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 7 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 'प्राकृतिक गैस मार्केटिंग (विपणन) सुधारों' को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया, गैस की बिक्री की बोली प्रक्रिया में सम्बद्ध गैस उत्पादकों को भाग लेने की अनुमति देने और उत्पादन साझा करने के ठेकों में पहले से ही मूल्य निर्धारित करने की आजादी देने वाली कुछ क्षेत्र विकास योजनाओं को विपणन की आजादी देकर गैस उत्पादकों द्वारा बाजार में बेची जाने वाली गैस के बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए मानक कार्य पद्धति निर्धारित करना है।

इस नीति का उद्देश्य ई-बोली के जरिये ठेकेदारों द्वारा की जाने वाली बिक्री के लिए दिशा-निर्देश जारी कर बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए मानक कार्य पद्धति प्रदान करना है।

इस नीति ने खुली, पारदर्शी और इलेक्ट्रॉनिक बोली को ध्यान में रखते हुए सम्बद्ध कम्पनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की इजाजत दी है। इससे गैस की मार्केटिंग सरल हो जाएगी और प्रतिस्पर्धा को अधिक बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यदि सम्बद्ध गैस उत्पादक ही इसमें भाग लेते हैं और कोई अन्य बोलीकर्ता नहीं होंगे तो दोबारा बोली लगानी होगी।

यह नीति क्षेत्र विकास योजनाओं (एफडीपी) को उन ब्लॉकों की मार्केटिंग की आजादी देगी जहां उत्पादन साझा करने के ठेके पहले से ही मूल्य निर्धारित करने की आजादी प्रदान कर रहे हैं।

सरकार ने कारोबार को सुगम बनाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए निवेश को आसान बनाने के लिए अपस्ट्रीम क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार हाथ में लिए हैं। ओपन एसरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) जो निवेशक चालित क्षेत्रफल नीलामी प्रक्रिया है, उसने देश में पर्याप्त क्षेत्रफल बढ़ाया है। 2010 और 2017 के बीच किसी ब्लॉक का आवंटन नहीं किया गया जिससे घरेलू उत्पादन की दीर्घकालिक व्यवहार्यता प्रभावित हुई। 2017 के बाद से 105 अन्वेषण ब्लॉकों के अंतर्गत 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र आवंटित किया गया है। इससे आने वाले समय में घरेलू उत्पादन की स्थिरता सुनिश्चित होगी।

सरकार गैस क्षेत्र में अनेक सुधार लेकर आई है और इसके परिणामस्वरूप पूर्वी तट में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। पूर्वी तट से गैस उत्पादन देश की बढ़ी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर आत्मनिर्भर भारत के लिए योगदान देगा।

फरवरी 2019 में, सरकार ने अपस्ट्रीम क्षेत्र में बड़े सुधारों को लागू किया और अधिकतम उत्पादन पर ध्यान देकर मिसाल के तौर पर परिवर्तन किया। ओएएलपी राउंड्स के अंतर्गत क्षेत्रफल आवंटित किया जा रहा है जो केवल 2 और 3 श्रेणी के बेसिन की कार्य योजना पर आधारित होगा।

घरेलू गैस उत्पादन में पूर्ण मार्केटिंग और मूल्य निर्धारित करने की आजादी है। 28 फरवरी 2019 के बाद मंजूर सभी अन्वेषण और क्षेत्र विकास योजनाओं को पूर्ण बाजार और मूल्य निर्धारित करने की आजादी है।

ये सुधार पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों पर आधारित हैं। गैस क्षेत्र में ये सुधार और गहरे होंगे और निम्नलिखित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे:

- उत्पादन से जुड़ी नीतियों की सम्पूर्ण पारिस्थितिकी प्रणाली, प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे और मार्केटिंग को अधिक पारदर्शी बनाया गया है जिसमें कारोबार को सुगम बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- ये सुधार प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में निवेश को बढ़ावा देकर और आयात निर्भरता को कम करके आत्मनिर्भर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे।
- ये सुधार निवेश को प्रोत्साहित कर गैस आधारित अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ने में एक और मील का पत्थर साबित होंगे।
- बढ़े हुए गैस उत्पादन का उपभोग पर्यावरण में सुधार में मदद करेगा।
- ये सुधार एमएसएमई सहित गैस उपभोग क्षेत्र में रोज़गार के अवसर पैदा करने में मदद करेंगे।
- घरेलू उत्पादन शहरी गैस वितरण और सम्बद्ध उद्योगों जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों में निवेश बढ़ाने में मदद करेगा।

योजना

वर्ष : 64 अंक : 11 | नवम्बर 2020 कार्तिक, शक संवत् 1942 | मूल्य : ₹ 30 पृष्ठ : 72

वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in

प्रधान संपादक : धीरज सिंह
वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

उत्पादन अधिकारी : के रामालिंगम
आवरण : गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के संबंध में उत्तरदायी नहीं है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए पृष्ठ-70 पर देखें।

योजना की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -
pdjucir@gmail.com

या संपर्क करें-
दूरभाष: 011-24367453
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–
गौरव शर्मा, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

@DPD_India

इस अंक में

प्रमुख आलेख
कोविड के बाद भारत की तैयारी
संजीव सान्याल 6

फोकस
मौद्रिक नीति
माइकल डी पात्रा 10

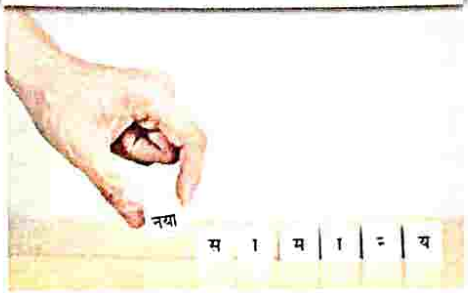

अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार
एन आर भानुमूर्ति, मीरा मोहन 14

विशेष आलेख
आत्मनिर्भरता की ओर
आनंद सिंह भाल, सुप्रिया मलिक 18

रोज़गार के लिए संकल्प
जुथिका पाटनकर, डॉ मनीष मिश्र 24

समावेशी विकास और रोज़गार सृजन
डॉ अमिय कुमार महापात्र
डॉ श्रीरंग के झा 27

निजी-सार्वजनिक भागीदारी के जरिए कौशल विकास
डॉ मनीष कुमार 32

कृषि: अर्थव्यवस्था की तारणहार
डॉ जगदीप सक्सेना 36

घर वापसी
डॉ अमिता भिड़े 41

पर्यावरण अनुकूल सड़कें और राजमार्ग
डॉ दिनेश चंद 44

कोविड और सतत विकास लक्ष्य
डॉ के डी प्रसाद, निखिल कांत 52

कोरोना के साथ, कोरोना के बाद
मदन जैड़ा 58

कोविड के बाद 'नया सामान्य'
मदन सबनविस 63

योजना - सही विकल्प 68

नियमित स्तंभ

विकास पथ
प्राकृतिक गैस विपणन सुधार .....कवर 2

क्या आप जानते हैं?
स्वामित्व योजना 66

पुस्तक चर्चा .... कवर 3

प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केंद्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 17

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

संपादकीय

आगे की राह

जब सड़क ख़राब हो तो ब्रेक और एक्सेलेरेटर पर कड़ा नियंत्रण उस पर सुगम यात्रा निर्धारित करता है। आज के अभूतपूर्व हालातों पर भी यह सही बैठता है। इसका आरम्भ सम्पूर्ण लॉकडाउन से हुआ जिसका उद्देश्य महामारी को रोकना और बेहतर तैयारी सुनिश्चित करना था और अब अनलॉक की शृंखला के साथ आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे गति पकड़ रही हैं। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और महामारी को नियंत्रित करने के बीच यह एक सामंजस्य है।

इस दिशा में उठाये गए मौद्रिक और वित्तीय कदम स्थिति बहाली के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि मुद्रास्फीति, रोज़गार परिदृश्य और जारी स्वास्थ्य संकट कुछ समय तक इस आपदा का आभास देते रहेंगे। विश्व के विभिन्न भागों से मिलने वाले संकेत, विशेष रूप से वैक्सीन के मोर्चे पर प्रगति निर्धारित करेगी कि कब अंतरराष्ट्रीय यात्रा फिर से शुरू हो सकती है, व्यवसाय फिर से मजबूत हो सकते हैं, कार्यालय पूरे कार्यबल के साथ फिर से शुरू हो सकते हैं और अर्थव्यवस्था कामकाज के लिए फिलहाल इस्तेमाल हो रहे नए तरीके 'न्यू नार्मल' यानी 'नया सामान्य' अपनाती है।

'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत सुधारों और प्रोत्साहन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत करना और फिर से चालू करना है। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, तंत्र, जनसांख्यिकी और मांग के स्तंभों पर आधारित सुधार उन क्षेत्रों को गति प्रदान करने के प्रति कृतसंकल्प हैं, जिनमें मंदी छा गयी है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में व्यापक पहलें जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, खाद्य सुरक्षा, मनरेगा के तहत ग्रामीण रोज़गार, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना शामिल हैं। अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह और खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अन्य तात्कालिक कदम भी उठाये हैं जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लीव ट्रेवल कन्सेशन कैश वाउचर योजना और फेस्टिवल एडवांस का प्रावधान। शेष विश्व की तुलना में भारत द्वारा उठाये जा रहे क़दमों से ज्ञात होता है कि भारत की पहलें व्यापक, व्यावहारिक और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

इस विशेषांक के प्रमुख लेख में प्रधान आर्थिक सलाहकार ने वित्तीय बाजारों में प्रयोग की जाने वाली 'बारबेल' कार्यनीति पर प्रकाश डाला है - यानी सूचना के अद्यतन के साथ कदम-दर-कदम प्रगति करते हुए सबसे खराब संभावित परिणाम से पहले बचाव। इसकी तुलना भारत में महामारी के प्रभाव के लिए रणनीति तैयार करने और उसके औचित्य से की गई है। इस अंक में अर्थव्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने के लिए विभिन्न मौद्रिक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गयी है। यह उद्योगों और व्यवसायों के परिदृश्य को बदलने की संभावना की भी चर्चा करता है, कुछ व्यवसाय अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं जबकि कुछ सेवा और टेक्नोलॉजी-आधारित क्षेत्रों में नए अवसर आये हैं। शहरों की अर्थव्यवस्था में प्रवासियों के योगदान को स्वीकार करने वाली बहु-आयामी और बहु-स्तरीय कार्यवाही को विकसित करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है।

भारत में 62 प्रतिशत से अधिक लोग 15-59 वर्ष के आयु वर्ग में आते हैं जिनके 2035 तक 65 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। इसलिए यह जनसांख्यिकीय लाभ यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे देश को अनूठा बनाता है। महामारी के कारण नौकरी खोना एक गंभीर वास्तविकता है। वर्तमान स्थिति ने निश्चित रूप से कामकाजी आबादी के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। लेकिन, रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने के प्रयासों का सिलसिला बढ़ रहा है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के संबंध में सरकार द्वारा हाल ही में की गई घोषणा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और युगांतरकारी बदलाव साबित हो सकता है। बाजार की उभरती आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप कौशल की उन्नति पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए, सरकारी और निजी क्षेत्र को एक साथ काम करने की आवश्यकता है ताकि कौशल की कमी दूर की जा सके और मांग के साथ आपूर्ति और इसके विपरीत क्रम को जोड़ा जा सके। नए औद्योगिक युग की उभरती मांग को पूरा करने के लिए सही कौशल से लैस युवाजन भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के अग्रदूत होंगे।

कृषि ने पहले ही महामारी प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। कोविड उपरांत काल में कृषि विकास को बनाए रखने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कृषि और कृषि-प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है जिसके लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे का होना महत्वपूर्ण है। मंदी के बीच कृषि ने आशा की किरण जगाई है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के नाते कृषि ही वह मुख्य क्षेत्र है जो रोज़गार पैदा करता है। ग्रामीण आर्थिक विकास को गति देने से अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है।

योजना के इस अंक में वर्तमान आर्थिक स्थिति, विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव और आगे की राह यानी भावी कार्य योजना का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों के दृष्टिकोण और राय सम्मिलित हैं। ■

कोविड के बाद भारत की तैयारी

संजीव सान्याल

दुनिया ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े आघात का सामना किया है। इससे निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है। 'बारबेल रणनीति' के आधार पर इससे निपटने के लिए आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में भारत की जवाबी कार्रवाई अनुक्रम और विभिन्न उपायों पर जोर की दृष्टि से अन्य देशों की तुलना में कुछ अलग रही है। बहरहाल दीर्घावधि जवाबी कार्रवाई का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक लचीला और नमनशील बनाना है ताकि कोविड परवर्ती काल के विश्व में अवसरों का लाभ उठाया जा सके और समस्याओं से निपटा जा सके।

समूची विश्व अर्थव्यवस्था 2020 में कोविड-19 महामारी की वजह से बड़े भारी संकट का सामना कर रही है। यह 1930 के दशक की महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व-अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा आघात है। कोई आश्चर्य नहीं कि भारत के नीति-निर्माताओं को भी स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर चुनौतियों भरे दौर का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज जब हम महामारी से उत्पन्न संकट के चरमोत्कर्ष के बाद के दौर से गुजर रहे हैं तो ऐसे वक्त अपने विचारों को लिपिबद्ध करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे भविष्य के इतिहासकारों को आज के निर्णयों के परिणामों को जानने का फायदा मिलेगा। लेकिन इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना भी आवश्यक है कि नये उभरते घटनाक्रम और भारी अनिश्चितता के दौर में कुछ निर्णय कैसे लिए गये। आशा है कि भावी पीढ़ियां इसी तरह की अत्यंत अनिश्चितता की स्थितियों का सामना करते समय इससे सबक लेंगी और उन्हें इससे फायदा होगा। कोविड से उबरते हुए विश्व में अभी सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है और नया घटनाक्रम सामने आता जा रहा है। ऐसे में युक्तिसंगत तरीके से सोच-विचार करने का एक खाका उपलब्ध कराना भी जरूरी है। इस आलेख में यही करने का प्रयास किया गया है।

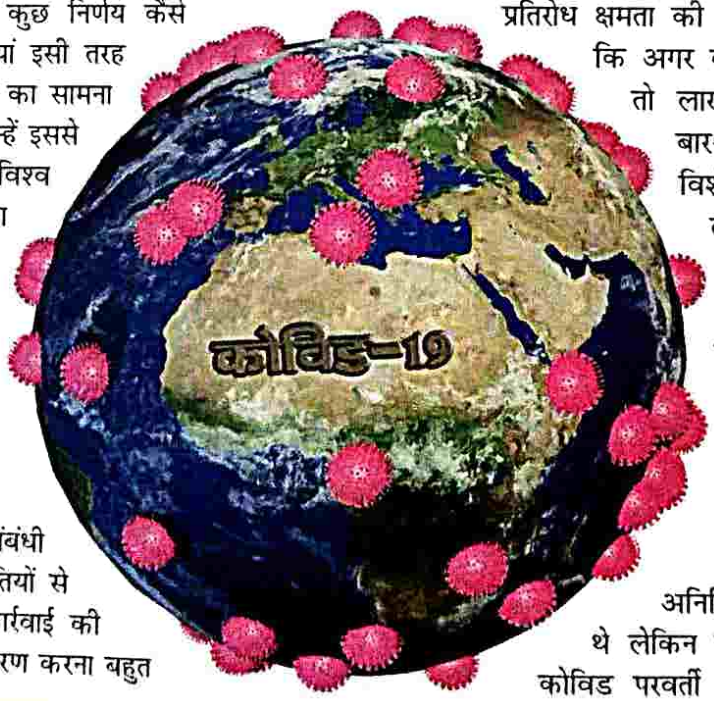

बारबेल रणनीति

सबसे पहले महामारी से स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक, दोनों ही तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की जवाबी कार्रवाई की बौद्धिक रूपरेखा का स्पष्ट रूप से निर्धारण करना बहुत जरूरी है। दोनों ही मामलों में सबसे बड़ी समस्या अत्यंत अनिश्चितता और सूचना के अभाव की स्थिति में बड़े निर्णय करने से संबंधित थी। जो हालात थे, उन्हें युद्ध का घटाटोप कहा जा सकता है। मार्च 2020 में कोविड-19 के बारे में केवल इतना पता था कि चीन के वुहान शहर में महामारी का जबरदस्त प्रकोप फैला है और इस महामारी से उत्तरी इटली में बहुत से लोग अचानक मौत का शिकार हुए हैं। इस बात के भी संकेत मिले थे कि महामारी बड़ी तेजी से अन्य देशों में फैल रही है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशें स्पष्ट नहीं थीं और उसने अपना दृष्टिकोण बार-बार बदला। महामारी-विशेषज्ञों ने दुनिया के विभिन्न देशों की सरकारों को कई तरह के परामर्श और निष्कर्षों से अवगत कराया। कुछ ने हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक रोग प्रतिरोध क्षमता की वकालत की तो अन्य का कहना था कि अगर कोई जबरदस्त कदम नहीं उठाया गया तो लाखों जानें जा सकती हैं। मीडिया में बार-बार उद्धरित किये गये एक महामारी विशेषज्ञ के अनुसार भारत में जुलाई 2020 तक 20-30 करोड़ लोगों के संक्रमित होने और 20 लाख के मौत का शिकार होने की आशंका व्यक्त की गयी थी। विशेषज्ञों की कई तरह की राय को देखते हुए विभिन्न सरकारों ने अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया और इनमें से बहुतों ने तो बीच में अपनी कार्य नीति बदल ली।

भारत के नीति निर्माता भी अत्यंत अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय कर रहे थे लेकिन उन्हें इस बात का अहसास था कि कोविड परवर्ती दौर में 1.35 अरब लोगों के साथ

लेखक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में प्रधान आर्थिक सलाहकार हैं। ईमेल : sanjeev.sanyal@gov.in

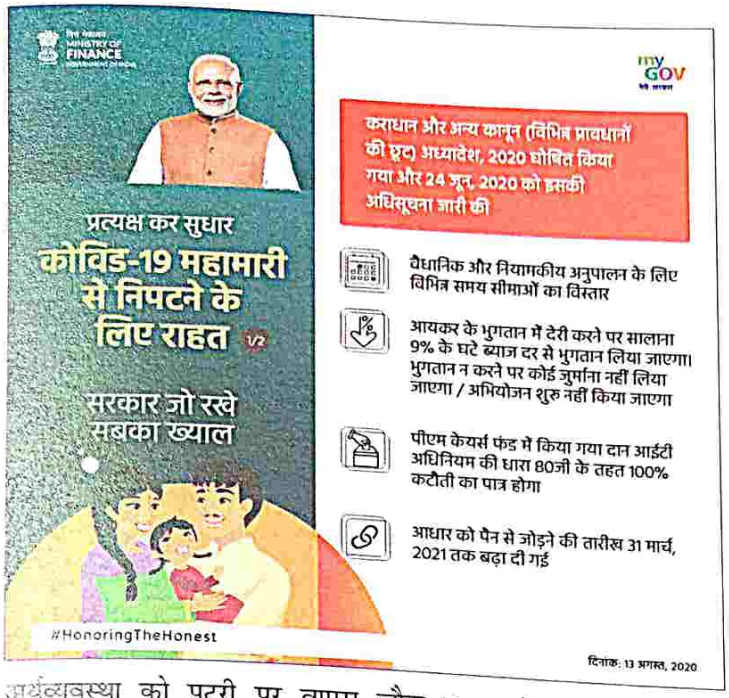

अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लौटा पाना संभव नहीं होगा। जो भी रणनीति अपनायी गयी वह एकतरफा रास्ते की तरह थी जिसके आखिरी छोर तक जाने के अलावा और कुछ विकल्प ही नहीं था। यह भी महसूस किया गया कि यह कार्य फर्राटा दौड़ की तरह न होकर मैराथन दौड़ जैसा था। इन स्थितियों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने जो विकल्प चुना वह उसी तरह था जिसे वित्तीय बाजारों में 'बारबेल' की रणनीति कहा जाता है। यानी पहले सबसे बुरे से बुरे नतीजे से बचाव के उपाय किये जाएं और उसके बाद बेजियन विधि से अद्यतन जानकारी के आधार पर लगातार कदम बढ़ाने चाहिए। इसलिए शुरू में जिस तरह पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया उसे खराब नतीजों से बचाव का प्रयास माना जाना चाहिए। इसे कुछ ऐसे विशेषज्ञों की सलाह से प्रोत्साहन मिला जिनका तर्क था कि मजबूत शुरुआती दौर में ही लॉकडाउन लागू करने से महामारी के फैलाव की प्रारंभ में ही रोकथाम की जा सकती है। (उपलब्ध सूचनाओं को देखते हुए यह कोई अनुचित विचार नहीं था)। यह बात ध्यान देने की है कि इस शुरुआती लॉकडाउन से महामारी की रोकथाम और इलाज के लिए बड़े पैमाने पर उपकरण, क्वारेंटीन सुविधाओं और परीक्षण क्षमता जुटाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया।

जैसे-जैसे समय बीतता गया है, सूचना के साथ-साथ चिकित्सा सुविधा में भी सुधार हुआ है और केन्द्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था की तालाबंदी खोली है। लॉकडाउन और अन्य जवाबी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी स्थानीय सरकारों को सौंपी जाती रही है। इस दौरान बेहतर सूचना का मतलब था स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों और आर्थिक आवश्यकताओं के बीच युक्तिसंगत आदान-प्रदान के जरिए तालमेल कायम करना। इसीलिए सरकार बाद में कोविड-19 के व्यापक संक्रमण के बावजूद अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए इतनी उत्सुक दिखाई दी, जबकि प्रारंभिक लॉकडाउन लागू करते समय रोगियों की संख्या बहुत कम थी।

केन्द्र सरकार ने जो विकल्प चुना वह उसी तरह था जिसे वित्तीय बाजारों में 'बारबेल' की रणनीति कहा जाता है। यानी पहले सबसे बुरे से बुरे नतीजे से बचाव के उपाय किये जाएं और उसके बाद बेजियन विधि से अद्यतन जानकारी के आधार पर लगातार कदम बढ़ाने चाहिए। इसलिए शुरू में जिस तरह पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया उसे खराब नतीजों से बचाव का प्रयास माना जाना चाहिए।

बारबेल की यही रणनीति आर्थिक मोर्चे पर की गयी जवाबी कार्रवाई में भी अपनायी गयी। लॉकडाउन के दौरान भारत ने जो-जो कदम उठाये उनका उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों और व्यावसायिक क्षेत्र (जैसे मध्यम और लघु उद्यमों) को सहारा देना था। इसीलिए भोजन उपलब्ध कराने, जन-धन खातों में नकदी अंतरण, छोटे उद्यमों को सरकारी ऋण गारंटी और वित्तीय समय सीमाओं में छूट और मोहलत जैसे उपाय किये गये। इस बात का हर संभव प्रयास किया गया कि कर्ज अदायगी में चूक का असर बैंकिंग प्रणाली के निचले स्तर तक न पहुंचने पाये। सरकार का जोर सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने (यानी बुरी से बुरी स्थिति से निपटने के उपायों) पर रहा न कि मांग को पटरी पर लाने पर।

जहां दुनिया के कई देशों ने शुरुआत में बड़े-बड़े आकर्षक प्रोसाहन वाले पैकेज घोषित किये वहीं भारतीय नीति निर्माताओं का विचार था कि लॉकडाउन के दौरान मांग बढ़ाना ब्रेक पर मजबूती से पैर रखकर एक्सीलरेटर को दबाने जैसा होगा। ऐसे में बेहतर यही था कि गोला-बारूद को बाद की लड़ाई के लिए बचा कर रखा जाए क्योंकि मांग का सिलसिला लॉकडाउन के दौरान बढ़ने की संभावना नहीं थी। इसकी बजाय जो समय मिला उसका इस्तेमाल कोविड के बाद के विश्व में दीर्घावधि ढांचागत सुधारों का पूर्वानुमान लगाने में किया गया।

अक्तूबर के शुरू में अर्थव्यवस्था को तालाबंदी से लगभग पूरी तरह खोल दिया गया है, तो मांग को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश को केन्द्र में रखकर कदम उठाने जरूरी हैं। वित्तीय घाटे के बढ़ने की आशंका के बावजूद इस तरह के मौद्रिक और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए गुंजाइश बनी हुई है। मांग से प्रेरित मुद्रास्फीति कोई बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि कीमतों में जो भी बढ़ोतरी हुई है वह आपूर्ति में व्यवधान की वजह से हुई है। रुपये के दाम में बढ़ोतरी के लिए दबाव होने और चालू खाते के अधिशेष से विदेशी मुद्रा

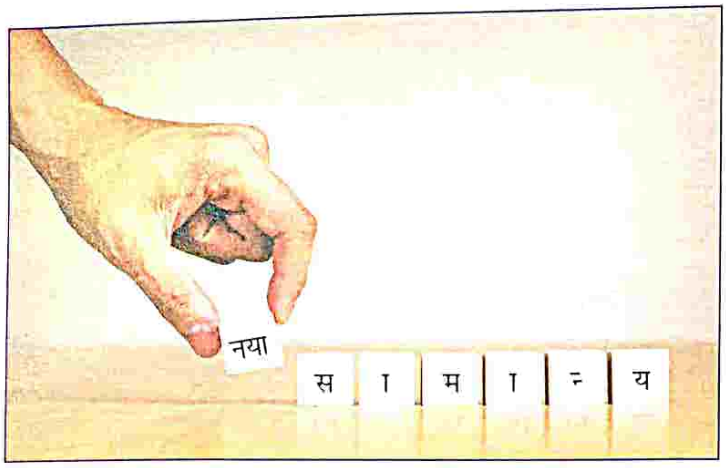

भंडार की पूर्ति को देखते हुए भारत की वित्तीय प्रणाली के विस्तार के लिए नयी मौद्रिक स्फूर्ति का संचार करना बहुत जरूरी है।

इधर, जैसा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, दोनों ही ने जिक्र किया है, बुनियादी ढांचे संबंधी पाइपलाइन को और चुस्त-दुरस्त बनाया जा रहा है। मगर क्या बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश का वित्तपोषण करना संभव है? विदेशी और घरेलू पूंजी, आस्तियों के मौद्रीकरण और यहां तक कि घाटे के मौद्रीकरण सहित वित्त पोषण के हर क्षेत्र का पता लगाना होगा। भारतीय मीडिया और शैक्षिक जगत मौद्रीकरण के बड़े आलोचक रहे हैं जो उनकी हठधर्मिता है। वित्त पोषण के विभिन्न उपायों में वित्तपोषण के लिए सूझबूझ से तैयार किये गये तौर-तरीकों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

कोविड परवर्ती काल में अनुकूलन

कोविड-19 महामारी कई पीढ़ियों के अंतराल के बाद विश्व की सबसे बड़ी विध्वंसकारी घटना है। संकट से उबर रहा कोविड परवर्ती विश्व, कोविड-पूर्व में मामूली बदलाव वाला विश्व नहीं होगा। इस नये विश्व की अपनी भू-राजनीति, सप्लाई-चेन, टेक्नोलॉजी संबंधी नवसृजन, संस्थागत ढांचा, उपभोक्ता प्राथमिकताएं और अन्य बातें होंगी। ये सब घटक अनेक बार और अप्रत्याशित तरीके से एक-दूसरे पर क्रिया-प्रतिक्रिया करेंगे। इसलिए कोविड परवर्ती विश्व किस तरह से कार्य करेगा इसे सही-सही बता पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी ही स्थिति 1940 में भी थी जब यह पूर्वानुमान लगाना कठिन था कि एक दशक में ब्रिटिश और फ्रेंच औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो जाएंगे या विश्व की भू-राजनीति पर आधी सदी तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीतयुद्ध का दबदबा कायम रहेगा या मनुष्य के कदम चांद पर पड़ेंगे या टेलीविजन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा।

ऐसे में अनिश्चित नये विश्व के लिए कोई कैसे तैयारी कर सकता है? कठोर मास्टर प्लान पर आधारित किसी जवाबी कार्रवाई की बजाय बेहतर यही होगा कि दो चीजों -लचीलापन और नमनशीलता में निवेश किया जाए। यही वह संदर्भ है जिसके परिप्रेक्ष्य में हाल के आपूर्ति पक्ष के सुधारों को देखने की आवश्यकता है।

हाल में घोषित संरचनात्मक सुधारों पर सरसरी निगाह डालने से ही यह बात साफ हो जाती है कि उनमें एक बात साझा है-इनमें भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और इसकी अनुकूलन क्षमता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। कृषि क्षेत्र में हाल में किये गये सुधारों से किसान अपनी उपज को अपनी मर्जी से कहीं भी और किसी को भी बेचने को स्वतंत्र हैं। दूसरी ओर सप्लाई-चेन से जुड़े लोग 'जमाखोर' होने का ठप्पा लगने की आशंका के बिना भंडारण में निवेश कर सकते हैं। इससे कृषि क्षेत्र और खेती से संबंधित उद्योगों को अपनी गतिविधियों को जनसंख्या संबंधी बदलावों, जलवायु परिवर्तन, उपभोक्ताओं की रुचियों आदि के अनुसार ढालना होगा। खेती के लिए उपलब्ध जमीन के लिहाज से भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। ऐसे में कोई वजह नहीं है कि वह कृषि पदार्थों के निर्यात में सबसे अग्रणी राष्ट्र न बन सके।

इसी तरह दर्जनों केन्द्रीय श्रम कानूनों के स्थान पर केवल चार श्रम संहिताएं बना दी गयी हैं जिनमें आपस में पूरी तरह तालमेल है। एक तरफ ये श्रमिकों की सुरक्षा और काम करने की स्थितियों को सुदृढ़ करती हैं तो दूसरी ओर वे कर्मचारियों को और अधिक लचीलापन प्रदान करती हैं। इसके अलावा कोविड के बाद के अप्रत्याशित और नये उभरते विश्व के लिए भी ये जरूरी हैं ताकि बदलते हालात के अनुसार श्रमशक्ति को अर्थव्यवस्था में दक्षतापूर्वक लगाने की क्षमता हासिल हो सके। व्यापारियों द्वारा बैंकों के जरिए आपसी लेन-देन संबंधी बाइलेटरल नेटिंग एंड ट्रेड फाइनेंस फैक्टरिंग कानून जैसे हाल में घोषित सुधारों का सीधा उद्देश्य वित्तीय प्रणाली को और अधिक लचीला बनाना है।

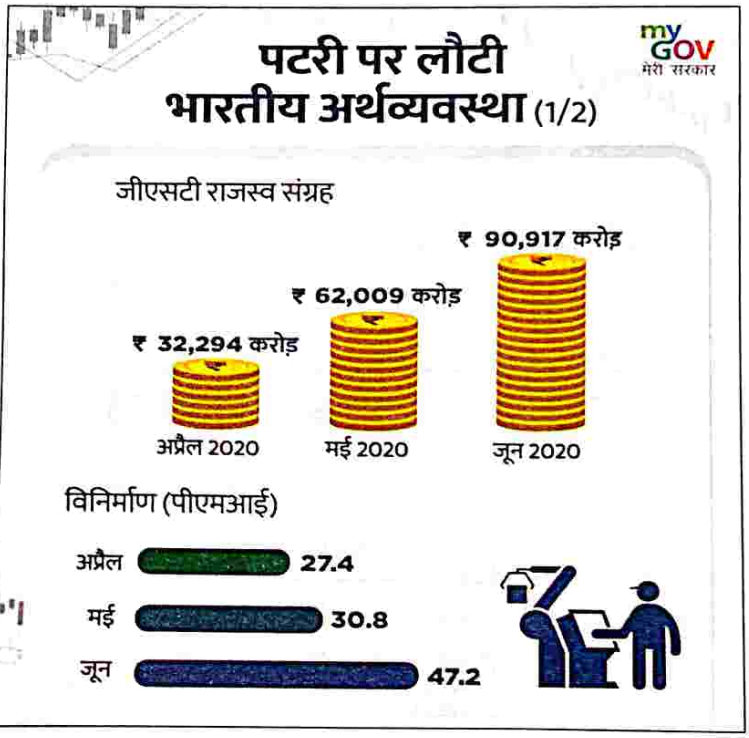

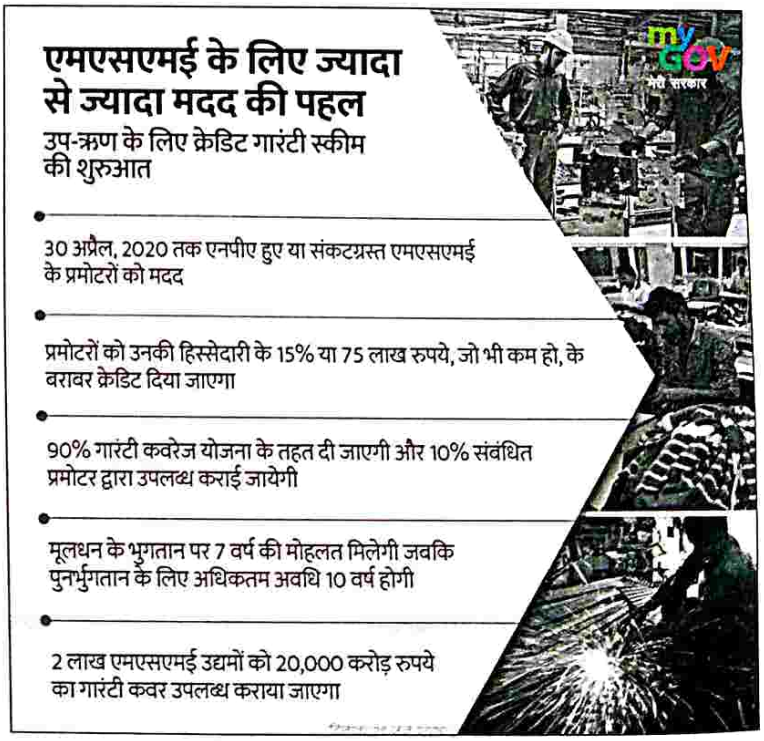

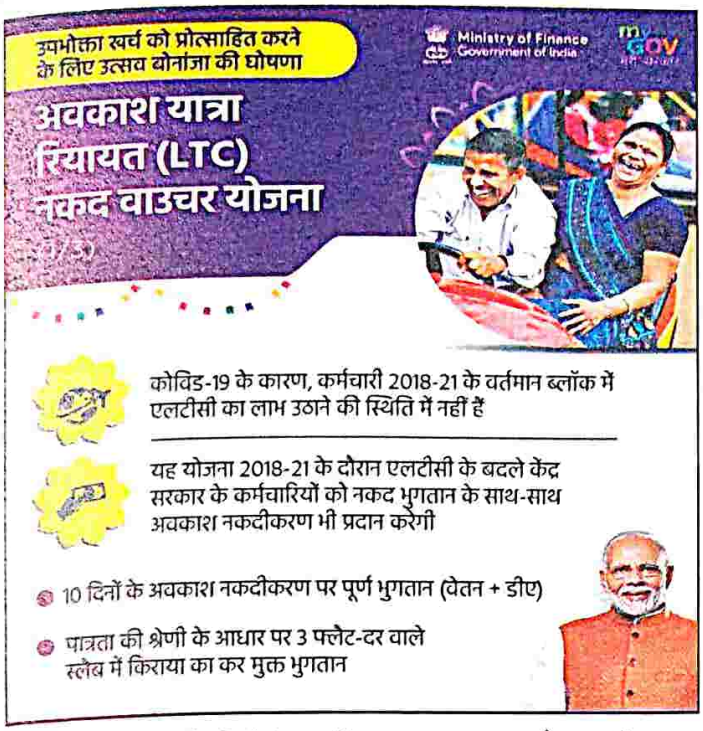

कोविड परवर्ती दीर्घावधि ढांचे का दूसरा घटक है लचीलेपन पर जोर। प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को समझने के लिए इसे जानना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ अक्सर समाजवादी युग का आयात प्रतिस्थापन या अंतर्मुखी होना लगाया जाता है। लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं ही स्पष्ट किया है कि उनकी परिकल्पना में वैश्विक सप्लाई चेन यानी आपूर्ति-शृंखला में भारत की बढ़ी हुई भागीदारी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को और अधिक प्रोत्साहन देना है। इसका मतलब अपने आप में सिमट जाना नहीं है।

आत्मनिर्भरता के पीछे मुख्य सोच यह है कि भारत को अपनी आंतरिक शक्ति का फायदा उठाते हुए और अधिक लचीला बनना चाहिए। उसे अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने में किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत सरकार ने क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी (जो आर.सी.ई.पी. के नाम से अधिक जाना जाता है) में शामिल न होने का फैसला किया क्योंकि उसका मानना था कि इस व्यापारिक संगठन से उसके राष्ट्रीय हित पूरे नहीं होते। लेकिन इसे विचारधारा के आधार पर व्यापारिक समझौतों का विरोध नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिन व्यापारिक समझौतों से भारत को अधिक फायदा होगा उनपर अमल किया जाता रहेगा। इसी तरह, विश्व स्पर्धा में खरे उतरे भारत के दवा उद्योग को कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण घटकों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर पाया गया जिसकी आपूर्ति-शृंखला बड़ी आसानी से टूट सकती है (जैसा कि हाल में महामारी के दौर में हुआ)। इसलिए कुछ आधार उत्पादन को भारत में वापस लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसे अक्षम उद्योगों के संरक्षण के लिए किया गया प्रयास भी नहीं कहा जा सकता। सच तो यह है कि यह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हमारे दवा उद्योग के लचीलापन को दर्शाता है।

अगर भविष्य के बारे में विचार करें तो कोविड के बाद के विश्व में अप्रत्याशित समस्याओं और अवसरों पर लचीली और नमनशील जवाबी कार्रवाई के लिए दो और क्षेत्रों-प्रशासनिक ढांचे तथा कानूनी प्रणाली में सुधार करने होंगे। दोनों ही मामलों में पुरानी कठोर प्रणाली 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में अब कुछ प्रगति होने लगी है। रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने, ऑनलाइन आवेदन करने और अप्रासंगिक हो चुके सरकारी संगठनों को सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में जोरदार प्रयास किये जा रहे हैं। न्यायपालिका के सहयोग से इसी तरह का प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि 3.6 करोड़ लंबित मामलों को निपटाने की कानूनी प्रक्रिया का उन्नयन किया जा सके। आज के जटिल और विकासमान विश्व में अनुबंध की शुचिता अक्सर निश्चितता का एकमात्र आधार बनती है। रोजमर्रा के अनुबंधों पर अमल की कानूनी प्रक्रिया को पूरा न कर पाने की विवशता के बारे में बहस करने की आवश्यकता है क्योंकि यह हमारे आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इस तरह की बहस से सुधारों के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में निष्पक्ष राष्ट्रीय आम सहमति कायम करने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष

दुनिया ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़ा आघात का सामना किया है। इससे निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है। 'बारबेल रणनीति' पर आधारित भारत की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जवाबी कार्रवाई अनुक्रम और विभिन्न उपायों पर बल की दृष्टि से अन्य देशों की तुलना में कुछ अलग रही है। अभी चक्र पूरा नहीं हुआ है मगर ज्यों-ज्यों अर्थव्यवस्था पूरी तरह तालाबंदी से उबर रही है, इसका जोर बुनियादी ढांचे में निवेश के जरिए मांग बढ़ाने पर स्थानांतरित हो गया है। लेकिन दीर्घावधि प्रत्युत्तर का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक लचीला बनाना है ताकि कोविड के प्रकोप के बाद के दौर के विश्व के अवसरों और समस्याओं से निपटा जा सके। कृषि, श्रम बाजार और वित्तीय प्रणाली में हाल के सुधारों को इसी आलोक में देखा जाना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है। बेशक कई अन्य क्षेत्रों में भी बदलाव की आवश्यकता है लेकिन अगली पीढ़ी के सुधारों का केन्द्र बिन्दु निश्चित रूप से प्रशासनिक और कानूनी प्रणाली ही होना चाहिए। ■

मौद्रिक नीति

माइकल डी पात्रा

मौद्रिक नीति वांछित और व्यावहारिक के बीच संतुलन के बारे में है। इसका सबसे बड़ा योगदान, भारत के मजबूत, सतत और समावेशी विकास के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र (मैक्रोइकॉनॉमिक) स्थिरता सुनिश्चित करना है जैसा कि कम और स्थिर कीमतों में परिलक्षित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अर्थव्यवस्था तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़े जिसमें श्रम और पूंजी जैसे सभी उपलब्ध संसाधन लाभकारी रूप से या दूसरे शब्दों में, अपनी क्षमता के साथ कार्यरत हों

मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति की तरह सार्वजनिक नीति का अभिन्न अंग है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अर्थव्यवस्था तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़े जिसमें श्रम और पूंजी जैसे सभी उपलब्ध संसाधन लाभकारी रूप से या दूसरे शब्दों में, अपनी क्षमता के साथ कार्यरत हों। अर्थव्यवस्था जब बहुत तेज गति से बढ़ती है, तब वह अत्यधिक बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर पाती। मांग, आपूर्ति से अधिक हो जाती है, महंगाई को सहन करने के लोगों के सामर्थ्य की तुलना में कीमतों में अधिक वृद्धि होती है और वित्तीय बाजारों में बड़ा उतार-चढ़ाव होता है। इन स्थितियों में, मौद्रिक नीति का कार्य, अर्थव्यवस्था में नरमी लाना होता है ताकि वह अपनी संभावित क्षमता पर लौट आए। दूसरी ओर, जब कोई अर्थव्यवस्था अपनी संभावित क्षमता से नीचे जा रही होती है, तो बेरोज़गारी, असामान्य रूप से कम तथा अलाभकारी कीमतें, मंद वित्तीय गतिविधि और संसाधन उपयोग में कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में, मौद्रिक नीति को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना होगा और इसे पुनर्जीवित करना होगा ताकि यह अपनी संभावित क्षमता पर लौट आए। अर्थव्यवस्था के इन उतार-चढ़ाव को कम करके, मौद्रिक नीति लोगों के समग्र कल्याण में योगदान करती है।

अर्थव्यवस्था के तेज गति से बढ़ने के दौरान, बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थता की स्थिति में मौद्रिक नीति धन की उपलब्धता को बदलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। यह धन की आपूर्ति को कम कर देती है ताकि लोग कम खर्च करें, जबकि मंद गतिविधि के समय में, यह धन की आपूर्ति का विस्तार करती है ताकि लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा है। यह पैसे की लागत यानी ब्याज दर में बदलाव कर भी वही परिणाम प्राप्त कर सकती है। जब लोग अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं और इसे बैंक में रखते हैं तो वे इस

लेखक भारतीय रिज़र्व बैंक में डिप्टी गवर्नर हैं। ईमेल : mdpatra@rbi.org.in

पर ब्याज कमाते हैं। जब वे अपने पास उपलब्ध राशि से अधिक खर्च करते हैं, तो उन्हें उधार लेना पड़ता है और ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। जब ब्याज दर बढ़ती है, तो पैसा खर्च करना महंगा हो जाता है क्योंकि अधिक ब्याज देना पड़ता है। जब ब्याज दर गिरती है, तो लोग आसानी से पैसा प्राप्त कर सकते हैं और अधिक खर्च कर सकते हैं। धन की लागत और उपलब्धता मौद्रिक नीति के निमित्त हैं, जबकि कर और व्यय राजकोषीय नीति के निमित्त हैं।

इस व्यापक अधिदेश के तहत, भारत में राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप मौद्रिक नीति में कई वर्षों में बहुत से बदलाव किए गए हैं, जो मोटे तौर पर विश्व स्तर पर हुए परिवर्तनों को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन के बाद भारत की मौद्रिक नीति संरचना में बदलाव हुआ और लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के रूप में वर्णित एक नई संरचना स्थापित की गई। इसके तहत, मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य, वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 4 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर प्राप्त करना है।

लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की कई उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। सबसे पहले, मुद्रास्फीति दर को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन (प्रतिशत में) के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे हर महीने सांख्यिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जनता के लिए संकलित और जारी किया जाता है। यह एक अखिल भारतीय सूचकांक है और ग्रामीण तथा शहरी दोनों के मूल्य परिवर्तनों को जोड़ता है। इस तथ्य के मद्देनजर कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लगातार आपूर्ति के झटकों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मानसून या पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) द्वारा उत्पादन में बदलाव के कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव किया जाता है, जिस पर राष्ट्रीय प्राधिकरण का नियंत्रण नहीं होता, 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य के आसपास सहिष्णुता बैंड निर्धारित किया गया है। इसकी न्यूनतम सीमा 2 प्रतिशत और अधिकतम 6 प्रतिशत है। लक्ष्य और सहिष्णुता की सीमा भारत सरकार निर्दिष्ट करती है, जो भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक-राजकोषीय समन्वय का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है क्योंकि ये दोनों मौद्रिक नीति के लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने में संयुक्त रूप से जिम्मेदारी का वहन करते हैं। +/-2 प्रतिशत की इस सीमा का उद्देश्य मौद्रिक नीति के संचालन को सक्षम करना है ताकि इन अप्रत्याशित झटकों से निपटा जा सके। इसके अलावा, 4 प्रतिशत लक्ष्य का कड़ाई से पालन करने की परिकल्पना नहीं की गई है। हर समय लक्ष्य प्राप्त करने के बजाय, यह उम्मीद की जाती है कि इसे समय के साथ-साथ हासिल कर लिया जाएगा। एक बिंदु लक्ष्य के बजाय एक बैंड, हर समय के बजाय एक अवधि में लक्ष्य की प्राप्ति और विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखने के विनिर्देश - लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लचीले तत्व हैं।

दूसरा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में लक्ष्य की परिभाषा उल्लेखनीय है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, खुदरा स्तर पर उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमतों को मापता है। इस प्रकार, वह नियमित रूप से आम व्यक्ति के सामने आने वाली कीमतों का अधिग्रहण करता है और उनके आधार पर मौद्रिक नीति को रोजमर्रा के जीवन से जोड़ता है। औसत उपभोक्ता को इन मूल्यों के बारे में पता है क्योंकि वे जीवन की लागत के माध्यम से उसके दैनिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, उनका वेतन और मजदूरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी होती है और जब भी यह सूचकांक एक निर्दिष्ट राशि से अधिक होता है तो उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाता है। मौद्रिक नीति, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फीति को, महंगाई के सहनशील स्तर के आंकलन के आधार पर लक्ष्य के अनुरूप रखकर, आम लोगों की भलाई में योगदान देती है। यह निर्दिष्ट करते हुए कि मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मापा जाएगा, यह सुनिश्चित किया गया है कि आम आदमी आसानी से समझ सकता है कि मौद्रिक नीति भारत की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है या नहीं। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व - पारदर्शिता है।

2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन के बाद भारत की मौद्रिक नीति संरचना में बदलाव हुआ और लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के रूप में वर्णित एक नई संरचना स्थापित की गई। इसके तहत, मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य, वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 4 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर प्राप्त करना है।

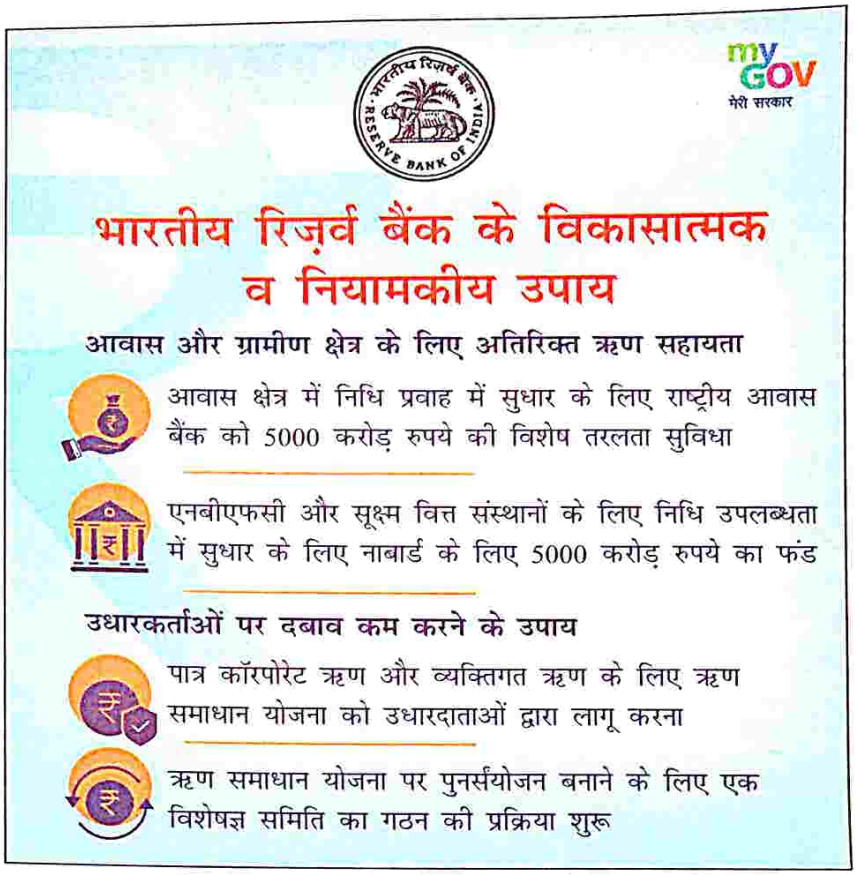

तीसरा, नई संरचना के तहत जवाबदेही के स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को लक्ष्य के सदृश रखा जाना चाहिए, लेकिन यह अप्रत्याशित कारकों से, लक्ष्य से 2 प्रतिशत ऊपर या नीचे जा सकती है। हालांकि यदि वास्तविक मुद्रास्फीति का लगातार तीन तिमाहियों के लिए, लक्ष्य के सहिष्णुता बैंड (मुद्रास्फीति में 2 प्रतिशत से नीचे या 6 प्रतिशत से ऊपर हो जाती है) से विचलन होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक को भारत सरकार को पत्र लिखकर इसके कारणों, मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले उपायों और इसे अपने लक्ष्य पर वापस लाने में लगने वाले समय के बारे में स्पष्ट करना होगा। इस प्रकार, लक्ष्य के प्रति मौद्रिक नीति की जिम्मेदारी, पूर्व-प्रतिबद्धता का रूप लेती है और समय के साथ तर्कसंगत होती जाती है।

नई संरचना के तहत, इस प्रकार के निर्णय छह सदस्यों की एक समिति लेती है जिसे मौद्रिक नीति समिति कहा जाता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर इसके अध्यक्ष हैं और डिप्टी गवर्नर तथा एक अधिकारी को समिति के पदेन आंतरिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तीन अन्य सदस्य बाहरी हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति अधिनियम में निर्दिष्ट और मौद्रिक नीति के संचालन से संबंधित मानदंडों के अनुरूप चुना गया है।

नई मौद्रिक नीति संरचना का चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया है। इससे पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर, मौद्रिक नीति कार्यों और अवस्थिति के संबंध में एकमात्र निर्णय लेते थे। नई संरचना के तहत, इस प्रकार के निर्णय छह सदस्यों की एक समिति लेती है जिसे मौद्रिक नीति समिति कहा जाता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर इसके अध्यक्ष हैं और डिप्टी गवर्नर तथा एक अधिकारी को समिति के पदेन आंतरिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तीन अन्य सदस्य बाहरी हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति अधिनियम में निर्दिष्ट और मौद्रिक नीति के संचालन से संबंधित मानदंडों के अनुरूप चुना गया है। प्रत्येक सदस्य के पास एक ही वोट होता है, बराबर वोटों की स्थिति में गवर्नर अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। इसका उद्देश्य एक व्यक्ति द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था के स्थान पर कॉलेजियल प्रक्रिया को लागू करना है जिससे समूहवाद और पूर्ण स्वतंत्रता से परहेज करते हुए विभिन्न प्रकार के अनुभव, विशेषज्ञता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। हर तिमाही में कम से कम एक बार मौद्रिक नीति समिति की बैठक बुलाना अनिवार्य है। बैठक के तुरंत बाद, वृहद आर्थिक और वित्तीय स्थितियों के आकलन तथा उनके बारे में दृष्टिकोण, मौद्रिक नीति कार्रवाई और अवस्थिति के संबंध में, इसके निर्णयों को मतदान पैटर्न के साथ प्रकाशित किया जाता है। बैठक का कार्यवृत्त बैठक के बाद 14 दिनों के भीतर प्रकाशित किया जाता है। इसमें प्रत्येक सदस्य के बयान, उनके मूल्यांकन, वोट और कारणों का ब्यौरा होता है।

निष्पादन की बात करें तो, भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक नीति संरचना को देश के आर्थिक प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण सुधार माना गया है। लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को लागू कर भारत 40 देशों में शामिल हो गया है। निष्पादन के सबसे महत्वपूर्ण पैमाने के संदर्भ में, नए ढांचे के काम करने की अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दो अंकों से नीचे हो गई है और 4 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुरूप रही है – सितंबर 2016 और मार्च 2020 के बीच, यह औसतन 4.2 प्रतिशत रही है (चार्ट 1)। हालांकि, कोविड-19 महामारी के साथ, आपूर्ति में व्यवधान और घबराहट में कीमतें बढ़ने के कारण जून 2020 से मुद्रास्फीति काफी हद तक असामान्य हो गई और उच्चतर सहनशीलता बैंड भंग हो गया। ध्यान देने योग्य है कि लॉकडाउन के दौरान स्थिति इतनी गंभीर थी कि संविदा दर प्राप्त

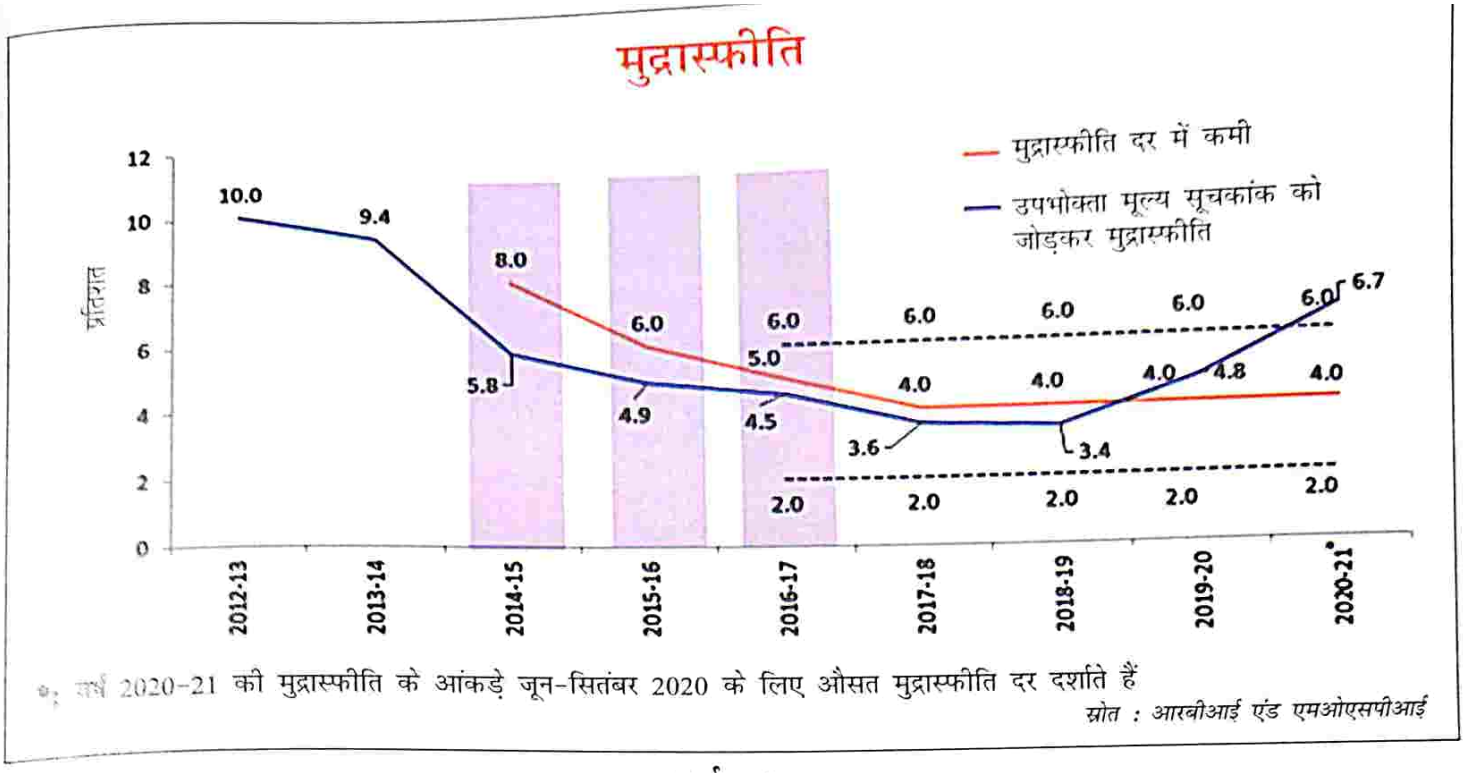

चार्ट - 1

करना संभव नहीं था और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने व्यापार जारी रखने के लिए अंदाजे से अनुमान प्रदान किए। यह भी सबूत है कि नए ढांचे के संचालन के दौरान मुद्रास्फीति के उतार-चढ़ाव में कमी आई। इस अवधि का संबंध बड़े पैमाने पर विदेशों से पूंजी प्रवाह के साथ है, जो मजबूत निवेशक आशावाद और देश की मजबूत बाहरी स्थिति का संकेत देती है। यह एक ऐसी अवधि थी जिसके दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ युग्मित हुई और विकास की समकालिक धीमी गति से प्रभावित हुई। इसके तुरंत बाद कोविड-19 महामारी हुई, जिसने दुनिया के लगभग हर देश को प्रभावित किया और आर्थिक गतिविधियों में इतनी अधिक गिरावट आई जितनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं देखी गई। नतीजतन, नए मौद्रिक नीति ढांचे के तहत वृद्धि के प्रदर्शन पर निर्णय निश्चित रूप से तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि स्थितियां अधिक सामान्य न हो जाएं। बहरहाल, इस तरह का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह द्वितीयक उद्देश्य है जिसे इस ढांचे के तहत निर्धारित किया गया है। आमतौर पर, जैसा कि दुनिया भर में प्रचलन है, प्राथमिकता मुद्रास्फीति उद्देश्य को दी जाती है और विकास के उद्देश्य की व्याख्या देश की क्षमता के इर्दगिर्द अर्थव्यवस्था के विकास पथ के स्थिरिकरण के रूप में की जाती है।

वर्तमान में लागू मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4 (+/-2) प्रतिशत है, जो 5 अगस्त, 2016 को निर्धारित किया गया था और 31 मार्च, 2021 तक रिजर्व बैंक में मौद्रिक नीति के संचालन के लिए दिशानिर्देशन जारी रखेगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत अब तक प्राप्त अनुभव और सीख के आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी और सरकार रिजर्व बैंक के साथ परामर्श कर 1 अप्रैल, 2021 से पांच वर्ष के लिए इसका पुनर्निर्धारण करेगी। यह उन सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अनुरूप है जिनके तहत दुनिया भर में, केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति ढांचे और लक्ष्यों की सावधिक समीक्षा करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये अर्थव्यवस्था में बदलती मैक्रो-वित्तीय स्थितियों के लिए प्रासंगिक और उपयुक्त बने रहें। भारत में, हालांकि लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एक ढांचे के रूप में अभी भी अपेक्षाकृत नया है और अभी इसका पूरी तरह से परीक्षण किया जाना है, इसे वृहद् आर्थिक नीति के प्रमुख स्तंभ के समान व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। 2018-19 की शुरुआत से अर्थव्यवस्था में मंदी और इसके बाद विनाशकारी कोविड-19 महामारी के कारण मौद्रिक नीति ब्याज दर - जिसे रेपो दर भी कहा जाता है - फरवरी 2019 में शुरू होकर 250 आधार अंकों तक कम हो कर 4 प्रतिशत हो गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। मौद्रिक नीति संरचना ने यह भी निर्णय लिया है कि मुद्रास्फीति का लक्ष्य के भीतर बना रहना सुनिश्चित करने के लिए, स्थायी आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो-कम से कम चालू वित्त वर्ष के दौरान और अगले वित्तीय वर्ष में, उसे उपयोगी स्वरूप में बने रहना चाहिए। मौद्रिक नीति वांछनीय और व्यवहार्य को संतुलित करने के बारे में है। ये निर्णय, वृद्धि को समर्थन देते हुए +/- 2 प्रतिशत के बैंड के भीतर 4 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के लिए मध्यम अवधि लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से लिया गया।

मौद्रिक नीति वांछित और व्यावहारिक के बीच संतुलन के बारे में है। इसका सबसे बड़ा योगदान, भारत के मजबूत, सतत और समावेशी विकास के लिए मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता सुनिश्चित करना है जैसा कि कम और स्थिर कीमतों में परिलक्षित होता है। ■

अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार

एन आर भानुमूर्ति
मीरा मोहन

घोषित किए गए राजकोषीय और मौद्रिक उपाय प्रचुर हैं हालांकि इन उपायों का प्रभाव इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि इन्हें कैसे लागू किया जाता है। वर्तमान रुझानों को देखते हुए यह आशा की जा सकती है कि इन उपायों से अर्थव्यवस्था को बहाल करने में मदद मिलनी चाहिए, हालांकि बहाली की सीमा इस बात पर भी निर्भर कर सकती है कि आने वाले महीनों में महामारी की स्थिति क्या रुख लेगी

कोविड-19 के कारण दुनिया अप्रत्याशित आघात का सामना कर रही है और आर्थिक गतिविधियों के सहसा थम जाने के साथ ऐसा आशंका व्यक्त की जा रही है कि उत्पादन को स्थायी क्षति पहुंच सकती है। अधिकांश देशों ने मौजूदा वित्त वर्ष में नकारात्मक वृद्धि दरों के साथ अपनी वृद्धि की अपेक्षाओं को कम कर दिया है। भारत में भी अभी जब महामारी की स्थिति जारी है सभी एजेंसियों द्वारा विकास पूर्वानुमान नकारात्मक रहे हैं औसत लगभग-10 प्रतिशत के आस पास। हालांकि, कोई आधिकारिक पूर्वानुमान नहीं हैं फिर भी हाल में भारतीय रिज़र्व बैंक ने जीडीपी में 9.5 प्रतिशत तक गिरावट का अनुमान लगाया है जिसके और 'कम होने का जोखिम' भी है। ऐसी संकटपूर्ण परिस्थितियों में राजकोषीय नीति की पहलें जो सरकार ने की हैं और वृद्धि के संकुचन पर उनका प्रभाव क्या हो सकता है? इस लेख में उनका संक्षिप्त विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तावना के रूप में संक्षेप में यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 पूर्व की स्थिति और महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए नीतिगत प्रावधान किस सीमा तक उपलब्ध हैं। दरअसल, 2019-20 में भी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पहले ही मंदी के दौर से गुजर रही थी। इसने 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी जो एक दशक में सबसे कम थी। राजकोषीय स्थिति केंद्र सरकार के लगातार दो साल तक राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम 2018 (एफआरबीएम) में एस्केप क्लाज़ को लागू करने के साथ जो सरकारों को अधिनियम में निर्दिष्ट की तुलना में 0.5 प्रतिशत अधिक राजकोषीय घाटे को चलाने की अनुमति देती है और भी अनिश्चित थी। तदनुसार, केंद्रीय बजट 2020-21 ने 2019-20 के लिए 3.8 प्रतिशत और 2020-21 के लिए 3.3 प्रतिशत के वित्तीय घाटे का सुझाव दिया। हालांकि महालेखा नियंत्रक के आंकड़े बताते हैं कि 2019-20 के लिए भी राजकोषीय घाटा 3.8

एन आर भानुमूर्ति वर्तमान में बीएएसई विश्वविद्यालय, बेंगलुरु में कुलपति हैं। ईमेल: nrbmurthy@gmail.com
मीरा मोहन बेंगलुरु के बीएएसई यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर विद्यार्थी हैं। ईमेल: meeramohancherian@gmail.com

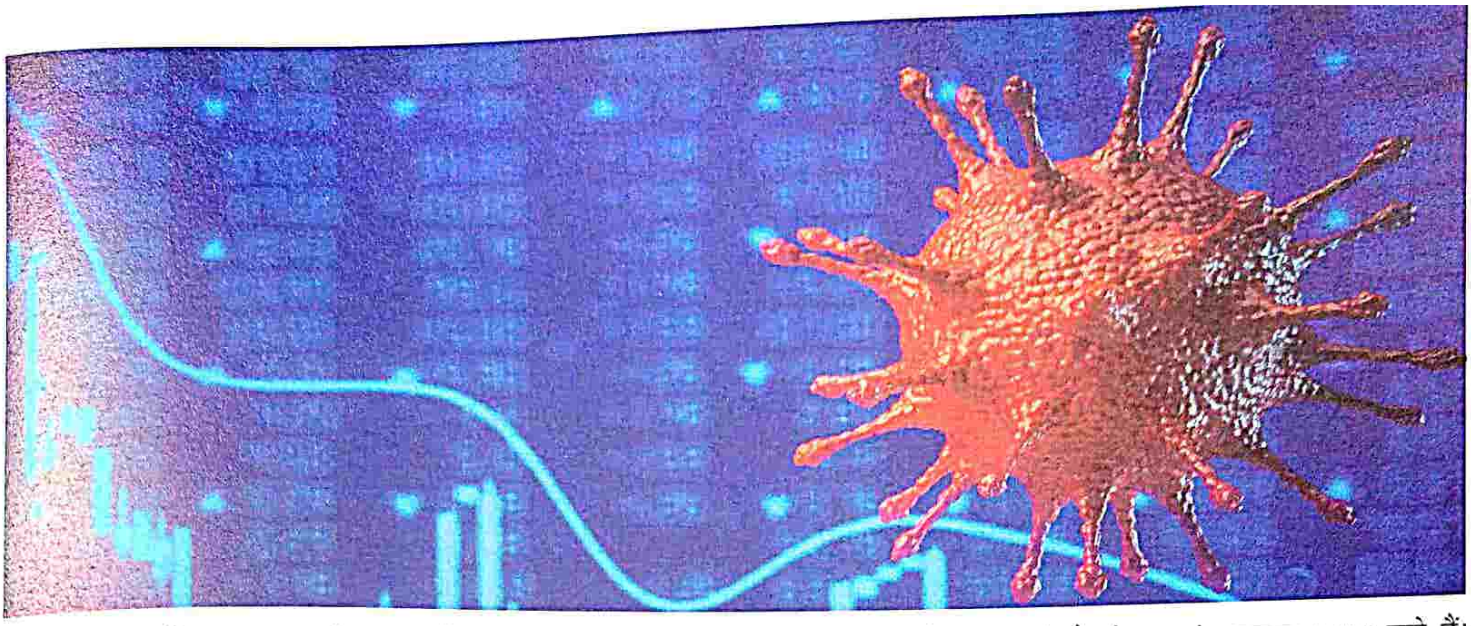

प्रतिशत के अनंतिम अनुमान के मुकाबले 4.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। राज्य सरकारों की बात करें तो भारतीय रिज़र्व बैंक के राज्य वित्त अध्ययन सहित अधिकांश अध्ययनों के अनुसार वर्ष 2015-16 के बाद राज्यों को अधिक अधिकार देने के बावजूद उनकी राजकोषीय स्थिति खराब हो गई।

2019-20 की अंतिम तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत थी और 2020-21 की पहली तिमाही में-23.9 प्रतिशत की सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। महामारी में सबसे सख्त लॉकडाउन किया गया (लोगों के जीवन की रक्षा के लिए इसकी सख्त आवश्यकता थी) जिसे भारत ने पहली तिमाही में अपनाया और जिसके कारण आर्थिक गतिविधियां सहसा थम गयी। गतिविधियों के धीरे-धीरे बहाल होने के साथ (छह चरणों में) सितंबर 2020 के अंत से विकास की संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं। अब नीतिगत पहलें और विकास पर उनके प्रभाव के बारे में जानना दिलचस्प हो सकता है।

इस महामारी और उसके परिणामवश व्याप्त आर्थिक मंदी से निपटने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने क्या कदम उठाये हैं? नीतिगत तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय बाजारों को मदद के लिए शुरू में सक्रिय था लेकिन राजकोषीय नीति की ओर से कुछ हिचकिचाहट थी जो स्पष्ट रूप से वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में तेज़ी से कमी की और बाजार में अधिक तरलता को भी सुनिश्चित किया। इसने कई अन्य क्षेत्रीय पहलें जिनमें राज्य सरकारों, ऋण गारंटी योजनाओं और ऋण प्रतिबंध समिति को ऋण स्थगन और वेज एंड मींस एडवांस (डब्ल्यूएमए) जैसे अन्य उपायों की भी पेशकश की है। मौद्रिक नीति में बदलाव के साथ अतीत के विपरीत हाल के समय में मौद्रिक नीति संचरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके बाद केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की जिसके साथ बड़े पैमाने पर संरचनात्मक सुधार जुड़े हैं। हालांकि इस पैकेज के बारे में कुछ आशंकाएं थीं कि यह भारत को आयात प्रतिस्थापन युग में वापस धकेल सकता है जिसके कारण संतुलन का स्तर कम हो गया और विकास घटा लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में और संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान भी स्पष्ट किया कि इस पैकेज का लक्ष्य भारत को विश्व का विनिर्माण केंद्र बनाना है। दरअसल यह पैकेज चार 'एल' - लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज़ यानि भूमि, श्रम, तरलता और कानून से सम्बद्ध है और इन चारों क्षेत्रों में अधिक संरचनात्मक सुधारों की बात की गयी है। पैकेज का उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनने में मदद करना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई), कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, प्रवासी श्रमिकों, नागरिक उड्डयन, रक्षा, ऊर्जा, आवास और सामाजिक क्षेत्र को सहायता प्रदान करना है जो महामारी के साथ-साथ लॉकडाउन से भी प्रभावित हैं।

प्रधानमंत्री ने इस पैकेज के पांच स्तंभों को भी सुझाया है और वे हैं: अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, तंत्र, जीवंत जनसांख्यिकी यानी लोग और मांग। लेकिन इसकी प्रमुख विशेषता है 20 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, खाद्य सुरक्षा, मनरेगा के तहत ग्रामीण रोज़गार, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना जैसी व्यापक पहलें शामिल हैं। पैकेज में तरलता उपायों के तहत प्रदान किये गए 8.01 लाख करोड़ रुपये के मौद्रिक प्रोत्साहन भी शामिल हैं। भारत द्वारा किये जा रहे प्रोत्साहन प्रयास व्यापक हैं और जापान व अमेरिका को छोड़कर शेष दुनिया के अधिकांश देशों के साथ उनकी तुलना की जा सकती है।

मौद्रिक नीति में बदलाव के साथ अतीत के विपरीत हाल के समय में मौद्रिक नीति संचरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके बाद केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की जिसके साथ बड़े पैमाने पर संरचनात्मक सुधार जुड़े हैं।

तालिका 1 में नीतिगत उपायों का विवरण दिया गया है जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किए गए हैं। इसमें ऋण गारंटी, खाद्य सुरक्षा, नौकरियां, गरीबी-उन्मूलन

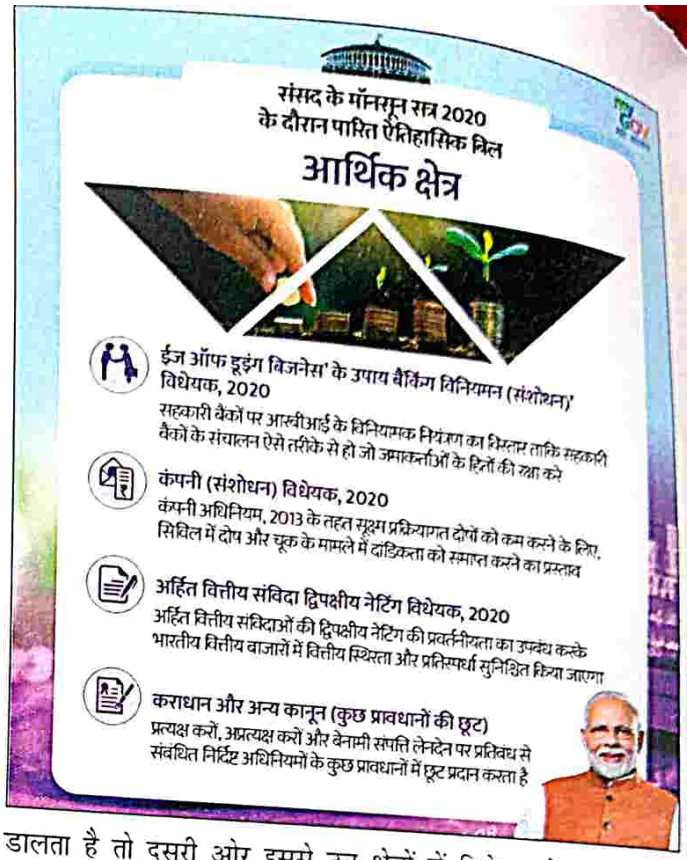

कार्यक्रम (पीएमजीकेवाई) आदि पहलें शामिल हैं। कुछ उपाय सुधारों से सम्बद्ध हैं, जो तालिका में शामिल नहीं हैं क्योंकि इनमें कोई राजकोषीय लागत नहीं है। हालांकि, इस पैकेज की आलोचनाओं में से एक यह है कि इसकी राजकोषीय लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.5 प्रतिशत है क्योंकि उनमें से अधिकांश मौद्रिक प्रोत्साहन और ऋण गारंटी हैं। यह बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन की मांग की पूर्ति नहीं करता है जिसे जीडीपी वृद्धि में आई भारी गिरावट को दूर करने के लिए सीधे दिए जाने की आवश्यकता है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि एमएसएमई और केसीसी को क्रेडिट गारंटी, हालांकि सीधे राजकोषीय घाटे को प्रभावित नहीं करती है पर यह आकस्मिक देनदारियों के माध्यम से बकाया देनदारियों (सार्वजनिक ऋण की अपेक्षा व्यापक अवधारणा) में बढ़ोतरी कर सकता है। एक ओर जहां यह कदम अल्पावधि में अतिरिक्त राजकोषीय लागत नहीं डालता है तो दूसरी ओर इससे उन क्षेत्रों में निवेश को बहाल करने में मदद मिल सकती है जो न केवल महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण बेहद प्रभावित हैं बल्कि नोटबंदी और जीएसटी क्रियान्वयन जैसे लगातार झटकों के कारण भी त्रस्त हैं। इसके अलावा यह उन बैंकों की भी मदद करेगा जो गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) से जूझ रहे हैं और इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यवसायों के लिए प्रावधान किया जा सकता है।

इन राजकोषीय नीतिगत उपायों को देखते हुए अब चर्चा है कि चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था को प्रदान की जाने वाली राजकोषीय सहायता की सीमा क्या होनी चाहिए। जैसा कि पहले चर्चा की गई है कि जब आत्मनिर्भर भारत के तहत राजकोषीय सहायता केवल 1.5 प्रतिशत है हमारे विचार में चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से राजकोषीय सहायता इस से बड़ी हो सकती है और चालू वित्त वर्ष में

तालिका 1: आत्मनिर्भर भारत पैकेज (करोड़ रुपये में) के तहत विभिन्न पहलों का विवरण

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना	1,70,000
भारतीय रिज़र्व बैंक तरलता उपाय	8,01,603
आत्मनिर्भर पैकेज का भाग 1 (एमएसएमई को संपार्श्विक मुक्त स्वतः ऋण एनबीएफसी/एचएफसी/ एमएफआई के लिए योजनाएं शामिल हैं)	5,94,550
पैकेज का भाग 2 (प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति, मुद्रा ऋण के लिए ब्याज स्थगन, नाबार्ड, केसीसी के लिए योजना शामिल हैं)	3,10,000
पैकेज का भाग 3 (कृषि अवसंरचना, मत्स्य पालन, पशुपालन, जड़ी बूटियों की खेती आदि)	1,50,000
पैकेज के भाग 4 (व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण)	8,100
पैकेज का भाग 5 (मनरेगा)	40,000
अन्य	22,800
कुल	**20,97,053**

स्रोतः वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

संयुक्त राजकोषीय घाटा (केंद्र और राज्यों को मिलाकर) जीडीपी के 12 प्रतिशत के लगभग हो सकता है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र में उधारी लगभग 2 प्रतिशत होती है तो चालू वर्ष में कुल उधारी जीडीपी के 14 प्रतिशत के करीब हो सकती है। यहां यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय पैकेज में अतिरिक्त उधारी (जीडीपी का लगभग 2.1 प्रतिशत) को शामिल करने की आवश्यकता है, जिसे केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज से पहले भी घोषित किया था ताकि केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रस्तावित व्यय को जारी रखा जा सके। हालांकि यह राजस्व में अपेक्षित गिरावट के कारण है। अतिरिक्त उधारी को बीमार अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय सहायता के रूप में माना जाना चाहिए। इसके अलावा राज्यों को भी राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) के तहत सुझाए गए 2 प्रतिशत अधिक उधार लेने की अनुमति है। हालांकि इससे जुड़ी कुछ शर्तें हैं। इस तरह की छूट से कुछ राज्यों को उधारी को बढ़ाने में सहायता मिलनी चाहिए जिससे राजस्व घाटे के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल और अन्य खर्चों के लिए बढ़ती मांगों की भरपाई के लिए जीवन और आजीविका को संतुलित करने में मदद मिलेगी। यहां यह कहा जा सकता है कि सरकार ने पहले ही उल्लेख किया है कि वह अधिक राजकोषीय सहायता के लिए तैयार है और अभी 'कब' और 'कितना' खर्च करना है यह तय करना बाकी है। लेकिन यह तय करना भी महत्वपूर्ण है कि कहां खर्च करना है।

देश की जीडीपी वृद्धि पर इन नीतिगत प्रयासों का क्या प्रभाव हो सकता है? लोगों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बहाली के आकार को लेकर चर्चाएं हैं। चाहे वह 'V' हो या 'U' या फिर 'W' हो या किसी अन्य आकार की हो निवेशकों के लिए यह महत्वपूर्ण है। सरकार को लगता है कि 'V' आकार की बहाली हो सकती है हालांकि ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि यह बहाली उतनी तेज नहीं हो सकती है। हमारे विचार में जहां अचानक लॉकडाउन के कारण मंदी तेजी से आई तो बहाली की अवधि के भी लम्बा होना अपेक्षित है और यह राजकोषीय-मौद्रिक पैकेजों के कार्यान्वयन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। एक तरह से हमारे विचार में बहाली स्मोकिंग पाइप के आकार की तरह हो सकती है आरम्भ में एक तीव्र झुकाव और फिर उसके बाद लंबी अवधि की बहाली का चरण। वस्तुत: अर्थव्यवस्था में वृद्धि के कुछ सकारात्मक आसार दृष्टिगोचर होने लगे हैं जो धीरे-धीरे बहाली का संकेत देते हैं। एमएसएमई को ऋण से संबंधित संकेतक, ग्रामीण विकास व्यय (जिसमें वार्षिक आवंटन का 80 प्रतिशत से अधिक उपयोग की अपेक्षा है), बिजली की मांग, आदि क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने का संकेत देते हैं।

राज्य स्तर पर एक ओर जहां महामारी के कारण व्यय कई गुना बढ़ गया है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी के तहत राजस्व में गिरावट के कारण राजस्व में बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। इससे हर राज्य सरकार को जीएसटी की 14 प्रतिशत प्रस्तावित प्राप्ति और वास्तविक प्राप्ति के बीच बड़े अंतर को झेलना पड़ा। हालांकि इससे केंद्र और राज्यों के बीच कुछ तनाव पैदा हो सकते हैं, राज्यों पर अधिक ऋण लेने का दबाव बहुत बड़ा हो सकता है और इससे राज्य स्तर पर सार्वजनिक ऋण में व्यापक वृद्धि हो सकती है। यहां, जैसा कि कई सुझाव मिले हैं केंद्र के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह बाजार से सीधे उधार लेकर राज्यों की मदद करे ताकि राज्यों पर ब्याज का बोझ कम हो सके।

कुल मिलाकर, हमारे राय के अनुसार हालांकि घोषित किए गए राजकोषीय और मौद्रिक उपाय प्रचुर हैं इन उपायों का प्रभाव इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि इन्हें कैसे लागू किया जाता है। वर्तमान रुझानों को देखते हुए यह आशा की जा सकती है कि इन उपायों से अर्थव्यवस्था को बहाल करने में मदद मिलनी चाहिए, हालांकि बहाली की सीमा इस बात पर भी निर्भर कर सकती है कि आने वाले महीनों में महामारी की स्थिति क्या रुख लेगी। ये उपाय मुद्रास्फीति प्रबंधन को किस प्रकार प्रभावित करने वाले हैं ये भी उतने ही सरोकार का विषय है। ■

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंजिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079-26588669

विशेष आलेख

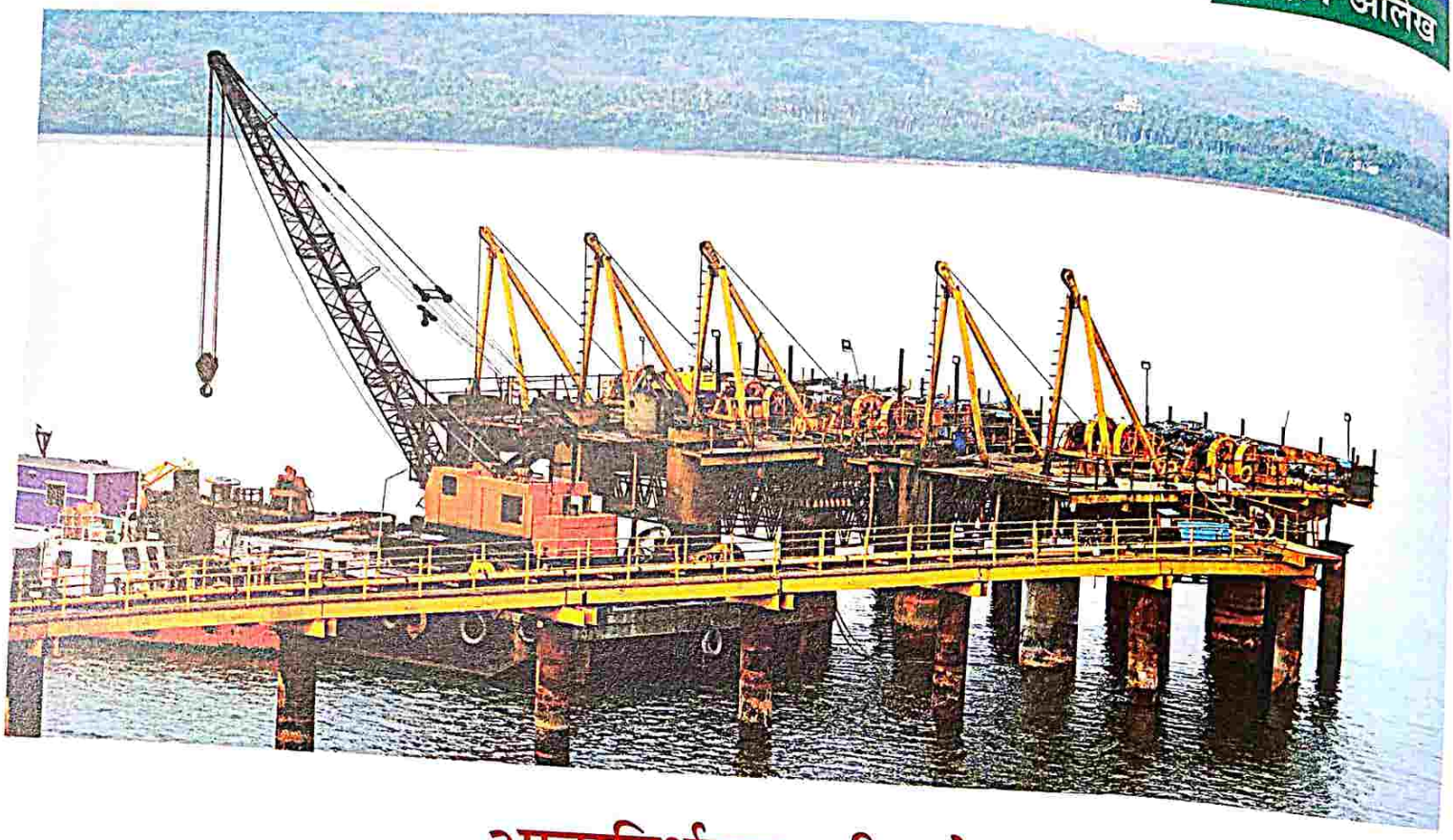

आत्मनिर्भरता की ओर

आनंद सिंह भाल
सुप्रिया मलिक

भारत की औद्योगिक नीति समय के साथ-साथ विकसित हुई है और समय की मांगों के अनुसार इसमें उपयुक्त परिवर्तन किए गए हैं। आजादी के बाद विकास की बागडोर सार्वजनिक क्षेत्र के हाथ में देना जरूरी था ताकि भविष्य के लिए ठोस औद्योगिक आधार तैयार हो सके। 1991 की औद्योगिक नीति एक चुनौती का सामना करने के लिए बनाई गई थी। इसमें उपयुक्त परिवर्तन किए गए ताकि शासन नियंत्रित अर्थव्यवस्था के दायरे से निकलकर नियंत्रण मुक्त और वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ा जा सके। उसके बाद के वर्षों में नीति बनाने वालों पर यह सोच हावी होने लगी कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में सीधे हस्तक्षेप करने के बजाय सहायक की भूमिका निभाए ताकि कार्य कुशलता और स्पर्धा पनप सके।

अतीत में भारत की औद्योगिक नीतियां

स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था के सामने ऐसी समस्याएं मुंह बाए खड़ी थीं जिनका समाधान असंभव लगता था। भारत के नीति-निर्माताओं के सामने मुख्य चुनौती गरीब कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था को उन्नत औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलने की थी। अनेक क्षेत्रों में आवंटन के लिए संसाधनों की भीषण कमी इस रास्ते में बड़ी बाधा थी। एक अल्पविकसित देश में संसाधनों के अभाव को देखते हुए सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास कर पाना कठिन था। अत: सीमित संसाधनों के आवंटन के लिए कुछ अग्रणी क्षेत्रों की पहचान कर ली गई। यही तरीका रोजेनस्टेन रोडान द्वारा प्रतिपादित 'बिग पुश' कहलाता है।

लेखक आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), नई दिल्ली में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं। ईमेल: asbhal@nic.in
लेखिका आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डीपीआईआईटी, नई दिल्ली में सहायक निदेशक हैं। ईमेल: supriya.malik@gov.in

दूसरी पंचवर्षीय योजना के रचनाकार पी सी महालनोबिस ने इस दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया जिसके तहत शासन के नेतृत्व में औद्योगीकरण पर मुख्य बल दिया गया जिसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना था। यह रणनीति एक उभरते हुए औद्योगिक तर्क पर आधारित थी कि आयात पर ऊंचे शुल्कों की आड़ में घरेलू उद्योगों को तब तक विकसित होने का मौका दिया जाए जब तक वे अपने पैरों पर खड़े न हो जाएं और सरकारी सहारे की जरूरत न रहे। इस रणनीति के तहत बागडोर सार्वजनिक क्षेत्र को सौंप दी गई। इसे अर्थव्यवस्था की असीम ऊंचाइयों को छूना था।

इसके साथ ही साथ सरकार ने समय-समय पर विभिन्न औद्योगिक नीतियों के जरिए अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। पहला महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति वक्तव्य सरकार की तरफ से जारी 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में दिखाई दिया जिसमें भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों का महत्व स्वीकार किया गया। इसके बाद 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया और 1951 का औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम जारी हुआ जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग की प्रधानता तो रही,

पहला महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति वक्तव्य सरकार की तरफ से जारी 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में दिखाई दिया जिसमें भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों का महत्व स्वीकार किया गया। इसके बाद 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया और 1951 का औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम जारी हुआ।

लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ती भूमिका का प्रावधान किया गया ताकि समय के साथ-साथ वह अर्थव्यवस्था को असीम ऊंचाई पर ले जा सके।

अब अगर 1990 के दशक पर गौर करें तो उस समय जारी नीति 1980 के दशक के अंतिम वर्षों से सुलग रहे संकट का उत्तर थी। उसमें औद्योगिक विनियमन, विदेश व्यापार नीति, मुद्रा विनियमन दर एवं भुगतान व्यवस्था, पूंजी बाजारों और बैंकिंग क्षेत्र और राजकोषीय एकत्रीकरण के मामले में व्यापक सुधार अपनाए गए। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस व्यवस्था को उदार बनाया गया और अन्य उपाय अपनाए गए।

भारत सरकार ने 2011 में एक नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग पॉलिसी यानी राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की। इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे: विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को मध्यम अवधि में 12-14 प्रतिशत बढ़ाना, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 2022 तक बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना, 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार के 10 करोड़ अतिरिक्त अवसर जुटाना तथा मैन्यूफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी की पैठ एवं घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाना।

अत: यह कहा जा सकता है कि भारत की औद्योगिक नीति समय के साथ-साथ विकसित हुई है और समय की मांग के अनुसार इसमें उपयुक्त परिवर्तन किए जाते रहे। आजादी के बाद संसाधन सीमित होने के कारण सोच-समझकर फैसला किया गया कि संसाधन कहां लगाए जाएं और पूंजीगत माल क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया। विकास की बागडोर सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपी गई ताकि भविष्यि के लिए ठोस औद्योगिक आधार तैयार हो सके। 1991 की औद्योगिक नीति एक चुनौती का सामना करने के लिए बनाई गई और शासन नियंत्रित अर्थव्यवस्था के दायरे से निकलकर

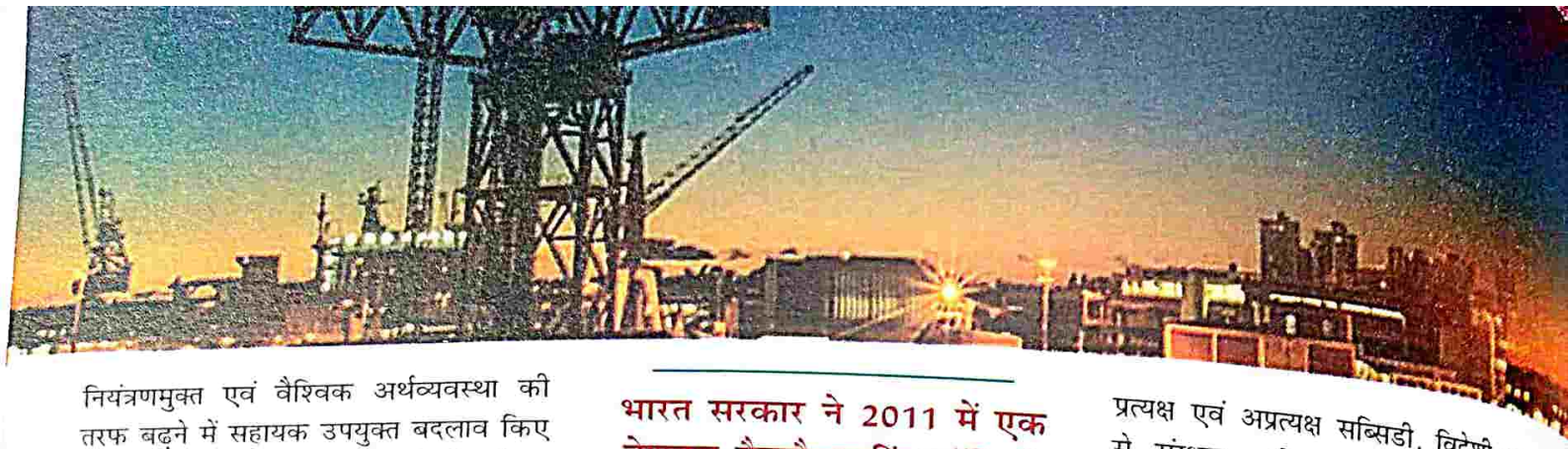

नियंत्रणमुक्त एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने में सहायक उपयुक्त बदलाव किए गए। समय के साथ-साथ नीति-निर्माताओं पर यह सोच हावी होने लगी कि सरकार, विभिन्न क्षेत्रों में सीधे हस्तक्षेप करने के बजाय स्पर्धा एवं कार्य कुशलता सुनिश्चित करने के लिए सहायक की भूमिका निभाए।

कोविड-19 के कारण नई सोच

विभिन्न क्षेत्रों में बाजार की शक्तियों की सहायता करने तथा निवेश निर्देशन में सरकार की भूमिका घटाने की आवश्यकता बताने वाली सोच पर कोविड-19 महामारी के दौर में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता पैदा हो गई। इस दृष्टिकोण में निहित खतरे उजागर हो गए क्योंकि सच यह था कि भारत न सिर्फ चिकित्सा संबंधी सामग्री, उपकरणों और औषधियों के लिए बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और रसायनों जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए भी कुछ देशों पर निर्भर है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ भी किया। इसके पीछे सोच यह है कि अनेक उपायों के जरिए आर्थिक क्षमताओं और योग्यताओं का पुनर्निर्माण किया जाए और आयात, विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण सामग्री के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाएं। इसका अर्थ विश्व से अपने को अलग-थलग कर लेना नहीं,

भारत सरकार ने 2011 में एक नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग पॉलिसी यानी राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की। इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे: विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को मध्यम अवधि में 12-14 प्रतिशत बढ़ाना, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 2022 तक बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना, 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार के 10 करोड़ अतिरिक्त अवसर जुटाना तथा मैन्यूफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी की पैठ एवं घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाना।

बल्कि खुद को शक्तिशाली बनाकर वैश्विक उत्पादन शृंखलाओं के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देना है। इस महामारी ने हमें कुछ अहम सबक सिखाए हैं जैसे कुछ प्रकार की महत्वपूर्ण सामग्री के लिए आयात निर्भरता कम करना, घरेलू क्षमता बढ़ाना और आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक दमदार बनाना।

सामान्यत: इस औद्योगिक नीति में कई तरह के नीतिगत साधन अपनाए जाते हैं जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी, विदेशी स्पर्धा से संरक्षण, वरीयता के आधार पर पूंजी की सुलभता, सरकारी खरीद की गारंटी और उत्पादन तथा आयात-निर्यात के फैसलों पर सरकार की स्वीकृति। इन साधनों के माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था के कुछ चुने हुए क्षेत्रों के विकास की दिशा तय करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना है।

कोविड उपरान्त जगत में औद्योगिक नीति में निम्नलिखित अंग शामिल हो सकते हैं:

1. विश्व के लिए मेक इन इंडिया अर्थात् भारत में उत्पादन जिसके लिए स्पर्धा में लाभ की स्थिति पाने हेतु कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि उनमें भारत विश्व बाजार में प्रमुख खिलाड़ी की हैसियत पा सके। इससे हम किसी भी देश पर महत्वपूर्ण चीजों के लिए निर्भरता कम कर सकेंगे और अधिक मात्रा में आवश्यक औषधियों/एपीआई, बिजली उपकरणों, उपभोक्ता सामान और रक्षा संबंधी उत्पादों सहित अनेक उत्पादों में आत्मनिर्भरता विकसित कर सकेंगे। शुरू में भले ही हम बाहर से आए कलपुर्जे जोड़कर उपकरण बनाने का काम करें लेकिन अंतत: कलपुर्जों के निर्माण में भी सक्षम हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ सरकार विभिन्न क्षेत्रों में जो भी पहल करे उन सब में रोज़गार सृजन

का पहलू महत्वपूर्ण होना चाहिए।

2. विश्व के लिए 'मेक इन इंडिया' नारे को साकार करने हेतु विश्वस्तरीय गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरना जरूरी है। उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता, स्पर्धा में श्रेष्ठता की कुंजी है। इतने वर्षों में भारत में मानकों और तकनीकी नियमन का तंत्र वैश्विक रुझानों के साथ कदम नहीं मिला सका है। इसके कारण एक तरफ भारतीय निर्यातकों को विश्व बाजारों में घुसने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ घरेलू उत्पादकों को सस्ते या घटिया आयात से टक्कर लेनी पड़ रही है। घरेलू मानक एवं तकनीकी नियमन तंत्र वैश्विक एवं क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में अपनाने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

क) उद्योग जगत को स्वैच्छिक मानक निर्धारण और विकास की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और यदि आवश्यकता हो तो उद्योग जगत के नेतृत्व में मानक निर्धारण संस्थाओं का उपयोग किया जाए।

ख) इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन (आईएसओ), इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन (आईईसी) और कोडेक्स जैसी अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण संस्थाओं में से चुने गए विशेषज्ञों की नियमित भागीदारी।

सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ भी किया। इसके पीछे सोच यह है कि अनेक उपायों के जरिए आर्थिक क्षमताओं और योग्यताओं का पुनर्निर्माण किया जाए और आयात, विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण सामग्री के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाएं।

ग) निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश के भीतर परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणीकरण के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना।

3. बुनियादी ढांचे में सुधार और लॉजिस्टिक्स यानी साजो-सामान की लागत में कमी, जो आपूर्ति पक्ष की ओर से काम करेगा और उत्पादन लागत कम करने में मददगार होगा जिससे भारत में बने उत्पाद विश्व बाजारों में अधिक स्पर्धात्मक हो सकेंगे।

4. कारोबार करने में आसानी एक और प्रमुख क्षेत्र है जिसमें सुधार आवश्यक हैं :

क) वास्तव में कारोबार करने में आसानी की व्यवस्था राज्य सरकारों और जिला अधिकारियों की गतिविधियों के दायरे में होनी चाहिए जो कारोबार स्थल से सबसे करीब होते हैं। राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि वे जिला स्तर पर कारोबार करने में आसानी की कसौटी पर जिलों की वर्गीकरण करें, जिससे स्पर्धात्मक संघीय व्यवस्था का महत्व उजागर होगा और बेहतर परिणाम मिलेंगे।

ख) विनियमन प्रभाव आकलन के लिए एक संस्थागत तंत्र होना चाहिए जो नए विनियमों का तटस्थ आकलन कर सकेगा। इस प्रयास का उद्देश्य उद्योग पर नियमों के पालन के कुल बोझ में अच्छी-खासी कमी कर देना है।

ग) स्थिर और अनुमन्य नीति व्यवस्था, व्यवसायों के पनपने के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करती है और कारोबार करने में आसानी में इसकी भी केन्द्रीय भूमिका है।

5. भारत में टेक्नोलॉजी की उन्नति भी मैन्यूफैक्चरिंग करने वाले अनेक अन्य देशों के समकक्ष नहीं रही है। इस बात की बहुत आवश्यकता है कि भारतीय उद्योगों को उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और वैश्विक तथा भारतीय अन्वेषकों द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी भारतीय उद्योगों को आसानी से सुलभ कराई जाए। उद्योग 4.0 में अनेक अवसर प्रदान किए गए हैं जैसे उत्पादकता में वृद्धि, बर्बादी में कमी और

आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तथा कोविड की चुनौती से निपटने के उपाय

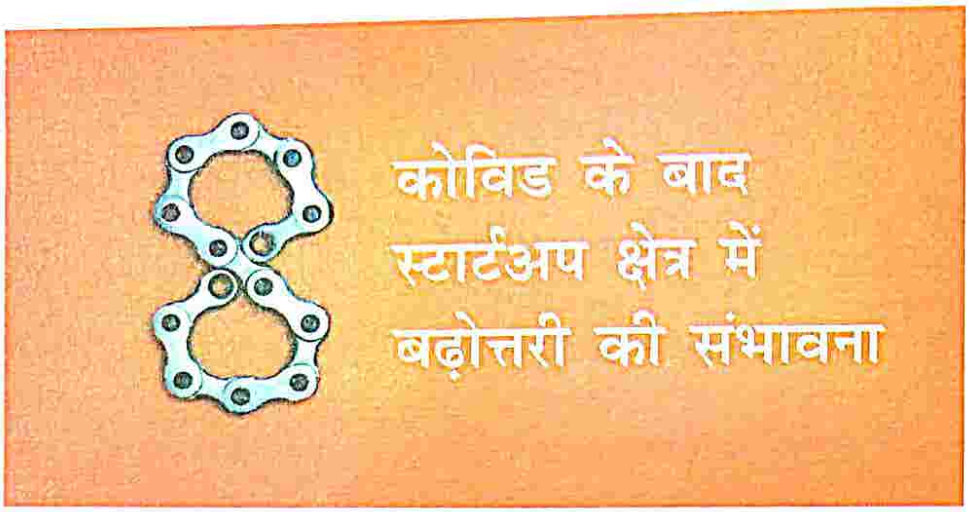

बेहतर कार्य कुशलता। किन्तु इसे अपनाने की लागत और नौकरियों में संभावित कमी को लेकर चिंताएं भी हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने को सहारा देने वाले उपाय और उन्नत टेक्नोलॉजी सुलभ कराने में सहायता देने से उद्योग जगत ऊंची छलांग लगा सकेगा और विश्व में अपने समकक्ष उद्योगों की बराबरी कर सकेगा।

क) डिजिटल तकनीक का उपयोग परंपरागत टेक्नोलॉजी की नई लहर का आधार होगा। भारत अभूतपूर्व गति से डिजिटल तकनीक अपना रहा है। इसमें मदद के लिए अनेक उपाय अपनाए जा सकते हैं जैसे नेशनल डिजिटल ग्रिड की स्थापना, डाटा संरक्षण की अद्भुत व्यवस्था और विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए बाजार में प्रवेश में सहायता देना। इन क्षेत्रों में कृषि, स्मार्ट सिटी, परिवहन सेवाएं, साजो-सामान और जन सुविधा वितरण आदि शामिल हैं।

ख) उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाकर उत्पादकता में लगातार वृद्धि वैश्विक स्पर्धा हासिल करने की बुनियादी शर्त है। नवाचार और टेक्नोलॉजी के स्वदेशी विकास पर जोर देना जरूरी है। माल और सेवाओं के उत्पादन के लिए अनेक स्मार्ट टेक्नोलॉजी अन्य स्थानों पर विकसित हुई हैं और आगे भी विकसित होती रहेंगी। वैश्विक स्तर की बराबरी करने और आगे विकास के लिए इन उन्नत और स्मार्ट टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने में आर्थिक समझदारी है। इसके लिए पहले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जिनमें अपनाने हेतु टेक्नोलॉजी को लक्षित किया जा सके। निजी क्षेत्र की भागीदारी से एक टेक्नोलॉजी विकास निधि स्थापित की जा सकती है जिससे टेक्नोलॉजी को खरीदा जा सके।

6. व्यवसाय जगत को कोविड-19 उपरान्त नई आर्थिक परिस्थितियों और वास्तविकताओं के अनुरूप तैयार करने लायक उपाय अपनाना।

क) कंपनियों को इस बात के लिए प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं कि वे व्यवसाय करने के वैकल्पिक साधन अपना लें। जैसे वेब पर उपस्थिति बढ़ाएं, सोशल मीडिया पर विज्ञापन दें, ग्राहक सेवा गतिविधियों का ऑनलाइन विस्तार करें और ई-कॉमर्स अपनाएं।

ख) वाणिज्य मंडल और क्षेत्र विशेष के संघ जैसे व्यवसाय समर्थक संगठन, व्यवसायों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। वे कंपनियों को आपस में जोड़कर कारोबारी अवसरों का मिलान कर सकते हैं जिससे खरीददार और विक्रेता दोनों के लिए लागत कम हो सकती है और परिमाण से किफायत की जा सकती है।

नवाचार और टेक्नोलॉजी के स्वदेशी विकास पर जोर देना जरूरी है। माल और सेवाओं के उत्पादन के लिए अनेक स्मार्ट टेक्नोलॉजी अन्य स्थानों पर विकसित हुई हैं और आगे भी विकसित होती रहेंगी। वैश्विक स्तर की बराबरी करने और आगे विकास के लिए इन उन्नत और स्मार्ट टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने में आर्थिक समझदारी है। इसके लिए पहले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जिनमें अपनाने हेतु टेक्नोलॉजी को लक्षित किया जा सके।

इस दिशा में सरकार के ताजा उपाय

कोविड-19 महामारी के दौर में सरकार ने उपरोक्त कसौटियों के अनुरूप अपनी तरफ से विभिन्न उपाय अपनाए हैं। देश के भीतर और विश्व में कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव के आकलन का सिलसिला चल रहा है इसलिए इन प्रयासों में भी प्रगति हो रही है।

1. देश के भीतर विनिर्माण बढ़ाना

क) मेक इन इंडिया 2.0 15 चैंपियन क्षेत्रों में घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग पर केन्द्रित है। जैसे वस्त्र और सिले-सिलाए वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न एवं आभूषण, औषधि, रसायन, मोटर वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, चमड़ा एवं जूता-चप्पल आदि। यह काम संबद्ध मंत्रालयों के साथ परामर्श से हो रहा है।

ख) मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, एपीआई और चिकित्सा उपकरणों की मैन्यूफैक्चरिंग में अनेक उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं (प्रोडक्शन लिंक्डाइंसेंटिव) को मंजूरी दी गई है। अनेक अन्य क्षेत्रों को भी यह सुविधा देने पर विचार किया जाएगा ताकि उद्योग जगत को उपयुक्त प्रोत्साहन मिल सके।

ग) सेल्यूलर मोबाइल हैंडसेट और ई-वाहनों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (फेज्ड मैन्यूफैक्चरिंग प्रोग्राम) चलाया जा रहा है। नीति आयोग ने इस कार्यक्रम के विस्तार के लिए एलईडी लाइट्स, नेटवर्क उत्पाद, सुरक्षा उपकरण, औषधियों और मानव निर्मित फाइबर की पहचान की है।

घ) उद्योग जगत के साथ परामर्श से ऐसे 20 क्षेत्रों की पहचान की गई है जिन पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इनमें शामिल हैं : इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, एल्यूमिनियम (रक्षा, निर्माण और पैकेजिंग के लिए), मोटर वाहन कलपुर्जे, इलेक्ट्रिक वाहन कलपुर्जे और इंटीग्रेटिड सर्किट, वस्त्र, चमड़ा और चप्पल-जूते, भारतीय रेडी टू ईट उत्पाद, चिकित्सा उपकरण, कृषि रसायन, पूंजीगत सामान जैसे औद्योगिक मशीनरी और ट्रांसमिशन लाइन, इथेनॉल, टीवी और सेटटाप बॉक्स, संसाधित समुद्री उत्पाद (जैसे झींगा, प्रॉन और ट्यूना मछली), कृषि आहार संसाधन (संतरा, आम, आलू), फर्नीचर, स्टील, क्लोज सर्किट कैमरा, खिलौने, खेलों का सामान, जिम उपकरण।

ड.) मेक इन इंडिया और घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को आकर्षक बनाने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने सरकारी खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश में संशोधन कर ऐसे परिवर्तन किए हैं जो घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने में सहायक होगा।

च) आयात में उछाल और सस्ते आयात की समस्या से निपटने और घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को सहारा देने के लिए सरकार ने हाल के महीनों में आयात पर अनेक प्रतिबंध लगाए हैं इनमें (i) पाम ऑयल, पामोलिन, टायर और टेलीविजन सेट जैसी वस्तुओं को 'मुक्त' से हटाकर नियंत्रित श्रेणी में रखना; (ii) आयात निगरानी व्यवस्था; (iii) मटर और उड़द की दाल जैसे कृषि उत्पादों के लिए आयात कोटा निश्चित करना; (iv) खिलौनों, गुड़ियों जैसे उत्पादों के प्रयोगशाला जांच के लिए अचानक नमूने लेना शामिल हैं।

2. देश के भीतर मैन्यूफैक्चरिंग, निवेश और टेक्नोलॉजी उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना

क) भारत सरकार निरन्तर प्रयास करती रही है कि एक सामर्थ्यकारी और निवेशक हितैषी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति अपनाई जाए। इसका इरादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को अधिक से अधिक निवेशक हितकारी बनाने, उसे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप रखने और देश में निवेश की आमद में अड़चने डालने वाली नीतिगत बाधाओं को हटाने का रहा है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की हिस्सेदारी अन्य समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है। बुनियादी ढांचागत विकास से आपूर्ति श्रृंखला में मजबूती, अनेक उत्पादों में प्रोफिट लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाओं, मेक इन इंडिया पर जोर, गुणवत्ता सुधारने के लिए निरन्तर प्रयास एवं घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए उठाए गए उपरोक्त कदमों से भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी छाप छोड़ सकेगा।

ख) सरकार सतत् विदेशी निवेश आकर्षित करने की रणनीतियां विकसित करने पर काम कर रही है, विशेषकर ऐसी विदेशी कंपनियों से जो अपने मैन्यूफैक्चरिंग में विविधता लाने और निवेश बढ़ाने के अवसर खोज रही हैं। चुने गए देशों से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दोतरफा नीति अपनाई गई है: (1) आमने-सामने मुलाकातों का आयोजन करना जिससे भारत में उनकी निवेश/विस्तार योजनाओं की जानकारी मिले और जहां कहीं आवश्यक हो आवश्यक सुविधा सहायता प्रदान की जा सके; और (2) उनकी मौजूदा गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

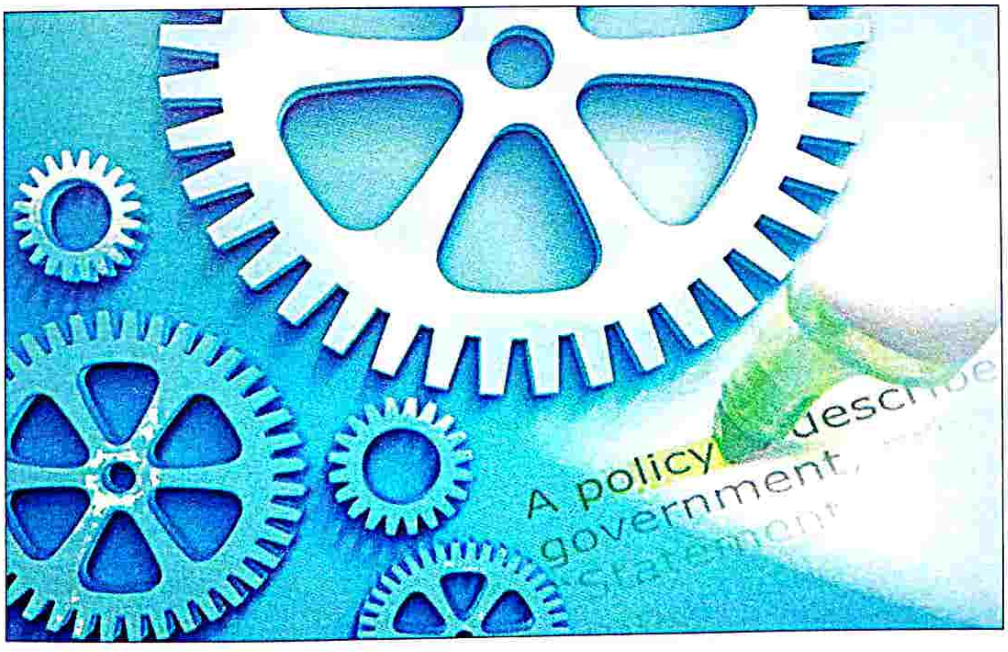

ग) सरकार ने भारत में निवेश लाने में सहायता करने और उसके तंत्र को चुस्त करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल (पीडीसी) के गठन को मंजूरी दे दी है। सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के बीच सामंजस्य रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि प्रस्तावों को समय से स्वीकृति मिल जाए, निवेश समर्थन और सहायता सुलभ हो और नीति में स्थायित्व रहे। प्रशासनिक मंत्रालयों में पीडीसी निवेश लायक परियोजनाओं के दिशानिर्देश तैयार करेंगे।

3. बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स

क) सरकार ने एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन-एनआईपी) की स्थापना की है। इससे जुड़े कार्य दल की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार इसमें 111 लाख करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं शामिल होंगी। इनमें से करीब 44 लाख करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

ख) सरकार एक नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी निर्धारित कर रही है जिसका उद्देश्य लागत में भारी कमी लाना है।

निष्कर्ष

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की हिस्सेदारी अन्य समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है। बुनियादी ढांचागत विकास से आपूर्ति श्रृंखला में मजबूती, अनेक उत्पादों में प्रोफिट लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाएं, मेक इन इंडिया पर जोर, गुणवत्ता सुधारने के लिए निरन्तर प्रयास एवं घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों से भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी छाप छोड़ सकेगा। इनकी मदद से भारत उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पैदा किए गए अवसरों का लाभ उठा सकेगा जो अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं और मैन्यूफैक्चरिंग केन्द्रों में विविधता लाने के अवसर तलाश रही हैं। इस सबके लाभ सिर्फ देश की सीमाओं के भीतर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' का सपना साकार करने में भी सहायक होंगे। ■

रोज़गार के लिए संकल्प

जुथिका पाटनकर
डॉ मनीष मिश्र

कौशल प्रशिक्षण तंत्र को मौजूदा और संभावित मांग, प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षण देने वालों और नियोक्ताओं के संपूर्ण परिदृश्य को ध्यान में रखना चाहिए। भारत की जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक और संसाधन विविधता को देखते हुए इस तरह की व्यवस्था को पूरी तरह स्थापित करने का काम अभी कुछ समय और चलता रहेगा।

डेमोग्राफिक डिविडेंड (जनसांख्यिकीय लाभ) यानी जनसंख्या में अर्थव्यवस्था में योगदान देने में सक्षम आयु वर्ग का अनुपात ज्यादा होने के बावजूद कोविड-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में कामगारों के वापस अपने गांवों की ओर पलायन ने अनेक राज्यों के लिए अभूतपूर्व चुनौती खड़ी की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों की वापसी की संभावना ने उन्हें स्थानीय स्तर पर रोज़गार दे पाने की उनके गृह राज्यों की तैयारी को आज़माइश में डाल दिया। स्थानीय स्तर पर लाभदायक रोज़गार दे पाने की समस्या का समाधान केवल बाजार संचालित अवसरों पर ही निर्भर नहीं है क्योंकि बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय असमानताएं मौजूद हैं जिनमें अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र अल्प विकसित भी हैं।

इस चुनौती को देखते हुए इनमें से कई राज्यों की सरकारों ने व्यापक व्यवस्थाओं की घोषणा की। इन उपायों में वापस आए कामगारों और उनके कौशल स्तरों का पंजीकरण करना तथा केंद्र या राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं में रोज़गार के अवसर से जुड़ी जानकारी एकत्रित करना शामिल है। हालांकि यह प्रक्रिया अभी चल रही है लेकिन यह स्पष्ट हो रहा है कि इस तरह के काम को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर ऐसी मजबूत संस्थाओं की आवश्यकता है जिनमें गंभीरता से नियोजन और कार्यान्वयन की भारी क्षमता हो। इस स्थिति ने विकेंद्रीकरण की पुरानी व्यवस्था पर फिर से ध्यान केंद्रित करने को विवश कर दिया है। यह साफ ज़ाहिर है कि रोज़गार अवसरों की पहले से पहचान कर लेने के लिए जमीनी स्तर पर पर्याप्त क्षमताओं का निर्माण करना होगा और परिणाम उन्मुख कौशल प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर कौशल जरूरतों का पहले से अनुमान लगाना महत्वपूर्ण होगा। पर यह कैसे होगा और अब तक क्यों नहीं हुआ यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके लिए कौशल विकास तंत्र, उसके विस्तार के रास्ते और उसके नियोजन तथा संचालन के विकेंद्रीकरण के दायरे के बारे में ध्यान पूर्वक जांच परख की आवश्यकता है।

भारत में 48 करोड़ 70 लाख कामगार है और और हर महीने 10 लाख से अधिक लोग श्रमबल का हिस्सा बनते हैं। लेकिन दो-तिहाई भारतीय नियोक्ताओं का कहना

लेखिका भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं तथा भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय में अपर सचिव हैं। ईमेल: juthikapatnakar64@gmail.com
लेखक एमएसडीई के संकल्प कार्यक्रम में प्रमुख सलाहकार हैं। ईमेल: mishra06@gmail.com

है कि उन्हें उपयुक्त कौशल वाले कामगारों को ढूंढ़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। विश्व आर्थिक मंच की मानव पूंजी विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 122 देशों में 78 वें स्थान पर है। हाल के वर्षों में कम से कम 20 सरकारी विभाग कौशल विकास कार्यक्रम चला रहे हैं। ऐसे में भारत को तो इससे और बेहतर स्थिति में होना चाहिए। शिक्षा की बजाय कौशल विकास का परिणाम नियोक्ताओं और समाज की अपेक्षाओं के साथ बदलता है। कौशल विकास में निवेश की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप के अवसर कितनी आसानी से सुलभ हो पा रहे हैं और कार्यक्षेत्र में कितनी सहजता से प्रवेश मिल पा रहा है। इसलिए कौशल प्रशिक्षण तंत्र को मौजूदा और संभावित मांग, प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षण देने वालों और नियोक्ताओं के संपूर्ण परिदृश्य को ध्यान में रखना चाहिए। भारत की जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक और संसाधन विविधता को देखते हुए इस तरह की व्यवस्था को पूरी तरह स्थापित करने का काम अभी कुछ समय और चलता रहेगा।

विकेंद्रीकृत कौशल विकास कार्यक्रम तैयार करने और उसे लागू करने से व्यवस्थित ढंग से मांग के अनुरूप कार्य होगा जिसके फलस्वरूप आपूर्ति तंत्र खुद ब खुद इस मांग को पूरा करने के लिए नए सिरे से फेरबदल कर लेगा। कोविड-19 संकट की वजह से प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे की संरचना और प्रबंधन के साथ-साथ श्रमिक कल्याण और सुरक्षा से संबंधित मुद्दे अब राज्य सरकारों के मुख्य एजेंडे में है और इससे स्थानीय स्तर पर मांग और आपूर्ति के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो सकेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम संकल्प (आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति और ज्ञान जागृति) अन्य मुद्दों के अलावा, कौशल नियोजन और कार्यान्वयन के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है।

प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए मौजूदा संस्थानों का व्यापक स्तर पर उपयोग करना होगा। अभी राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण नीति और प्रबंधन की जिम्मेदारी भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) पर है और उसे कई संस्थाओं से सहायता मिल रही है। राज्य स्तर पर कौशल विकास के प्रबंधन के लिए लगभग सभी राज्यों में राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) लागू किए गए हैं। अधिकांश राज्यों ने कौशल विकास प्रबंधन के लिए अलग से जिला समितियां (आमतौर पर जिन्हें डीएससी कहा जाता है लेकिन राज्य में विभिन्न नामों से प्रचलित हैं) भी गठित की हैं। अत: भारत में कौशल विकास तंत्र में कौशल के क्षेत्र में विकेंद्रीकृत नियोजन की परिकल्पना पहले से ही निहित है। किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य या जिला स्तर पर हर जगह एमएसडीई जैसा हुबहू संगठन नहीं होता इसलिए ज़िला कौशल समितियों के 15-20 सदस्यों में आमतौर पर जिला कौशल अधिकारी नहीं मिलता।

ज़िला कौशल समितियों में विभिन्न विभागों के जिला स्तर के सरकारी अधिकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त ज़िला कौशल समितियों में स्थानीय वाणिज्य और उद्योग मंडल, नागरिक समाज संगठनों आदि को भी शामिल किया जा सकता है। ज़िला कौशल समितियों से अपनी आर्थिक परिस्थिति, बाजार की स्थितियों तथा संस्थागत सुविधाओं के आधार पर जिला मानव संसाधन के लिए व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण और रोज़गार सुलभ कराने पर विचार करने और योजना बनाने की आशा रखी जाती है।

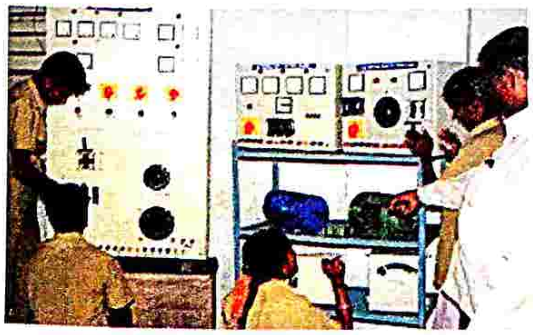

ज़िला कौशल समितियों से अन्य मुद्दों के अलावा मांग और आपूर्ति के बीच असमानता कम करने, समाज के हाशिए पर जीते सभी वर्गों के समावेशन में मदद करने, मजदूरों के प्रवासन संबंधी मुद्दों के प्रबंधन और मजबूत निगरानी व्यवस्था प्रदान करने की उम्मीद रहती है।

यह परिकल्पना तो बहुत दमदार लगती है पर असल में उपरोक्त सभी अपेक्षाओं को साकार करने के मामले में ज़िला कौशल समितियों की आखिर आज क्या स्थिति है? कई जगह ज़िला कौशल समितियां अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कार्य योजना तक नहीं बना सकी है। इनमें नेतृत्व क्षमता के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों का अभाव है। अधिकांश के पास काम चलाने लायक सचिवालय तक नहीं है। जिला स्तर पर उनकी स्थिति और भूमिका अभी पूरी तरह स्पष्ट भी नहीं है। इनकी क्षमता इस पर निर्भर करती है कि सदस्य कितनी लगन से काम कर रहे हैं। कई जगह अनेक ज़िला कौशल समितियों ने जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी)बनाई है लेकिन वास्तव

में सही मायने में उनका योगदान या प्रक्रिया में भागीदारी अस्पष्ट है।

तो क्या वाकई में ज़िला कौशल समितियों से विकेंद्रीकरण का आरंभ होना चाहिए? हां क्योंकि यह एक तैयार मंच है जिससे कौशल विकास नियोजन और कार्यान्वयन के सारके काम को दिशा और दृष्टि प्रदान की जा सकती है। सरकारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देकर ज़िला कौशल समितियों को मजबूत करना होगा। आर्थिक क्षमता को आंकने और कौशलों को अवसरों के अनुरूप ढालने के लिए पेशेवरकर्मियों और विषय संबंधी जानकारों की सेवाएं ली जानी चाहिए। राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) और ज़िला कौशल समितियों के बीच मजबूत कामकाजी समन्वय जरूरी है ताकि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अवसरों और क्षमताओं को ज़िला कौशल समितियों के काम में शामिल किए जा सके। संकल्प कार्यक्रम जिला स्तर की योजनाओं की तैयारी के सिलसिले में ज़िला कौशल समितियों को मार्गदर्शन देने और तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण के जरिए ज़िला कौशल समितियों की क्षमताओं का निर्माण करने के लिए एसएसडीएम को प्रोत्साहन देकर यह समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

यह निष्कर्ष है पर वास्तव में शुरुआत यही होगी कि विकेंद्रीकरण का दायरा ज़िला कौशल समितियों से आगे ग्राम पंचायत तक बढ़ाना होगा। कौशल नियोजन और कार्यान्वयन में सक्रिय भागीदार ग्राम पंचायतों के दम पर मजबूत ज़िला कौशल समितियां न केवल कोविड-19 के कारण गांवों में उत्पन्न संकट और टिकाऊ आजीविका की जरूरत की मौजूदा चुनौतियों से निपटने में सहायक होंगी बल्कि उत्कृष्ट उत्पादकता के लिए उन्नत कौशल के जरिए श्रम बाजार की गुणात्मक वृद्धि भी सुधारेंगी और अर्थव्यवस्था में अधिक समान हिस्सेदारी के लिए आर्थिक स्थिति को मज़बूती प्रदान करेंगी। ■

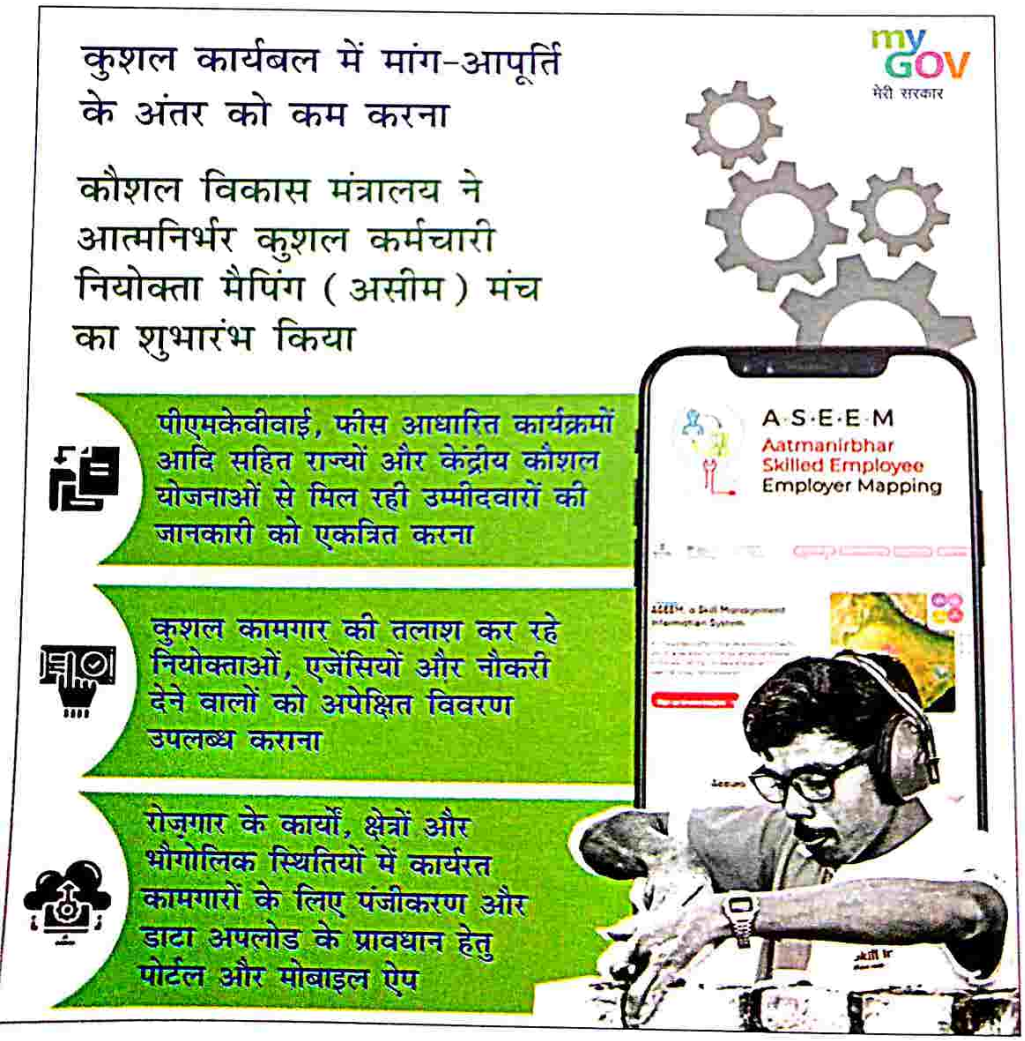

समावेशी विकास और रोज़गार सृजन

डॉ अमिय कुमार महापात्र
डॉ श्रीरंग के झा

राष्ट्र का विकास काफी हद तक नागरिकों के विकल्पों और क्षमताओं के विस्तार से जुड़ा है। इससे जनसाधारण के जीवन स्तर और कल्याण में सुधार आना चाहिए। लिहाजा, भारत में रोज़गार और विकास से जुड़े विभिन्न मसलों से निपटने में जनभागीदारी और नीतिगत हस्तक्षेप अपरिहार्य है। इनसे ही समावेशी और संवहनीय विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

समावेशी विकास वक्त की जरूरत है। यह देशवासियों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है। समावेशी विकास समाज के वंचित और असहाय तबकों तक खुद नहीं पहुंचता। यह सरकार के संकेन्द्रित और सुनियोजित कदमों का परिणाम होता है। राष्ट्र का विकास नागरिकों के विकल्पों और क्षमताओं के विस्तार से काफी हद तक जुड़ा है। इससे जनसाधारण के जीवन स्तर और कल्याण में सुधार आना चाहिए। सच्चे लोकतंत्र की जीत के लिये कल्याण की विभिन्न योजनाओं में जनभागीदारी अनिवार्य है। हमारे देश के 'लोकतंत्र और स्वराज' की सफलता का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि हम उनके लिये योजना कैसे बनाते हैं जिन तक योजनाओं का लाभ अब तक नहीं पहुंचा। विकास का लाभ वंचितों तक नहीं पहुंचे तो लोकतंत्र अपना महत्व खो देगा। लिहाजा, भारत में रोज़गार और विकास से जुड़े विभिन्न मसलों से निपटने में जन भागीदारी और नीतिगत हस्तक्षेप अपरिहार्य है। इससे ही समावेशी और संवहनीय विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

समावेशी विकास की जनसांख्यिकीय रूपरेखा और सामाजिक तत्वों का झुकाव शहरी क्षेत्रों की ओर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गांवों की बुनियादी संरचनाओं के विकास की जरूरत स्पष्ट महसूस की जा रही है। पर्याप्त और सुलभ बुनियादी संरचनाओं से गांवों में जीवन की गुणवत्ता और आजीविका की स्थिति में सुधार आयेगा। बेहतर बुनियादी संरचनाओं से आर्थिक विकास को बल मिलता है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार बुनियादी संरचनाओं में एक प्रतिशत सुधार से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के विकास की दर में इतना ही इजाफा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बुनियादी संरचनाओं के विकास का प्रभाव और भी ज्यादा होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि समावेशी विकास के लिये ग्रामीण बुनियादी संरचनाओं में सुधार महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने भारत को 'फाइन' बनाने के लिये कई योजनाएं चलायी हैं। यहां *'फाइन' का मतलब फाइनांस (वित्त), इनोवेशन (नवाचार), नेटवर्किंग और एंटरप्रेन्योरशिप (उद्यमिता)* है। इन योजनाओं का मकसद सामाजिक और आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। देश में समावेशी विकास के लिये मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। इन योजनाओं को खास तौर से युवाओं और समाज के हाशिये पर खड़े तबकों की जरूरतों को ध्यान में रख कर बनाया गया है।

जनसांख्यिकीय लाभ का दोहन यानी इसे अवसर में बदलना

जनसांख्यिकीय लाभों के लिहाज से भारत की स्थिति अनूठी है। देश की 62 प्रतिशत से ज्यादा आबादी 15 से 59 वर्ष के बीच उम्र की है। इस उम्र वर्ग के नागरिकों की संख्या 2035 तक कुल आबादी के 65 प्रतिशत तक पहुंच जाने की संभावना है। लेकिन हम

डॉ अमिय कुमार महापात्र एफओएसटीआईआईएमए बिजनेस स्कूल, नयी दिल्ली के उपनिदेशक हैं। ईमेल: amiyacademics@gmail.com
डॉ श्रीरंग के झा एपीजे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, नयी दिल्ली में क्षेत्र प्रमुख हैं। ईमेल: jha.srirang@gmail.com

तालिका 1 : एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिये बड़े हस्तक्षेप और उनके प्रभाव

क्र.	हस्तक्षेप	प्रभाव
1.	एमएसएमई समेत व्यवसायों के लिये 300000 करोड़ रुपये का आनुषांगिक मुक्त स्वत: ऋण	45 लाख इकाइयों में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होने और नौकरियों की रक्षा की संभावना
2.	एमएसएमई के लिये 20000 करोड़ रुपये का सहायक ऋण	दो लाख एमएसएमई को लाभ होने की संभावना
3.	एमएसएमई कोष के जरिये 50000 करोड़ रुपये का इक्विटी निषेचन	एमएसएमई के आकार के विस्तार में मदद मिलने की संभावना। वे स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के लिये प्रेरित होंगे।
4.	200 करोड़ रुपये तक वैश्विक निविदाओं को मंजूरी नहीं	एमएसएमई के लिये व्यवसाय के अवसरों में इजाफा और विदेशी कंपनियों से गैरवाजिब प्रतिस्पर्धा कम होने की संभावना। इससे भारतीय एमएसएमई के निविदाओं में सफल होने के अवसर बढ़ेंगे।
5.	व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के विकल्प के तौर पर एमएसएमई के लिये ई-बाजार से संपर्क को बढ़ावा दिया जायेगा	एमएसएमई के लिये व्यवसाय के अवसरों के बढ़ोतरी
6.	व्यवसायों और कामगारों को तीन और महीनों के लिये 2500 करोड़ रुपये का ईपीएफ समर्थन	3.67 लाख प्रतिष्ठानों को लिक्विडिटी राहत मिलने की संभावना जिनमें 72.22 लाख कामगार काम करते हैं
7.	व्यवसायों और कामगारों के लिये तीन महीनों तक ईपीएफ योगदान में 6750 करोड़ रुपये की कटौती	6.5 लाख प्रतिष्ठानों को राहत मिलने की संभावना जिनमें ईपीएफओ के दायरे में आने वाले लगभग 4.3 करोड़ कामगार काम करते हैं

आत्मनिर्भर प्रेजेंटेशन पार्ट 1: बिजनेस इनक्लूडिंग एमएसएमईज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2020 पर आधारित

इस जनसांख्यिकीय स्थिति का सही मायनों में लाभ अब तक नहीं उठा सके हैं। आबादी के इस हिस्से को उत्पादकता और संपन्नता की खान में तब्दील करना पूरी तरह संभव है। इसके लिये एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा जिसमें लाखों सूक्ष्म उद्यमियों का परिपोषण हो सके। ये उद्यमी जो कुछ आसानी से मिल जाये उससे संतुष्ट होने के बजाय संपन्नता के सर्जक बनेंगे। प्रधानमंत्री ने किसानों की आमदनी चरणबद्ध ढंग से दोगुनी करने का कठिन बीड़ा उठाया है। सरकार ने किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करने के लिये अनेक कानून बनाये हैं ताकि उन्हें अपनी उपज का वाजिब मूल्य मिल सके। बड़े व्यावसायिक घराने कृषि उत्पादों की सीधी खरीद करेंगे तो लंबे समय में इससे किसान लाभान्वित होंगे। अमूल जैसी सफल सहकारी समितियों का अनुभव बताता है कि बिचौलियों को हटाने से पशुपालकों की आमदनी में इजाफा हुआ है।

भारत सरकार ने पिछले छह वर्षों में कृषि संकट को घटाने पर खास तौर से ध्यान दिया है। इस मकसद से जो कानून, नीतियां और व्यवस्थाएं बनायी गयी हैं उनसे देश में उद्यमिता के लिये मददगार माहौल बनाने में भी मदद मिली है। मौजूदा समय में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यताप्राप्त लगभग 28 हजार स्टार्टअप सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि की बदौलत भारत में स्टार्टअप की संस्कृति जिस तरह विकसित हुई वह समूचे विश्व के लिये मिसाल है। *'वोकल फॉर लोकल'* और *'आत्मनिर्भर भारत'* के नये मंत्र से बिना किसी भेदभाव के सभी के लिये बड़े पैमाने पर अवसर पैदा होंगे। इस तरह देश पहले से ही समावेशी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आलोचकों को सिर्फ पैदा हुई नौकरियों को गिनने के बजाय स्टार्टअप और अन्य छोटे उद्यमों की बढ़ती तादाद पर भी गौर करना चाहिए।

कौशल विश्वविद्यालयों के जरिये औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण से उद्योग की इस निरंतर शिकायत का समाधान होने की संभावना है कि नौकरियों के उम्मीदवार अक्सर इनके योग्य नहीं होते हैं। औपचारिक और मानक कौशल तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण से पगार और अन्य लाभों के संबंध में रोज़गार की गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है।

रोज़गार का परिदृश्य

हाल के अरसे में दुनिया भर में रोज़गारों में गिरावट दर्ज की गयी है। बेरोज़गारी की वैश्विक दर कुल कार्यबल का 5.5 प्रतिशत है। ऐसे में भारत में भी बेरोज़गारी दर में वृद्धि लाजिमी है। देश में कार्यबल का 6.1 प्रतिशत हिस्सा बेरोज़गार बताया जा रहा है। लेकिन देश के वेतन भुगतान रजिस्टरों के आंकड़ों से लगता है कि हालात इतने बुरे भी नहीं हैं। कर्मचारी भविष्यनिधि कोष (ईपीएफ) की सदस्यता के आधार पर देखें तो औपचारिक क्षेत्र में कामगारों की संख्या लगभग नौ करोड़ 19 लाख है। वेतन भुगतान रजिस्टर के आंकड़ों के अनुसार हर माह 5.9 लाख नौकरियां पैदा हो रही हैं। दुर्भाग्य से हमारे पास वेतन भुगतान रजिस्टर के विस्तृत आंकड़े सुलभ नहीं हैं जिनके आधार पर रोज़गार या बेरोज़गारी के बारे में निष्कर्ष निकाले जा सकें। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) और श्रम ब्यूरो देश में रोज़गार और बेरोज़गारी का अनुमान लगाने के लिये वेतन भुगतान के रजिस्टर के आंकड़ों को आधार बनायें तो बेहतर होगा। अनेक विकासशील देश पहले

से ही इस काम के लिये वेतन भुगतान रजिस्टर के आंकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह इसलिये भी ज्यादा प्रासंगिक होगा कि भारत सरकार बड़ी संख्या में अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा के प्रावधानों के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है। इस तरह वेतन भुगतान रजिस्टर के आंकड़ों से रोज़गारों और बेरोज़गारी की सही तस्वीर सामने आ सकती है।

देश में नौकरियों के अवसर बढ़ने का रुझान दिखायी दे रहा है। वर्ष 2022 तक मानव संसाधन की जरूरतों का क्षेत्रवार अनुमान तालिका-2 में दिया गया है। वर्ष 2017 और 2022 के बीच मानव संसाधन की जरूरतों में कुल अंतर 10.34 करोड़ का है। ये आंकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि आने वाले वर्षों में नौकरी के अवसरों में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है। मगर रोज़गार के उभरते परिदृश्य का फायदा उठाने के लिये ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में युवाओं में कौशल विकास

एनआरए समावेशन, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांत पर आधारित एक पारदर्शी प्रणाली है। चूंकि अंक कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर मिलेंगे इसलिये सफल उम्मीदवारों को चुनने में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रहेगा। एनआरए के परीक्षा केन्द्र हर जिले में होंगे।

तालिका 2 : 2022 तक मानव संसाधनों की जरूरतों का क्षेत्रवार अनुमान

क्र.	क्षेत्र	2017 में मानव संसाधनों की जरूरत (मिलियन में)	2022 में मानव संसाधनों की जरूरत (मिलियन में)	मानव संसाधनों की जरूरतों में अंतर (2022-2017) (मिलियन में)
1.	कृषि	229	215.5	13.5
2.	भवन निर्माण और जमीन जायदाद	60.4	91	30.6
3.	खुदरा व्यापार	45.3	56	10.7
4.	परिचालन तंत्र, परिवहन और भंडार	23	31.2	8.2
5.	कपड़ा और वस्त्र	18.3	25	6.7
6.	शिक्षा और कौशल विकास	14.8	18.1	3.3
7.	हथकरघा और हस्तशिल्प	14.1	18.8	4.7
8.	वाहन और वाहनों के पुर्जे	12.8	15	2.2
9.	निर्माण सामग्री और इमारती हार्डवेयर	9.7	12.4	2.7
10.	निजी सुरक्षा सेवाएं	8.9	12	3.1
11.	खाद्य प्रसंस्करण	8.8	11.6	2.8
12.	पर्यटन आतिथ्य और यात्रा	9.7	14.6	4.9
13.	घरेलू सहायक	7.8	11.1	3.3
14.	जवाहरात और जेवर	6.1	9.4	3.3
15.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर	6.2	9.6	3.4
16.	सौंदर्य और सेहत	7.4	15.6	8.2
17.	फर्नीचर और फर्निशिंग	6.5	12.2	5.7
18.	स्वास्थ्य सेवा	4.6	7.4	2.8
19.	चमड़ा और चमड़े के सामान	4.4	7.1	2.7
20.	सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं	3.8	5.3	1.5
21.	बैंकिंग, वित्त सेवाएं और बीमा	3.2	4.4	1.2
22.	दूरसंचार	2.9	5.7	2.8
23.	फार्मास्यूटिकल	2.6	4	1.4
24.	मीडिया और मनोरंजन	0.7	1.3	0.6
	कुल	**510.8**	**614.2**	**103.4**

स्रोत: एनवर्नमेंटल स्कैन रिपोर्ट 2016, एनएसडी

पर ध्यान केन्द्रित किये जाने की जरूरत है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से देश में समग्र व्यावसायिक शिक्षा के लिये बड़ी संख्या में कौशल विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी है। कौशल विश्वविद्यालयों की अवधारणा अनूठी और नवाचारी है। देश के युवा पारंपरिक तौर पर व्यावसायिक कौशल अपने परिवार में ही हासिल करते हैं जिससे उनकी प्रगति अवरुद्ध होती है। कौशल विश्वविद्यालयों के जरिये औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण से उद्योग की इस निरंतर शिकायत का समाधान होने की संभावना है कि नौकरियों के उम्मीदवार अक्सर इनके योग्य नहीं होते हैं। औपचारिक और मानक कौशल तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण से पगार और अन्य लाभों के संबंध में रोज़गार की गुणवत्ता में भी सुधार आने की संभावना है।

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) : एक युगांतरकारी परिकल्पना

केन्द्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के गठन की घोषणा की है। यह सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया को सुचारू बनाने और उसके मानकीकरण के लिहाज से युगांतरकारी साबित हो सकती है। सरकार देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। सरकारी सेवाओं में नौकरी पाने के उम्मीदवार अब बेहतर स्थिति की उम्मीद कर सकते हैं। एनआरए सरकारी नौकरियों के उम्मीदवारों के लिये कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करेगी जिसके अंक तीन साल तक मान्य होंगे। कोई उम्मीदवार जितनी बार चाहे इस परीक्षा में भाग लेकर अपने अंकों में सुधार कर सकता है। उसे अलग-अलग नौकरियों के लिये अनेक परीक्षाएं देने के बजाय एक ही परीक्षा में भाग लेना होगा। एनआरए के गठन से पहले नौकरियों के उम्मीदवारों को अलग-अलग स्वरूपों वाली अनेक परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी। इसके अलावा उन्हें परिणाम और नौकरी के प्रस्ताव के लिये लंबा इंतजार करना पड़ता था। एनआरए के जरिये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सरकारी नौकरी पाना ज्यादा सहज हो।

देश में नौकरियों के 90 प्रतिशत से ज्यादा अवसर सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र मुहैया कराता है। इस क्षेत्र को फिर से मजबूत करने के लिये सरकार ने कई कदमों की घोषणा की है। तालिका-2 में एमएसएमई क्षेत्र को फिर से पटरी पर लाने के लिये उठाये गये बड़े सरकारी कदमों और उनके अपेक्षित परिणामों के बारे में बताया गया है। इन कदमों से एमएसएमई क्षेत्र वैश्विक महामारी के कारण बाजार में घटी हुई मांग के सदमे से उबर कर अपना कारोबार पहले की तरह संचालित कर सकेगा। एमएसएमई क्षेत्र जितनी जल्दी पटरी पर लौटे देश की अर्थव्यवस्था और रोज़गार की स्थिति के लिये उतना ही बेहतर होगा।

एनआरए समावेशन, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांत पर आधारित एक पारदर्शी प्रणाली है। चूंकि अंक कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर मिलेंगे इसलिये सफल उम्मीदवारों को चुनने में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रहेगा। एनआरए के परीक्षा केन्द्र हर जिले में होंगे। यह एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े तबकों और दिव्यांगजनों के लिये नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाये। एनआरए सरकारी नियुक्तियों में अब तक व्याप्त परीक्षाओं की बहुलता, परिणाम में देरी, भाई-भतीजावाद और अनुचित साधनों के इस्तेमाल से आजादी की गारंटी करेगी। युवाओं को सिर्फ एक परीक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना होगा और वे बिना किसी जटिलता के सरकारी नौकरी पाने की अपनी संभावनाओं को बेहतर बना सकेंगे।

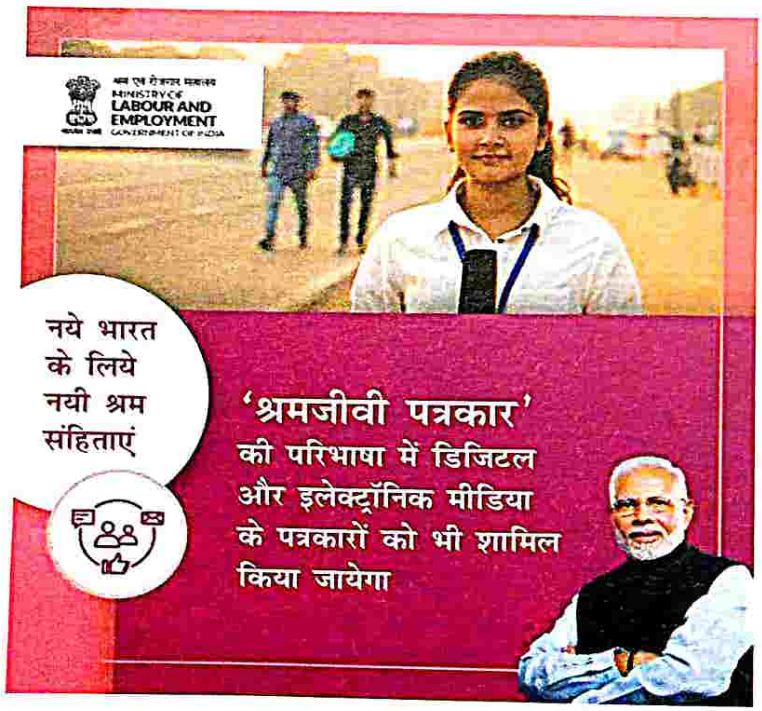

कोविड के बाद रोज़गार की चुनौतियां

कोविड 19 की वैश्विक महामारी ने निस्संदेह कामकाजी आबादी के एक बड़े वर्ग को तबाह कर दिया है। देश में लाखों कामगार रोग की आशंका और रोज़गार छूट जाने की वजह से अपने पैतृक स्थानों की ओर लौट गये। लेकिन यह समझना होगा कि कोविड 19 की वजह से रोज़गारों का नुकसान अस्थाई है। इस वैश्विक महामारी का असर कम होने के साथ ही स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आने की संभावना है। लेकिन कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में कामगारों को उनके पैतृक स्थानों से लाना और उन्हें रोज़गार के समुचित अवसर मुहैया कराना निस्संदेह एक मुश्किल काम होगा।

देश में नौकरियों के 90 प्रतिशत से ज्यादा अवसर सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र मुहैया कराता है। इस क्षेत्र को फिर से मजबूत करने के लिये सरकार ने कई कदमों की घोषणा की है। पृष्ठ 28 पर दी गई तालिका-1 में एमएसएमई क्षेत्र को फिर से पटरी पर लाने के लिये उठाये गये बड़े सरकारी कदमों और उनके अपेक्षित परिणामों के बारे में बताया गया है। इन कदमों से एमएसएमई क्षेत्र वैश्विक महामारी के कारण बाजार में घटी हुई मांग के सदमे से उबर कर अपना कारोबार पहले की तरह संचालित कर सकेगा। एमएसएमई क्षेत्र जितनी जल्दी पटरी पर लौटे देश की अर्थव्यवस्था

और रोज़गार की स्थिति के लिये उतना ही बेहतर होगा। केन्द्र और विभिन्न राज्य सरकारें एमएसएमई के लिये अनुकूल माहौल को बढ़ावा दे रही हैं जिससे यह क्षेत्र कोविड के बाद की रोज़गार की चुनौतियों का सामना करने के लिये बेहतर स्थिति में होगा। कोविड 19 की आपदा ने कुछ अवसर भी पैदा किये हैं जिनका एमएसएमई क्षेत्र इस संकट से उबरने और फलने-फूलने में इस्तेमाल कर सकता है।

आगे का रास्ता

रोज़गार पैदा करना ही पर्याप्त नहीं है। इससे गरीबी और असमानता घटाने में मदद भी मिलनी चाहिए। बड़ी संख्या में रोज़गारशुदा लोग भी

भयंकर दरिद्रता में जी रहे हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में इस तरह की स्थिति आम बात है। इसलिये चुनौती सिर्फ ज्यादा रोज़गार पैदा करने की और इसके लिये अनुकूल स्थितियां बनाने की ही नहीं बल्कि रोज़गारशुदा लोगों की उत्पादकता बढ़ाने की भी है। इस तरह समावेशी विकास के रास्ते में चुनौतियां दो तरह की हैं- *'रोज़गार सृजन और कामगारों की उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करना।'* समावेशी विकास की प्रक्रिया में योगदान के नजरिये से देखें तो नीतिगत स्तर पर इनमें से दूसरा ज्यादा गुणवत्तापूर्ण और शक्तिशाली है। इस चुनौती का सामना शिक्षा और कौशल विकास तथा रोज़गारशुदा व्यक्तियों के प्रशिक्षण के जरिये किया जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि रोज़गारशुदा व्यक्तियों को उन क्षेत्रों में काम करने के लिये निर्देशित किया जाये जहां वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। रोज़गारशुदा व्यक्तियों की आय बढ़ाने के लिये उनकी उत्पादकता, क्षमता और प्रभावशीलता के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

कोविड 19 को देखते हुए रोज़गार पैदा करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में रोज़गार सृजन की समुचित रणनीति प्रासंगिक और जरूरी है। सरकार ने समावेशी विकास हासिल करने के लिये अनेक पहल की है। डिजिटल इंडिया योजना एक डिजिटल क्रांति लेकर आयी है। यह इस वैश्विक महामारी के दौरान एक मजबूत हथियार और तकनीक बन गयी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में तेज सामाजिक-आर्थिक प्रगति और समावेशी विकास के लिये मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं।

निष्कर्ष

भारत सरकार देश को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से समावेशी विकास और रोज़गार सृजन के लिये समर्पित है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि समग्र विकास की दौड़ में कोई भी पीछे नहीं छूटे। भारत सरकार की पहलकदमियां देश में उद्यमिता, नवाचार और समावेशन में महत्वपूर्ण किरदार अदा कर रही हैं। समाज के आखिरी व्यक्ति तक छन कर पहुंचने वाले अपेक्षित लाभों को बढ़ाने के लिये कोषों, कार्यों और कार्मिकों के सर्वोत्तम संचालन की आवश्यकता है। अपेक्षित नतीजे हासिल करने के लिये योजनाओं को बनाने के साथ ही उन्हें निर्धारित समय सीमा और सीमित संसाधनों के बीच सही ढंग से लागू करने की भी जरूरत है। इन सभी योजनाओं की सफलता प्रभावी और कुशल शासन, समयबद्ध क्रियान्वयन और समुचित निगरानी पर निर्भर करती है। इसके साथ ही सभी स्तरों पर जवाबदेही और पारदर्शिता का अनुपालन भी महत्वपूर्ण है। ■

संदर्भ

1. झा एसके और कुमार ए (2020)। रीवाइटलाइजिंग एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया: चैलेंजेज एंड द रोड अहेड, जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। 8 (5), पृष्ठ संख्या 4-10।
2. महापात्र एके (2020)। माइग्रेंट्स मिजरी एंड लाइवलीहुड मैपिंग: द अनफिनिश्ड एजेंडा, जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। 8 (4), पृष्ठ संख्या 4-7।
3. महापात्र एके (2016)। ऑगमेंटिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया। कुरुक्षेत्र। 65 (2), पृष्ठ संख्या 10-14।
4. महापात्र एके (2015)। सैनिटेशन (स्वच्छ भारत मिशन), गवर्नेंस एंड सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, यूरोपियन साइंटिफिक जर्नल। विशेष अंक, पृष्ठ संख्या 170-177

निजी-सार्वजनिक भागीदारी के जरिए कौशल विकास

डॉ मनीष कुमार

आज हम 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाजार की नई आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप कौशलों में सुधार लाने की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि कौशल-केन्द्रित किसी भी कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य तो रोज़गार के अनुरूप बनना ही होता है। अतः कुशल कर्मियों की आपूर्ति बनाए रखने और मांग तथा पूर्ति के बीच ताल-मेल बनाए रखने के लिए निजी और सरकारी क्षेत्रों का मिल कर काम करना ज़रूरी है। देशी और वैश्विक बाज़ारों में नए-नए अवसरों का लाभ उठाते हुए उद्योगों और प्रमुख कौशल-प्रदाता संस्थाओं के बीच सहयोग से न केवल भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कुशल कर्मी तैयार करने में मदद मिलेगी, बल्कि दूरगामी दृष्टि से, इससे रोज़गार मांगने वाले रोज़गार देने वाले बन सकेंगे। तभी 'आत्मनिर्भर भारत' का स्वप्न साकार होगा।

कौशल और ज्ञान किसी भी देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास के आधार-स्तम्भ हैं। युवा जनसंख्या के बड़े अनुपात के लाभ वाली भारत जैसी अर्थव्यवस्था में तो उसके युवाओं की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए कौशल और ज्ञान और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देश में कुशल कर्मियों की कमी के समाधान पर निरंतर प्राथमिकता और ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षित कर्मियों के कौशल पर टिकी अर्थव्यवस्था का प्रगति-पथ पर आगे बढ़ना सुनिश्चित किया जा सके। नए औद्योगिक काल की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप कौशलों से सज्जित युवा ही आत्मनिर्भर भारत के ध्वज-वाहक बनेंगे। इस राह में अनेक चुनौतियां हैं और निरंतर बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ ऐसे अनेक क्षेत्रों में निरंतर मांग बढ़ रही है, जिनकी पांच साल पहले कल्पना तक नहीं की गई थी। लेकिन प्रशिक्षित और उत्साही प्रोफेशनल कर्मियों से सम्पन्न व्यवस्था इन चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो सकती है।

उक्त चुनौतियों की वजह से भारत में आवश्यकता के अनुरूप कुशल कर्मियों की काफी कम संख्या है। वर्षों से चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों के बावजूद भारत में 5 प्रतिशत से भी कम औपचारिक कौशल-सम्पन्न कर्मी हैं, जबकि यह प्रतिशत मेक्सिको में 38, अमेरिका में 52, जर्मनी में 75 और दक्षिण कोरिया में 96 है। 20 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या को देखते हुए, भारत में कामकाजी जनसंख्या 2021 तक 64 प्रतिशत हो जाने का अनुमान

लेखक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ईमेल: jyotsna@nsdcindia.org

है। कोरोना संकट की वजह से विभिन्न क्षेत्र और उद्योग, मानवसंसाधनों सहित सभी प्रकार के संसाधनों के बड़े अभाव से जूझते हुए पंगु हो गए हैं। इस संकट ने चुनौतियों को और भी गंभीर बना दिया है।

इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में पेशेवर प्रशिक्षण देने की अपनी जटिलताएं हैं। इसके लिए ऐसा बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है जिसके तहत मूल्य शृंखला के हर स्तर पर कौशल प्रशिक्षण और विकास के लक्ष्य तय हों। सरकार ने बड़े सुनियोजित तरीके से कार्यक्रमों और पहलों की योजनाएं बनाई हैं ताकि कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास को बढ़ावा मिल सके। निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी ने इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम प्रोद्योगिकी की मदद से प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और इस दौर में ऐसी भागीदारी का विशेष महत्व है।

2009 में श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने तीव्र और समावेशी प्रगति के उद्देश्य से पहली राष्ट्रीय कौशल विकास नीति प्रस्तुत की। कुछ ही वर्षों में टेक्नोलॉजी में तेजी से आए बदलावों और प्रगति को देखते हुए कौशल प्रणालियों में इतने बदलाव आ गए कि उक्त नीति को नए सिरे से तैयार करने की ज़रूरत महसूस होने लगी। कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रगति और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौशलों में आ रहे बदलावों को समाहित करते हुए 2015 में नई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति प्रस्तुत की गई। इस नीति में रफ्तार, गुणवत्ता और टिकाऊपन के साथ कौशल विकास की चुनौतियों पर ध्यान दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य देश भर में कौशल विकास की सभी गतिविधियों को एक ही दायरे के तहत लाना भी है ताकि उनको समान मानकों के अनुरूप बनाया जा सके और इन कौशलों को मांग के अनुरूप ढाला जा सके। हमारी सभी नीतियां आर्थिक प्रगति और समावेशी विकास के दोनों उद्देश्यों से परिचालित होती हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विविध क्षेत्रों, जैसे अवसंरचना, कृषि, वित्त, व्यापार तथा वाणिज्य, स्वास्थ्य सेवा और टेक्नोलॉजी आदि में निरंतर अच्छी प्रगति होना जरूरी है। पर्याप्त संख्या में कुशल कर्मियों की उपलब्धता से ही स्वस्थ और कुशल व्यावसायिक वातावरण बन सकता है और इसके लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के बीच कुशल ताल-मेल आवश्यक है।

तकनीकी और पेशेवर शिक्षण और प्रशिक्षण (टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग - टीवीईटी) के जरिए टिकाऊ आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है और इससे ऐसी प्रासंगिक तथा उच्च-स्तरीय शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होता है जिससे आजीवन सीखने की प्रवृत्ति पैदा होती है। इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण हैं कि टीवीईटी सामाजिक-आर्थिक विकास तथा व्यक्तियों, परिवारों और स्थानीय समुदायों तक सीधे लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रगति और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौशलों में आ रहे बदलावों को समाहित करते हुए 2015 में नई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति प्रस्तुत की गई। इस नीति में रफ्तार, गुणवत्ता और टिकाऊपन के साथ कौशल विकास की चुनौतियों पर ध्यान दिया गया है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) कौशल-प्रशिक्षण दे रही कंपनियों, संस्थानों और उद्यमों को आर्थिक मदद कर के पेशेवर शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है। 600 से ज्यादा प्रशिक्षण भागीदारों और उद्योगों के बड़े नेटवर्क के जरिये, एनएसडीसी ने पिछले 10 वर्षों में ढाई करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है।

कौशल विकास में निजी-सरकारी भागीदारी का एक महत्वपूर्ण घटक भारत में अप्रेंटिसशिप

(विशेषज्ञ के साथ कम करते हुए सीखना) का विस्तार करना है। अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम चलाने वाले संस्थानों को वित्तीय मदद उपलब्ध करने के लिए सरकार ने अगस्त 2016 में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम-एनएपीएस) शुरू की। अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण और संस्थानों में अप्रेंटिसों की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने स्वैच्छिक कार्यक्षेत्रों (ऑप्शनल ट्रेड्स) में अप्रेंटिसशिप चलाने का काम एनएसडीसी को सोंपा है। इन ऑप्शनल ट्रेड्स में कोई भी ऐसा कौशल शामिल है जो

अप्रेंटिसशिप एक्ट, 1961 के अंतर्गत निर्धारित ट्रेड्स (निर्धारित कौशल) के रूप में नियमित नहीं हैं।

एनएसडीसी ने राज्यों, सैक्टर स्किल कौंसिल्स (एसएससी), थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स (टीपीए), परिसंघों, उद्योग संगठनों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ भागीदारी की है और निजी क्षेत्र के भागीदारों को विभिन्न सैक्टरों और क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाया है। इस समय भारत में कुल अप्रेंटिसशिप्स के 29 प्रतिशत ऑप्शनल ट्रेड्स हैं और इनके बुनियादी लचीलेपन और सरलता के लिए, ये ऐसे स्तरीय (बेंचमार्क) कार्यक्रमों के रूप में विकसित हुए हैं जिन्हें उद्योगों और नियोक्ताओं- दोनों ने स्वीकार किया है। प्रतिष्ठित भारतीय और वैश्विक प्रतिष्ठान मिलकर देश में अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। विकास के प्रमुख क्षेत्रों- जैसे आईटी, बीएफ़एसआई, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और आतिथ्य - में युवा कुशल कर्मियों के लिए काम करने के अवसरों की भरमार है। डांस्के, विप्रो, कॉनसेंट्रिक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज कैपिटल, आदित्य बिरला ग्रुप, फ्यूचर रिटेल, स्पेन्सर्स, बीबा, वालमार्ट, अमेज़ोन, डीटीडीसी, महिंद्रा लॉजिक्टिक्स, बर्गर किंग्स, ओयो होटल्स, दि ललित, ताज होटल्स, जेडबल्यू मेरिओट, हॉलिडे इन जैसे अनेक कॉरपोरेट प्रतिष्ठानों ने अप्रेंटिस भर्ती किए हैं ताकि उनके हुनर मंज सकें और वे बेहतर तरीके से अपने काम सीख सकें।

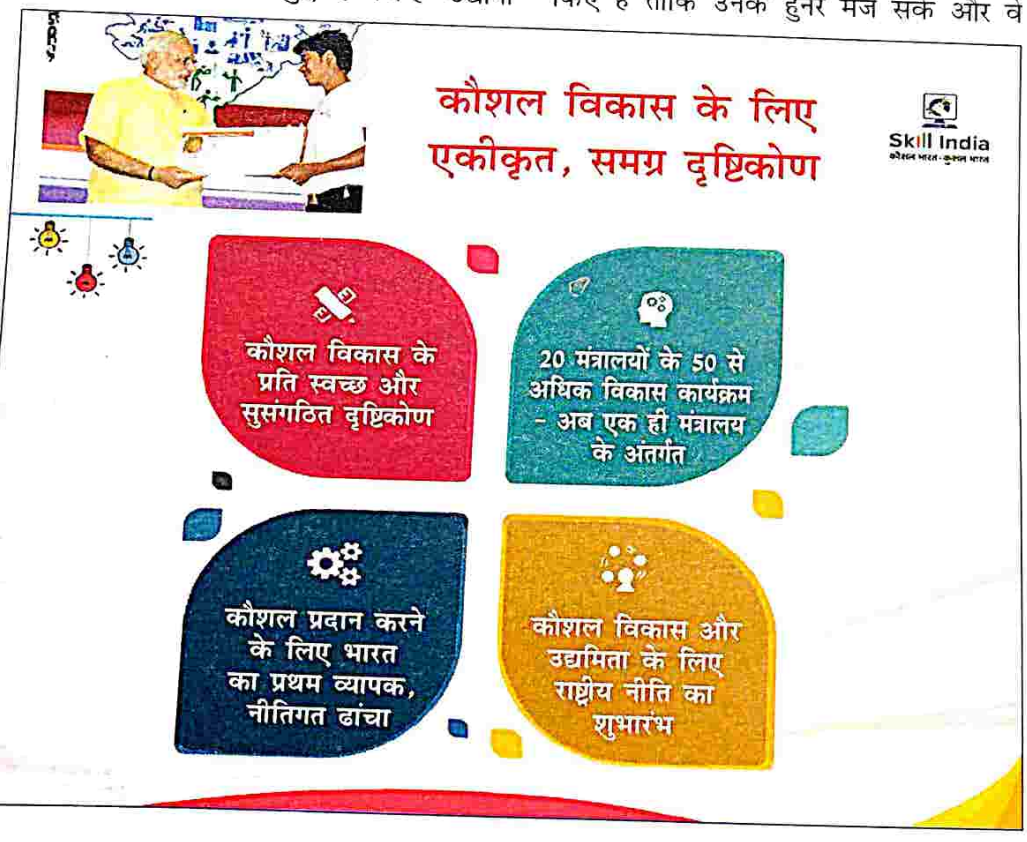

भारत में टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन के व्यापक प्रसार ने कौशल प्रशिक्षण को नया आयाम प्रदान किया है। कौशल-प्रशिक्षण के प्रयासों की पहुंच, रफ्तार और व्यापकता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्मों में निवेश की वजह से इन प्रयासों में, यहां तक कि महामारी के दौरान भी, निरंतरता बनी रही है। प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के लिए कुशलता-प्रशिक्षण सामग्री और सीखने के संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने, क्षेत्रीय भाषाओं में मांग के अनुरूप ऐसी सामग्री जुटाने तथा संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी-आधारित तौर-तरीकों के इस्तेमाल पर फोकस किया जा रहा है। आरोग्य तथा लोजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में मांग बढ़ने से अस्पतालों और ई-कॉमर्स कंपनियों, जैसे अपोलो लैब्स और अर्बनको आदि के साथ कारगर साझीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

ई-लर्निंग एग्रीगेटर पोर्टल - ई-स्किल इंडिया शुरू किए जाने से प्रशिक्षण प्रक्रिया की निरंतरता सुनिश्चित की गई है। इस पोर्टल के अंतर्गत 500 से ज्यादा ई-कोर्स कैटेलोग किए गए हैं और सहयोगी संस्थाओं के जरिए 4,000 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं, इस तरह यह पोर्टल कर्मियों के कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सितंबर 2020 तक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पोर्टल में स्वयं को रजिस्टर किया है और अंग्रेजी तथा हिन्दी में मुफ्त में ए-लर्निंग मल्टीमीडिया सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। इस पोर्टल के जरिए प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र योजना (पीएमएएम) से भी जुड़ा जा सकता है जिसमें द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य-कर्मियों के लिए उपयोगी सामग्री अनेक भाषाओं में उपलब्ध है।

वर्तमान समय में कौशल विकास को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए ई-स्किल इंडिया ने निजी क्षेत्र के 20 से अधिक संस्थानों के साथ जानकारी की भागीदारी की है। इस भागीदारी में शामिल कुछ संस्थान हैं ख़ सेल्सफोर्स, एसएएस, बैटर-यू, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस, अमृता टेक्नोलॉजीज, अपोलो मेडवर्सिटी, बीएसई इंस्टीट्यूट लिमिटेड, एसियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली मैनेज्ड बिजनेस, लिग्विड इंग्लिश ऐज़ प्राइवेट लिमिटेड, आई-प्राइम्ड किंग्स लर्निंग (इंगुरु),

आईडी मेंटोर्स, वाधवानी फाउंडेशन, सेलोर अकेडमी आदि। इन भागीदारियों से सीखने की सामग्री को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप बनाने में मदद मिल रही है और प्रशिक्षित कर्मियों की मांग और आपूर्ति के बीच ताल-मेल बन रहा है।

टेक्नोलॉजी में तेजी से आ रहे बदलावों की वजह से विकास की चुनौतियों के समाधान तलाशने के लिए नये तौर-तरीके अपनाने की ज़रूरत है। सुनिश्चित सतत विकास के लिए विभिन्न देशों के बीच, खास तौर से सर्वांगीण विकास के आकांक्षी देशों के बीच ज्यादा घनिष्ठ आर्थिक संबंध होना ज़रूरी है। कोविड-19 महामारी ने भी कौशल विकास के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता और बढ़ा दी है। भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के उद्देश्य से, श्रेष्ठतम वैश्विक तौर-तरीके सीखने, पेशेवर प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और भारत के युवाओं को विदेशों में रोज़गार दिलाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) अन्य देशों के साथ मिल-कर प्रयास कर रहा है।

एमएसडीई और जापान सरकार के बीच अक्तूबर 2017 में तकनीकी प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम (टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम -टीआईटीपी) समझौता हुआ। इसके अंतर्गत ऐसे तकनीकी इंटर्न प्रशिक्षुओं को एक-दूसरे देश में भेजने को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है जो एक-दूसरे देशों के उद्योगों में काम कर सकें और फिर अपने-अपने देशों में बेहतर अनुभव ले कर लौटें। एनएसडीसी ने भी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट (ईडीआई) और यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स (वाईसीसी) के सहयोग से भारत के विभिन्न स्थानों ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान खोले हैं। पिछले दो वर्षों में, एनएसडीसी ने, जापान, यूएई, स्वीडन और रूस सहित, आठ देशों के

साथ पेशेवर शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते किए हैं। साथ ही, एनएसडीसी ने कौशल विकास के भारत के अनुभवों से सीखते के इच्छुक अनेक देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी भी की है। इन देशों में मोरक्को, अफगानिस्तान, मध्य-अफ्रीकी देश (रवांडा, नाइजीरिया, केन्या), जमैका, श्रीलंका आदि शामिल हैं।

भविष्य की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने में भारत के निजी क्षेत्र की भूमिका वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिताओं में रेखांकित होता रहा है। कजान (रूस) में 2019 में हुई वर्ल्डस्किल्स में भारत को 63 देशों में 13वां स्थान मिला और इसे एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदकों के साथ 15 उत्कृष्टता पदक मिले। भारतीय प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और कलात्मकता से सभी को प्रभावित किया। एक सौ से अधिक कॉरपोरेट और शैक्षणिक संस्थानों ने वर्ल्डस्किल्स प्रयासों में मदद की। इन संस्थानों में मारुति सुज़ुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा, फ़ेस्तों, वीएलसीसी, गोदरेज, एक्जेल्टा, अपोलो, बर्जर पेंट्स, सिस्को, कैपल, सेंट गोबेन, शेनिडर, डाइकिन, एल एंड टी आदि शामिल हैं। वर्ल्डस्किल्स प्रयासों में प्रत्येक प्रतिभागी को तुरंत ज़रूरी प्रशिक्षण देना और उनकी प्रगति का रोजाना जायजा लेना शामिल है। वर्ल्डस्किल्स परीक्षण परियोजनाओं और मानकों को अब पाठ्यक्रमों में शामिल कर लिया गया है ताकि विश्व-स्तरीय कुशल कर्मी तैयार किए जा सकें।

बेहतर और उच्च कौशलों से सम्पन्न देश काम की भावी चुनौतियों से निपटने तथा भावी अवसरों का अधिक लाभ उठाने में सक्षम होंगे। आज हम 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाजार की नई आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप कौशलों में सुधार लाने की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि कौशल-केन्द्रित किसी भी कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य तो रोज़गार के अनुरूप बनना ही होता है। अतः कुशल कर्मियों की आपूर्ति बनाए रखने और मांग तथा पूर्ति के बीच ताल-मेल बनाए रखने के लिए निजी और सरकारी क्षेत्रों का मिल कर काम करना ज़रूरी है। देशी और वैश्विक बाज़ारों में नए-नए अवसरों का लाभ उठाते हुए उद्योगों और प्रमुख कौशल-प्रदाता संस्थाओं के बीच सहयोग से न केवल भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कुशल कर्मी तैयार करने में मदद मिलेगी, बल्कि दूरगामी दृष्टि से, इससे रोज़गार मांगने वाले रोज़गार देने वाले बन सकेंगे। तभी 'आत्मनिर्भर भारत' का स्वप्न साकार होगा। ■

कृषि: अर्थव्यवस्था की तारणहार

डॉ जगदीप सक्सेना

कोविड उपरांत काल में कृषि क्षेत्र में विकास को बनाए रखने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह अत्यावश्यक है कि कृषि और कृषि-प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक सुदृढ़ बुनियादी ढांचे का सृजन हो। सरकार ने शीघ्र कदम उठाते हुए कृषक-हितैषी योजनाओं, सुधारों और वित्तीय प्रोत्साहनों को आरम्भ किया और लागू किया जिससे खेतों में कृषि कार्यों का समय से निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। अगला कदम इन सुधारों के लाभों को किसानों के कल्याण और समृद्धि के लिए उन तक पहुंचाना है।

मानव जीवन पर गंभीर और घातक परिणामों के अलावा कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर वज्रपात कर दिया। अपने समकक्ष देशों में भारत को वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्त प्रतिबंधों के साथ लंबे समय तक जारी लॉकडाउन से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई। इस गंभीर स्थिति के कारण मंदी का ऐसा दौर आया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। हालांकि कृषि और संबद्ध गतिविधियां ऐसा एकमात्र सफल क्षेत्र के रूप में उभरा जिसमे स्थिर कीमतों पर 3.4 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि हुई। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि कृषि क्षेत्र ने ऐसी सुदृढ़ता का प्रदर्शन नहीं किया होता तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद और अधिक गिर जाता। कृषि अर्थव्यवस्था होने के नाते कृषि ही वह प्रमुख क्षेत्र है जिसमें रोज़गार उत्पन्न होते हैं जिससे कि आर्थिक प्रसारण का समूचा चक्र चलता रहता है। इसलिए इस चक्र को चलाये रखने के लिए कृषि क्षेत्र को सर्वप्रथम कृषि आदानों, बीज, मशीनरी आदि के उत्पादन और ढुलाई के लिए छूट मिली। कृषि वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के साथ काम करने और संचालन की अनुमति दी गई थी। सरकार ने शीघ्र कदम उठाते हुए कृषक-हितैषी योजनाओं, सुधारों और वित्तीय प्रोत्साहनों को आरम्भ किया और लागू किया जिससे खेतों में कृषि कार्यों का समय से निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। ये प्रयास फलीभूत हुए, खरीफ फसलों के क्षेत्र कवरेज में 18 सितंबर 2020 (2019-20 में 1054

लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पूर्व मुख्य संपादक हैं। ईमेल: jagdeepsaxena@yahoo.com

लाख हेक्टेयर से 2020-21 में 1114 लाख हेक्टेयर) तक 5.7 प्रतिशत की महत्वपूर्ण बढ़त दर्ज की गई। शीतकालीन फसलों (रबी) के लिए अच्छे मानसून और जलाशयों और पर्याप्त जल संग्रहण को देखते हुए भारत सरकार ने 2020-21 के लिए 301 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन रिकॉर्ड है।

संरक्षण और ऋण

जब प्रधानमंत्री ने देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की तो इसकी बिना सोची समझी प्रतिक्रिया के रूप में प्रवासी श्रमिकों का अपने ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। लौटने वाले प्रवासियों में से अधिकांश भूमिहीन या सीमांत कृषि परिवारों से थे जिनको भूख और आजीविका की तत्काल चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस अनूठे रिवर्स माइग्रेशन यानी विपरीत दिशा में प्रवासन ने कई तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को संकटग्रस्त किया विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जिसे मुख्यत: मांग और नकदी की कमी के कारण एक गंभीर झटका लगा। आर्थिक बहाली के दीर्घकालिक उपाय के रूप में, वित्त मंत्री ने

कृषि क्षेत्र के लिए 1.63 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा, प्रचालन तंत्र और क्षमता निर्माण को मजबूत करना था। हालांकि सरकार ने छोटे किसानों और प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल आर्थिक लाभ के अनेक कदम उठाये। सरकार ने शीघ्र ही प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये का अग्रिम भुगतान जारी किया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के तहत कार्यरत श्रमिकों के लिए मजदूरी दर को योजना के लिए बढ़ाये गए आवंटन के साथ संशोधित किया गया।

संकट काल के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर जनमानस की देखरेख के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नाम की एक विशेष योजना शुरू की गई। अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों को जिनमें ज्यादातर प्रवासी मजदूर थे पीएम-केयर्स फंड से भोजन और नकद सहायता प्रदान की गयी। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत विभिन्न संस्थागत तंत्रों के माध्यम से छोटे किसानों के लिए ऋण सहायता सुनिश्चित की गई। नाबार्ड सहकारी ग्रामीण बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को फसल की ऋण आवश्यकताओं के लिए 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पुनर्वित्तपोषण समर्थन प्रदान करेगा जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण के मुख्य स्रोत हैं। यह वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले 90,000 करोड़ रुपये के सामान्य पुनर्वित्त के अतिरिक्त है। लगभग 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए जिनसे 25,000 रुपये की ऋण सीमा तक संस्थागत ऋण पहुंच रियायती ब्याज दर पर हासिल हो। एक विशेष अभियान के तहत क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों को रियायती ऋण प्रदान किए जा रहे हैं और इनमे मछुआरे और पशुपालक किसान शामिल हैं। लगभग 2.5 करोड़ किसानों को तक़रीबन 2.0 लाख करोड़ रुपये के ऋण प्रवाह से कवर किए जाने की संभावना है।

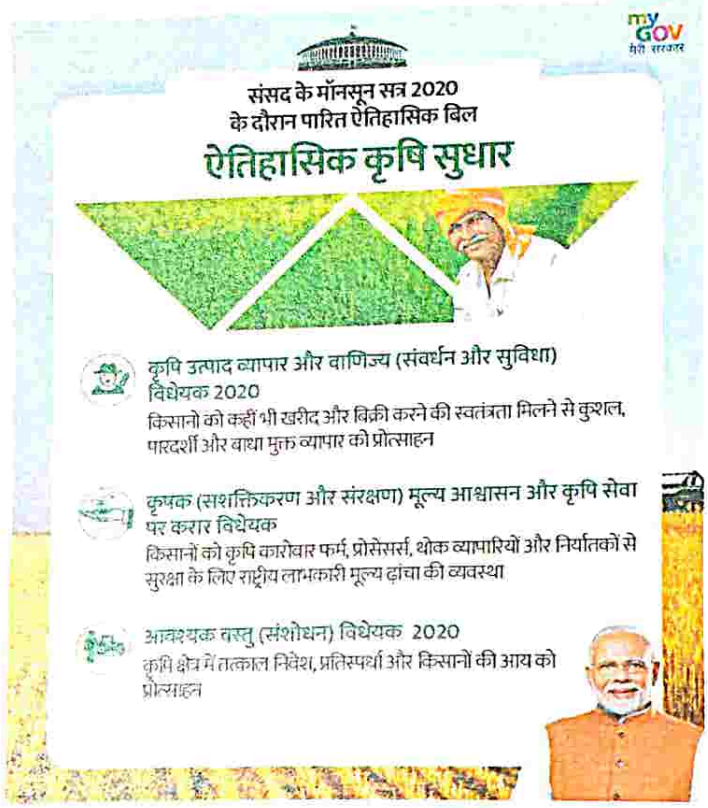

तीन करोड़ से अधिक किसानों ने तीन महीने के ब्याज उपार्जन और ऋण स्थगन का लाभ उठाया। समय पर जारी ऋण प्रोत्साहन पैकेज ने किसानों को 2019 की रबी फसलों की कटाई उपरांत जरूरतों को पूरा करने और वर्तमान खरीफ 2020 बुवाई की लागत का व्यय उठाने में मदद की। खरीफ की सफल फसल बुवाई से कृषि के लाभ, किसानों के कल्याण और समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

अपने गृह राज्यों में प्रवासी श्रमिकों की आजीविका के मुद्दे को हल करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक विशेष रोज़गार योजना आरंभ की जिस पर 50,000 करोड़ रुपये लागत आएगी। 'गरीब कल्याण रोज़गार अभियान' नाम वाली इस योजना को छह सबसे अधिक प्रभावित राज्यों, अर्थात्, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के 116 जिलों में एक मिशन मोड पर लागू किया गया। श्रमिक ग्रामीण आवास से लेकर ग्रामीण मंडियों, ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक शौचालयों जैसे 25 सार्वजनिक बुनियादी निर्माण कार्यों में लगे हुए थे। योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा "देशव्यापी तालाबंदी के दौरान शहरों से प्रतिभाएं गांवों में लौट आई और अब यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देगा।" इस योजना ने टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए गांवों में इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने का काम भी किया। अभियान के आरम्भ में चुने गए छह राज्यों में कुल 25,000 लौटे हुए प्रवासी श्रमिकों को चुना गया था। प्रवासी श्रमिकों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने एक 'पीएम श्रमिक सेतु पोर्टल' और 'पीएम श्रमिक सेतु ऐप' लॉन्च किया है जो नौकरी चाहने वालों को उनके कौशल के अनुसार भावी नियोक्ताओं से जोड़ने में मदद करते हैं। नौकरियां केंद्र या राज्य द्वारा संचालित योजनाओं में प्रदान की जाती हैं जो ज्यादातर ग्रामीण विकास और सहायक कार्यों से संबंधित हैं। योजनाओं का लाभ उठाने और नौकरी के लिए श्रमिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने जो सर्वाधिक प्रवासी श्रमिकों वाले राज्यों में से एक है एक अनूठा 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोज़गार अभियान' आरम्भ किया है जो आजीविका की चुनौती का सामना करने वाले 1.25 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार के अवसर प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक संगठनों के साथ साझेदारी बनाकर स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार ने पहले से ही श्रमिकों के कौशल का उनके हुनर/पेशे के अनुसार रोज़गार प्रदान करने के लिए ब्यौरा तैयार कर लिया है।

प्रवासी श्रमिकों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने एक 'पीएम श्रमिक सेतु पोर्टल' और 'पीएम श्रमिक सेतु ऐप' लॉन्च किया है जो नौकरी चाहने वालों को उनके कौशल के अनुसार भावी नियोक्ताओं से जोड़ने में मदद करते हैं। नौकरियां केंद्र या राज्य द्वारा संचालित योजनाओं में प्रदान की जाती हैं जो ज्यादातर ग्रामीण विकास और सहायक कार्यों से संबंधित हैं। योजनाओं का लाभ उठाने और नौकरी के लिए श्रमिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उपर्युक्त रोज़गार योजनाएं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अलावा हैं जो अकुशल श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोज़गार की गारंटी देता है। अनेक श्रमिकों को इसमें जोड़ने के लिए सरकार ने इस वित्त वर्ष में अपने परिव्यय को 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया है।

बुनियादी ढांचे में निवेश

कोविड उपरांत काल में कृषि क्षेत्र में विकास को बनाए रखने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह अत्यावश्यक है कि कृषि और कृषि-प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक सुदृढ़ बुनियादी ढांचे का सृजन हो। इसलिए फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में जो पहले कृषि आपूर्ति शृंखला में एक कमजोर कड़ी रही है निवेश को आकर्षित करने के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक नई केंद्रीय योजना कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की गई। 1 लाख करोड़ रुपये के फंड को लॉन्च करते समय प्रधानमंत्री ने कहा, "कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड किसानों को उनके गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बनाने में सक्षम करेगा। यह आधुनिक बुनियादी ढांचा कृषि-आधारित उद्योग स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।" इस योजना के तहत बैंक और वित्तीय संस्थान किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्व-सहायता समूहों, कृषक ऋण एवं सहकारी समितियों और किसानों, कृषि-उद्यमियों और स्टार्टअप को ऋण प्रदान करेंगे। सभी ऋणों में 2 करोड़ रुपये की सीमा तक प्रति वर्ष तीन प्रतिशत का ब्याज सबवेंशन होगा और सबवेंशन अधिकतम सात

वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगा। कर्ज अदायगी के लिए अधिस्थगन न्यूनतम छह महीने और अधिकतम दो साल तक हो सकता है। ऋणों को चार साल की अवधि में वितरित किया जाएगा, चालू वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्षों में 30,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पहले ही सहमत शर्तों पर ऋण के वितरण के लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह फण्ड फसल कटाई उपरांत प्रबंधन सम्बन्धी बुनियादी ढांचे के सृजन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण को उत्प्रेरित करेगा, जैसे कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट, पैक हाउस, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयां, राइपनिंग चेंबर इत्यादि। ये फसल कटाई उपरांत निर्माण किसानों को अपनी उपज के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे क्योंकि वे अपने उत्पादों का भंडारण करने में सक्षम होंगे और उन्हें उच्च कीमतों पर बेच पाएंगे, अपव्यय को घटा पाएंगे और प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में वृद्धि कर सकेंगे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में भारतीय रेलवे ने विशेष रूप से किसानों के जल्द ख़राब हो जाने वाले उत्पादों की ढुलाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विशेष 'किसान रेल' योजना शुरू की। यह ख़राब हो जाने वाली चीज़ों जिनमें दूध, मांस और मछली भी शामिल हैं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद करेगा। "किसान रेल योजना से पूरे देश के किसानों को लाभ होगा क्योंकि वे शहरी क्षेत्रों में अपनी उपज बेच सकेंगे। यह एक वातानुकूलित ट्रेन है और रेल की पटरियों पर कोल्ड स्टोरेज की तरह है। शहरों में रहने वाले लोगों को ताज़ी सब्जियां मिलेंगी। ट्रकों की तुलना में इन ट्रेनों का किराया भी कम है", प्रधानमंत्री ने कहा। पहली किसान रेल की उदघाटन यात्रा 7 अगस्त, 2020 को महाराष्ट्र में देवलाली से बिहार के दानापुर तक हुई। इस से प्रोत्साहित दूसरी किसान रेल 10 सितंबर, 2020 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। जल्द ही तीसरी किसान रेल को यशवंतपुर (कर्नाटक) से निजामुद्दीन (दिल्ली) तक हरी झंडी दिखाई गई और अब रेलवे नागपुर और दिल्ली के बीच एक और किसान रेल को चलाने के लिए तैयार है। ये सभी ट्रेनें अपनी क्षमता के 85 फीसदी तक चल रही हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से कई और किसान रेलों की मांग बढ़ रही है। इस बीच भारतीय रेलवे नारंगी और किन्नू के मौसम के दौरान क्रमशः नागपुर और पंजाब से दिल्ली तक विशेष किसान रेल चलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

1 लाख करोड़ रुपये के फंड को लॉन्च करते समय प्रधानमंत्री ने कहा, "कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड किसानों को उनके गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बनाने में सक्षम करेगा। यह आधुनिक बुनियादी ढांचा कृषि-आधारित उद्योग स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा"। इस योजना के तहत बैंक और वित्तीय संस्थान किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्व-सहायता समूहों, कृषक ऋण एवं सहकारी समितियों और किसानों, कृषि-उद्यमियों और स्टार्टअप को ऋण प्रदान करेंगे।

किसान रेल मल्टी कमोडिटी, मल्टी-कंसाइनर्स और मल्टी-कंसाइनी वाली ट्रेनें हैं जिनमें एन-रूट स्टॉपेज हैं जिससे कहीं पर भी लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा मिलती है। भारतीय रेलवे ने विशेष रूप से बहुत जल्दी ख़राब होने वाले बागवानी उत्पादों की ढुलाई के लिए 17 टन की वहन क्षमता वाली नयी तरह की प्रशीतित पार्सल वैन की खरीद की है। इसके अलावा, इसने फलों और सब्जियों की ढुलाई के लिए लगभग 100 हवादार इंसुलेटेड कंटेनर (क्षमता 12 टन तक) भी खरीदे हैं। सरकार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर घाट और राजा का तालाब और आदर्श नगर, दिल्ली (आजादपुर मंडी) जैसे चुनिंदा व्यापार क्षेत्रों में तापमान नियंत्रित पेरिशेबल कार्गो केंद्र स्थापित करके किसानों को सुविधा प्रदान कर रही है जिससे उन्हें रेल सेवाओं का लाभ उठाने में सहूलियत मिले। किसानों को किसान रेल से बहुत सुभीता मिल रहा है क्योंकि अब छोटे किसान भी किफायती दरों पर ट्रेन से अपने 'कम-मात्रा, कम वजन' के पार्सल भेज सकते हैं। ट्रकों को ट्रेन की तुलना में अधिक समय लगता है जिससे जल्द ख़राब होने वाली चीजों की गुणवत्ता को प्रभावित होती है जो बदले में उनकी कीमत पर असर डालता है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।

वस्तुओं की शीघ्र ढुलाई नुकसान को भी घटाती है। किसानों की बढ़ती आय के अलावा किसान रेल रोज़गार और स्वरोज़गार के कई नए अवसर पैदा करने की ओर अग्रसर हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किसान रेल के साथ प्रतिगामी संयोजन के लिए नए स्टार्टअप और नए किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा दे रहा है। किसानों के कल्याण के लिए किसान रेल का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बैंक-एंड बुनियादी

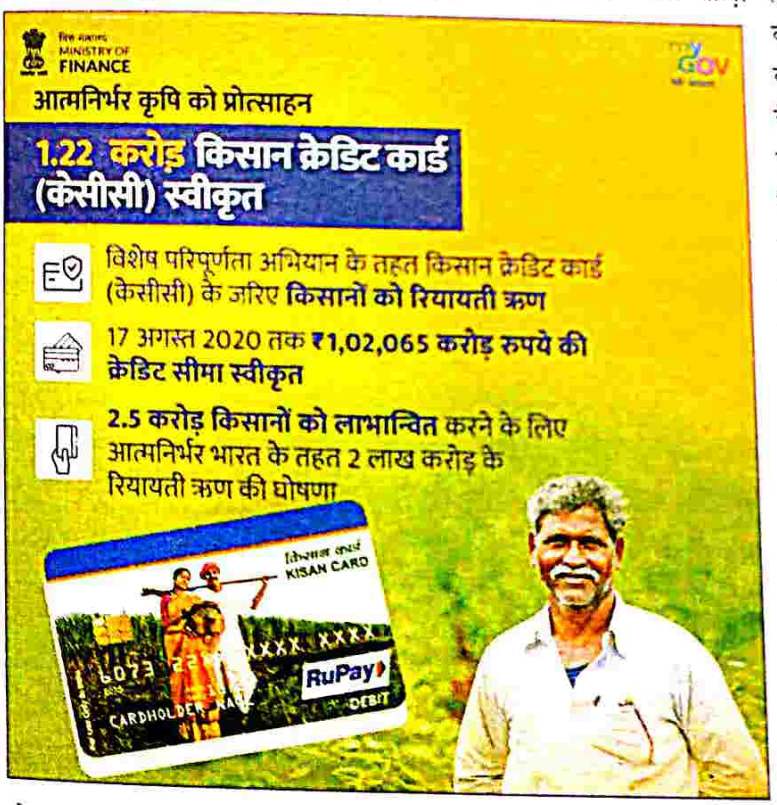

वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगा। कर्ज अदायगी के लिए अधिस्थगन न्यूनतम छह महीने और अधिकतम दो साल तक हो सकता है। ऋणों को चार साल की अवधि में वितरित किया जाएगा, चालू वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्षों में 30,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पहले ही सहमत शर्तों पर ऋण के वितरण के लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह फण्ड फसल कटाई उपरांत प्रबंधन सम्बन्धी बुनियादी ढांचे के सृजन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण को उत्प्रेरित करेगा, जैसे कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट, पैक हाउस, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयां, राइपनिंग चेंबर इत्यादि। ये फसल कटाई उपरांत निर्माण किसानों को अपनी उपज के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे क्योंकि वे अपने उत्पादों का भंडारण करने में सक्षम होंगे और उन्हें उच्च कीमतों पर बेच पाएंगे, अपव्यय को घटा पाएंगे और प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में वृद्धि कर सकेंगे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में भारतीय रेलवे ने विशेष रूप से किसानों के जल्द ख़राब हो जाने वाले उत्पादों की ढुलाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विशेष 'किसान रेल' योजना शुरू की। यह ख़राब हो जाने वाली चीज़ों जिनमें दूध, मांस और मछली भी शामिल हैं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद करेगा। "किसान रेल योजना से पूरे देश के किसानों को लाभ होगा क्योंकि वे शहरी क्षेत्रों में अपनी उपज बेच सकेंगे। यह एक वातानुकूलित ट्रेन है और रेल की पटरियों पर कोल्ड स्टोरेज की तरह है। शहरों में रहने वाले लोगों को ताज़ी सब्जियां मिलेंगी। ट्रकों की तुलना में इन ट्रेनों का किराया भी कम है'', प्रधानमंत्री ने कहा। पहली किसान रेल की उदघाटन यात्रा 7 अगस्त, 2020 को महाराष्ट्र में देवलाली से बिहार के दानापुर तक हुई। इस से प्रोत्साहित दूसरी किसान रेल 10 सितंबर, 2020 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। जल्द ही तीसरी किसान रेल को यशवंतपुर (कर्नाटक) से निजामुद्दीन (दिल्ली) तक हरी झंडी दिखाई गई और अब रेलवे नागपुर और दिल्ली के बीच एक और किसान रेल को चलाने के लिए तैयार है। ये सभी ट्रेनें अपनी क्षमता के 85 फीसदी तक चल रही हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से कई और किसान रेलों की मांग बढ़ रही है। इस बीच भारतीय रेलवे नारंगी और किन्नू के मौसम के दौरान क्रमशः नागपुर और पंजाब से दिल्ली तक विशेष किसान रेल चलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

1 लाख करोड़ रुपये के फंड को लॉन्च करते समय प्रधानमंत्री ने कहा, "कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड किसानों को उनके गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बनाने में सक्षम करेगा। यह आधुनिक बुनियादी ढांचा कृषि-आधारित उद्योग स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा"। इस योजना के तहत बैंक और वित्तीय संस्थान किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्व-सहायता समूहों, कृषक ऋण एवं सहकारी समितियों और किसानों, कृषि-उद्यमियों और स्टार्टअप को ऋण प्रदान करेंगे।

किसान रेल मल्टी कमोडिटी, मल्टी-कंसाइनर्स और मल्टी-कंसाइनी वाली ट्रेनें हैं जिनमें एन-रूट स्टॉपेज हैं जिससे कहीं पर भी लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा मिलती है। भारतीय रेलवे ने विशेष रूप से बहुत जल्दी ख़राब होने वाले बागवानी उत्पादों की ढुलाई के लिए 17 टन की वहन क्षमता वाली नयी तरह की प्रशीतित पार्सल वैन की खरीद की है। इसके अलावा, इसने फलों और सब्जियों की ढुलाई के लिए लगभग 100 हवादार इंसुलेटेड कंटेनर (क्षमता 12 टन तक) भी खरीदे हैं। सरकार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर घाट और राजा का तालाब और आदर्श नगर, दिल्ली (आजादपुर मंडी) जैसे चुनिंदा व्यापार क्षेत्रों में तापमान नियंत्रित पेरिशेबल कार्गो केंद्र स्थापित करके किसानों को सुविधा प्रदान कर रही है जिससे उन्हें रेल सेवाओं का लाभ उठाने में सहूलियत मिले। किसानों को किसान रेल से बहुत सुभीता मिल रहा है क्योंकि अब छोटे किसान भी किफायती दरों पर ट्रेन से अपने 'कम-मात्रा, कम वजन' के पार्सल भेज सकते हैं। ट्रकों को ट्रेन की तुलना में अधिक समय लगता है जिससे जल्द ख़राब होने वाली चीजों की गुणवत्ता को प्रभावित होती है जो बदले में उनकी कीमत पर असर डालता है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।

वस्तुओं की शीघ्र ढुलाई नुकसान को भी घटाती है। किसानों की बढ़ती आय के अलावा किसान रेल रोज़गार और स्वरोज़गार के कई नए अवसर पैदा करने की ओर अग्रसर हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किसान रेल के साथ प्रतिगामी संयोजन के लिए नए स्टार्टअप और नए किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा दे रहा है। किसानों के कल्याण के लिए किसान रेल का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बैक-एंड बुनियादी

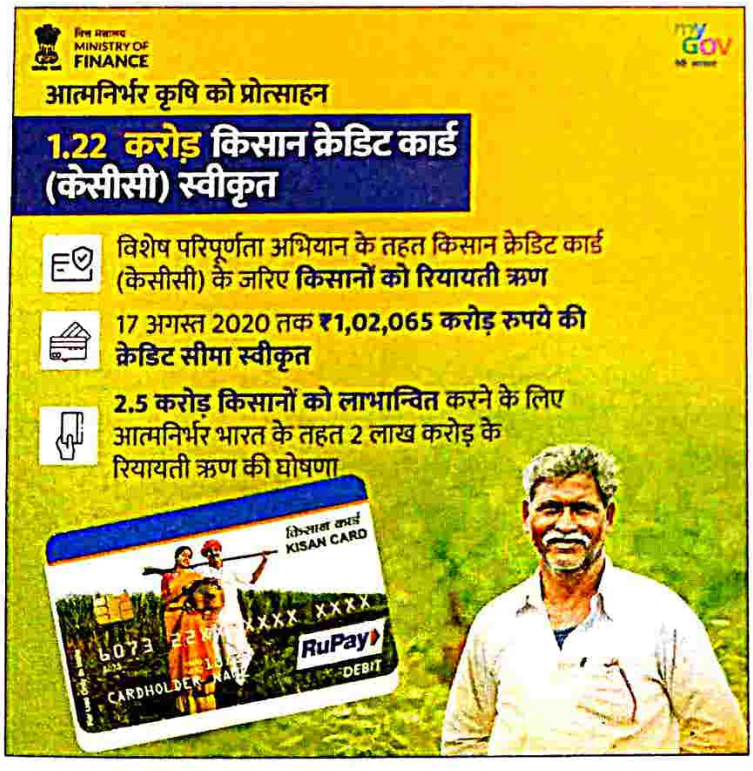

ढांचे के विकास के साथ सभी हितधारकों के बीच किसान रेल के बारे में जानकारी का यथासमय प्रसार किया जा रहा है। ये उपाय सामूहिक रूप से कोविड काल उपरांत देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र के लिए एक नई शुरुआत होगी।

सुधार और पुनः प्रवर्तन

लॉकडाउन अवधि के दौरान, जब सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की तो इसका उद्देश्य स्पष्ट था - किसानों को अपनी उपज की बिक्री पर प्रतिबंधों से मुक्त करना और व्यापारियों का एकाधिकार समाप्त करना। नीति नियोजक किसानों को निर्यातकों और खुदरा विक्रेताओं जैसे बड़े खरीदारों के साथ सौदे करने के हक़ में थे जिससे निजी पूंजी का निवेश हो सके। लेकिन राज्य स्तर पर पुरातन कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम प्रमुख वैधानिक बाधाएं थीं क्योंकि उन्होंने किसानों को अपने उत्पाद खेतों या किसी अन्य बिक्री स्थल पर बिक्री के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। किसान अपनी उपज को कृषि उपज मंडी समिति की विनियमित मंडियों में ले जाने और बेचने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे। दुर्भाग्यवश ये मंडियां जल्द ही स्थानीय एकाधिकारों में तब्दील हो गईं जहां आम तौर पर किसानों को बिचौलियों द्वारा विभिन्न तरकीबों से धोखा दिया जाता था। कृषि और किसान कल्याण के लिए ऐतिहासिक क्षण आखिरकार 5 जून, 2020 को आ गया, जब भारत सरकार ने तीन ऐसे अध्यादेशों की घोषणा की जो अब संसदीय प्रक्रिया के बाद कानून बन गए हैं।

किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 कृषि उपज के एक राज्य से दूसरे राज्य और अपने राज्य में व्यापार के लिए सभी बाधाओं को दूर करता है। अब किसान सर्वोत्तम मूल्य और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी उपज किसी को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। इस कानून से व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त करने की संभावना है और यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर निर्बाध इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में भी सहायक होगा। अन्य कानून- किसानों (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 किसानों को अनुबंध खेती के रूप में बड़े खरीदारों, निर्यातकों और खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने की अनुमति देता है। किसान वांछित फसलों की उन्नत किस्मों को उगाने और सुनिश्चित कीमतों पर उपज बेचने के लिए खाद्यान्न प्रसंस्करण करने वालों के साथ समझौते करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार किसानों को बुवाई से पहले कीमत का आश्वासन मिलेगा और बाजार जोखिम अब किसान से प्रायोजक में स्थानांतरित हो जाएगा। यह कानून खेती में निजी निवेश को आकर्षित करेगा और खेतों को वैश्विक बाजारों से जोड़ सकता है। आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दालों, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को हटाता है जिससे व्यापार में खुलापन आएगा और किसानों और व्यापारियों की लाभकारिता बढ़ेगी। यह असामान्य परिस्थितियों जैसे युद्ध, अकाल, आदि को छोड़कर भंडारण सीमा को भी हटाता है। इस प्रावधान से कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और प्रोसेसिंग सुविधाओं में निजी निवेश आने की संभावना है। ग्रामीण परिवेश में भंडारण सुविधाओं में वृद्धि से अपव्यय घटाने, मूल्य स्थिरता लाने और कृषि आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कृषि क्षेत्र में इन वैधानिक सुधारों से लाखों किसानों और अन्य हितधारकों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। कृषक समुदाय के कल्याण के लिए कई चिंताओं के बीच, सरकार ने जमीनी स्तर पर किसानों के हितों की रक्षा और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के साथ मंडियों को जारी रखने का आश्वासन दिया है। अनुबंध खेती के संदर्भ में कानून किसान और व्यापारी के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के समाधान के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। अधिनियम में दंड भी निर्धारित हैं। संक्षेप में, 'वन नेशन, वन मार्केट' (एक देश एक बाज़ार) किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा और छोटे किसानों को प्रतिस्पर्धात्मकता से लाभ मिलेगा। अगला कदम इन सुधारों के लाभों को किसानों के कल्याण और समृद्धि के लिए उन तक पहुंचाना है।

कृषि ने पहले ही महामारी से त्रस्त अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। ग्रामीण आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना भारतीय अर्थव्यवस्था का तारक बन सकता है। तत्काल सुधारों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की अधिक भरोसेमंद प्रणालियों के साथ छोटे स्थानीय विकास समूह बनाने के लिए एकजुट हो कर कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा गांव से शहर प्रवासन को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आय-अर्जित करने के अवसरों को पैदा करने की आवश्यकता है। ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में रोज़गार के अधिक अवसरों का सृजन भी वांछित है। कृषि उपज पर आधारित छोटे और मध्यम उद्यमों पर विशेष ध्यान देने और उन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आ सके। कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप को भी अनुकूल नीतियों और प्रोत्साहन के माध्यम से बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र कोविड उपरांत परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था की पुनरुद्धार प्रक्रिया की अगुआई करने के लिए तैयार हैं। ■

घर वापसी

डॉ अमिता भिड़े

भारत में कोविड-19 महामारी के फैलने के 6 महीने बाद अर्थव्यवस्था को खोले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और धीरे-धीरे शहरों में हालात सामान्य हो रहे हैं। हजारों मजदूर फिर से शहर लौट रहे हैं। इससे उस स्थिति की गंभीरता का पता चलता है जिसकी वजह से प्रवासी मजदूरों को आजीविका की तलाश में शहरों का रुख करना पड़ता है। पलायन आम तौर पर एक अवसर है। हालांकि, पलायन के जरिये शहरी भारत में पहुंचने वाला बड़ा हिस्सा कौशल और अन्य अधिकारों से वंचित होता है। किसी खास प्रवासी मजदूर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी स्तर पर समन्वित कार्रवाई, इस दिशा में बेहतर शुरुआत हो सकती है।

कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान हजारों प्रवासी मजदूर अपने-अपने घरों के लिए निकल पड़े थे। कुछ मजदूरों ने ऑटो रिक्शा, किराए की गाड़ी, ट्रेन, बस आदि का सहारा लिया, जबकि कुछ को अपने घर पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ी। ऐसे मजदूरों की संख्या से जुड़े अलग-अलग आंकड़े पेश किए गए हैं। इनकी संख्या 3 से 8 करोड़ (अर्थशास्त्रियों ने खुदरा मांग के आधार पर अनुमान) के बीच बताई जाती है। प्रवासी मजदूरों की यह पीड़ा लॉकडाउन की सबसे दर्दनाक तस्वीर थी। इन मजदूरों की स्थिति बहुत खराब थी, जो कहीं तो साफ तौर पर दिख रही थी, तो कहीं स्पष्ट नहीं थी। इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों व सिविल सोसायटी की तरफ से सीमित स्तर पर कई उपाय किए गए। भारत में इस महामारी के फैलने के 6 महीने बाद अर्थव्यवस्था को खोले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और हजारों मजदूर फिर से शहर लौट रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह नई शुरुआत नए सामाजिक अनुबंध की शुरुआत है या प्रवासी मजदूरों के लिए जीवन और काम की व्यवस्था पहले की तरह ही शोषणकारी होगी? क्या सरकारें पलायन की चुनौती से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयारी करने में जुटी हैं या वे उन कानूनों के पुराने ढर्रे के दायरे में काम कर रही हैं जो ठीक तरीके से लागू नहीं किए जाते? क्या ऐसी योजनाओं को लेकर ही पहल की जा रही है, जिनमें डेटा और संसाधनों का अभाव होता है?

अपने गृह राज्य में प्रवासी मजदूरों का लौटना शहरों की हमारी प्रणाली में मौजूद चुनौती की तरफ इशारा करता है। हालांकि, इस चुनौती की बेहतर तरीके से पड़ताल कर उससे रचनात्मक तरीके से निपटा जा सकता है। क्या शहरों की हमारी प्रणाली में ऐसी कोई संभावना है? इस लेख में घर लौट चुके प्रवासी मजदूरों या वापस शहरों का रुख कर रहे ऐसे लोगों के लिए सरकार और सिविल सोसायटी की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की पड़ताल की गई है। ऐसे कुछ कदम स्वागत योग्य हैं, लेकिन इससे एक नई प्रणाली के तहत बड़े पैमाने पर समाधान निकलने की गुंजाइश नजर नहीं आती। संकट की वजह से पैदा हुआ अवसर जल्द समाप्त हो सकता है। मौजूदा नीतियों, कानूनों, योजनाओं और संस्थानों के जरिये सुनियोजित पहल की जरूरत है। साथ ही, प्रमुख प्रवासी समूहों के लिए इसे असरदार बनाना होगा।

लेखिका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई के स्कूल ऑफ हैबिटेट स्टडीज, सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल हेल्थ में डीन हैं। ईमेल: amita@tiss.edu

घर वापसी

डॉ अमिता भिड़े

भारत में कोविड-19 महामारी के फैलने के 6 महीने बाद अर्थव्यवस्था को खोले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और धीरे-धीरे शहरों में हालात सामान्य हो रहे हैं। हजारों मजदूर फिर से शहर लौट रहे हैं। इससे उस स्थिति की गंभीरता का पता चलता है जिसकी वजह से प्रवासी मजदूरों को आजीविका की तलाश में शहरों का रुख करना पड़ता है। पलायन आम तौर पर एक अवसर है। हालांकि, पलायन के जरिये शहरी भारत में पहुंचने वाला बड़ा हिस्सा कौशल और अन्य अधिकारों से वंचित होता है। किसी खास प्रवासी मजदूर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी स्तर पर समन्वित कार्रवाई, इस दिशा में बेहतर शुरुआत हो सकती है।

कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान हजारों प्रवासी मजदूर अपने-अपने घरों के लिए निकल पड़े थे। कुछ मजदूरों ने ऑटो रिक्शा, किराए की गाड़ी, ट्रेन, बस आदि का सहारा लिया, जबकि कुछ को अपने घर पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ी। ऐसे मजदूरों की संख्या से जुड़े अलग-अलग आंकड़े पेश किए गए हैं। इनकी संख्या 3 से 8 करोड़ (योजनाओं से जुड़ी मांग के आधार पर अनुमान) के बीच बताई जाती है। प्रवासी मजदूरों की यह पीड़ा लॉकडाउन की सबसे दर्दनाक तस्वीर थी। इन मजदूरों की स्थिति बेहद खराब थी, जो कहीं पूरी तरफ साफ तौर दिख रही था, तो कहीं स्पष्ट नहीं थी। इससे सबक लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों व सिविल सोसायटी की तरफ से नीतिगत मोर्चे पर कई उपाय किए गए। भारत में इस महामारी के फैलने के 6 महीने बाद अर्थव्यवस्था को खोले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और हजारों मजदूर फिर से शहर लौट रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह नई शुरुआत नए सामाजिक अनुबंध की शुरुआत है या प्रवासी मजदूरों के लिए जीवन और काम की व्यवस्था पहले की तरह ही शोषणकारी होगी? क्या सरकारें पलायन की चुनौती से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयारी करने में जुटी हैं या वे उन कानूनों के पुराने ढर्रे के दायरे में काम कर रही हैं जो ठीक तरीके से लागू नहीं किए जाते? क्या ऐसी योजनाओं को लेकर ही पहल की जा रही है, जिनमें डेटा और संसाधनों का अभाव होता है?

अपने गृह राज्य में प्रवासी मजदूरों का लौटना शहरों की हमारी प्रणाली में मौजूद चुनौती की तरफ इशारा करता है। हालांकि, इस चुनौती की बेहतर तरीके से पड़ताल कर इससे रचनात्मक तरीके से निपटा जा सकता है। क्या शहरों की हमारी प्रणाली में ऐसी कोई संभावना है? इस लेख में घर लौटे चुके प्रवासी मजूदरों या वापस शहरों का रुख कर रहे ऐसे लोगों के लिए सरकार और सिविल सोसायटी की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की पड़ताल की गई है। ऐसे कुछ कदम स्वागत योग्य हैं, लेकिन इससे एक तय प्रणाली के तहत बड़े पैमाने पर समाधान निकलने की गुंजाइश नजर नहीं आती। संकट की वजह से पैदा हुआ अवसर जल्द समाप्त हो सकता है। मौजूदा नीतियों, कानूनों, योजनाओं और संस्थानों के जरिये सुनियोजित पहल की जरूरत है। साथ ही, प्रमुख प्रवासी समूहों के लिए इसे असरदार बनाना होगा।

लेखिका, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई के स्कूल ऑफ हैबिटेट स्टडीज, सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल हेल्थ में डीन हैं। ईमेल: amita@tiss.edu

अतीत से सबक

महामारी से पहले इन चीज़ों को शहरी और ग्रामीण खांचे के हिसाब से देखने का प्रचलन था और यह मानते हुए लोगों को शहरी या ग्रामीण की श्रेणी में बांट दिया जाता था कि वे शहरों के स्थायी निवासी नहीं हैं। इससे पलायन के स्तर के बारे में सटीक आंकड़े नहीं मिल पाते हैं। लिहाजा, शहरी नीति के दायरे में (आवास, बुनियादी सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा) प्रवासी मजदूरों को लाभ पहुंचना मुश्किल होता है। दरअसल, पलायन को सिर्फ झुग्गी बस्तियों, अल्पकालिक पलायन और अनुबंध आधारित श्रम गतिविधियों के हिसाब से समझने की कोशिश की जाती है, जो ठीक नहीं है। यही वजह है कि सरकारी नीतियों में भले ही इन झुग्गी बस्तियों को लेकर पहल की गई है, लेकिन इन बस्तियों में रहने वाले प्रवासियों की हालत में ज्यादा सुधार नहीं हो सका। दरअसल, झुग्गी बस्तियों के विकास से जुड़े कुछ कार्यक्रमों की वजह से झुग्गियों में बतौर किराएदार रहने वाले कई प्रवासी मजदूरों को वहां से निकलने पर मजबूर होना पड़ा। झुग्गी के मालिकों द्वारा इन्हें हटाए जाने की वजह से ऐसा हुआ।

ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए मजबूत कानूनी आधार मुहैया कराने के मकसद से अंतर-राज्य श्रम कानून तैयार किया गया था। इसमें इकाइयों या ठेकेदारों के जरिये काम करने वाले मजदूरों के लिए प्रावधान है। साथ ही, इसकी शर्तें वैसी इकाइयों पर लागू होंगी, जहां 5 से ज्यादा श्रमिक हों। साथ ही, इसके दायरे में वैसे ठेकेदारों होंगे, जहां मजदूर पिछले 12 महीने से काम कर रहे हों। जाहिर तौर पर इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन वाले मजदूरों की संख्या काफी कम है और ज्यादातर इस कानून के दायरे से बाहर हैं। निर्माण श्रमिक कानून और घरेलू कामगारों से जुड़े कानून में भी इसी तरह का पैटर्न देखा जा सकता है। साल 2010 में शुरू की गई केरल प्रवासी कल्याण योजना का अनुभव भी कुछ इसी तरह का है। एक अनुमान के मुताबिक, केरल से जुड़े 25,00,000 से भी ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं, जबकि इस योजना के तहत सिर्फ 50,000 मजदूर पंजीकृत हैं और सिर्फ 500 ही इसका लाभ पाने के योग्य हैं।

प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को समझने और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए 1990 के दशक में सिविल सोसायटी की तरफ से कई तरह की पहल की गई। सिविल सोसायटी की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, उनमें प्रवासी समूहों का बारीक अध्ययन, उनके लिए वित्तीय आदान-प्रदान की सुविधा, सामुदायिक रसोई घर, क्रेच, शिक्षा, पोषण और कार्यस्थल पर छोटे बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, विवादों का निपटारा, कर्मियों के लिए हॉस्टल आदि शामिल हैं।

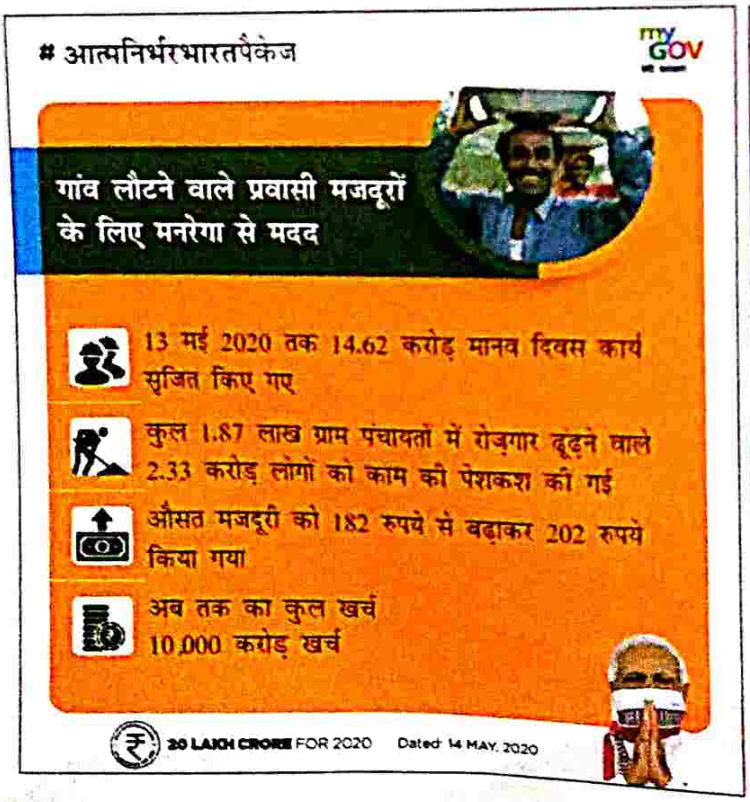

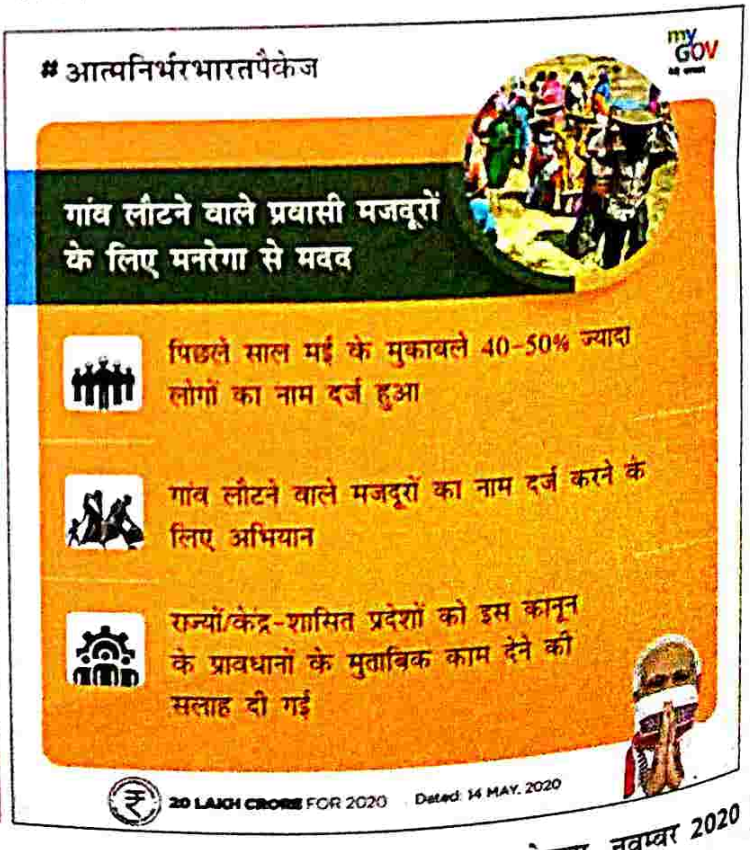

कुछ राज्यों ने कुछ खास तरह के कार्यों में इन समाधानों को प्रयोग के तौर पर आजमाया है। इस तरह के सफल प्रयोगों से काफी कुछ सीखा जा सकता है। इस तरह के अनुभवों का एक सबक यह है कि प्रवासी मजदूरों के लिए सामान्य नीति प्रभावकारी नहीं होगी। दरअसल, हमें खास तौर पर प्रवासी मजदूर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पहल करनी होगी। इन प्रयोगों से एक और सबक यह मिला है कि इस सिलसिले में राज्य की सीमाओं से परे जाकर समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है, जबकि फिलहाल ज्यादातर सरकारी नीतियां राज्य सरकारों की तरफ से बनाई जाती हैं। बहरहाल, पलायन करने वाली जगहों पर भी जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की सुविधा, खतरे वाले काम के लिए सख्त नियमन आदि को लेकर भी पहल की गई है।

कई कंपनियों ने अपने कर्मियों को वापस बुलाने के लिए पहल की है। साथ ही, शहर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए कंपनियों के साथ मिलकर रोज़गार पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। अगर इन तमाम कोशिशों की समीक्षा की जाए, तो पता चलता है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर संवेदनशीलता बढ़ी है, लेकिन व्यवस्थागत दिक्कतों को पूरी तरह दूर नहीं किया जा सका है।

नए उपायों की समीक्षा

हाल में प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दों की संवेदनशीलता को लेकर ज्यादा जागरूकता देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में भारत सरकार ने योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 6 महीने तक मुफ्त में अनाज वितरण, पलायन करने वाली जगहों पर भी जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की सुविधा, रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे उद्यमों के लिए सहायता आदि शामिल हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए किराए पर घर मुहैया कराने को लेकर भी चर्चा हो रही है। ये सभी स्वागत योग्य कदम हैं। खास तौर पर पलायन करने वाली जगहों पर भी जन वितरण प्रणाली की सुविधा का फैसला बेहद अहम है। जाहिर तौर पर इन तमाम फैसलों को पूरी तरह से लागू होने में कुछ समय लगेगा। इसके अलावा, ज्यादातर योजनाओं की संरचना ऐसी है कि इनका फायदा मुख्य तौर पर शहरों में स्थायी तौर पर बसे गरीबों को मिलेगा और प्रवासी मजदूरों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। कुछ राज्य सरकारों ने प्रवासी निर्माण मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए कदम उठाए हैं। ये कोशिशें कितनी सफल हो पाती हैं और इससे किस हद तक मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि, ये सकारात्मक कदम हैं। सिविल सोसायटी की तरफ से भी महत्वपूर्ण पहल की गई है। कई कंपनियों ने अपने कर्मियों को वापस बुलाने के लिए पहल की है। साथ ही, शहर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए कंपनियों के साथ मिलकर रोज़गार पोर्टल की भी शुरुआत की गई है।

अगर इन तमाम कोशिशों की समीक्षा की जाए, तो पता चलता है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर संवेदनशीलता बढ़ी है, लेकिन व्यवस्थागत दिक्कतों को पूरी तरह दूर नहीं किया जा सका है। उदाहरण के लिए, प्रवासी मजदूरों के हित में नीति तैयार करने के लिए 2015 में बने कार्य दल ने 2017 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। साथ ही, अलग-अलग प्रवासी वर्गों से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करने के लिए भी गंभीर पहल नहीं की गई है, ताकि उनकी दिक्कतों और मांगों को समझा जा सके। तीसरा, इस बात को लेकर ज्यादा विचार-विमर्श नहीं हुआ है कि प्रवासी मजदूरों तक प्रभावकारी तरीके से पहुंचने के लिए किस तरह के संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है। इस तरह की कमियों की वजह से प्रवासी मजदूरों की समस्या को दूर करने में प्रभावकारी परिणाम हासिल करना मुश्किल हो सकता है।

बहु-आयामी और बहु-स्तरीय पहल की जरूरत

पलायन आम तौर पर एक अवसर है। हालांकि, पलायन के जरिये शहरी भारत में पहुंचने वाला बड़ा हिस्सा कौशल और अन्य अधिकारों से वंचित होता है। इसके अलावा, प्रवासी मजदूरों को शहरी इलाकों में शामिल करने में राज्य की सीमाएं भी राजनीतिक और सांस्कृतिक चुनौती की तरह नजर आती हैं। इस महामारी ने शहरी शासन व्यवस्था के इस स्याह पक्ष को प्रमुख तरीके से रेखांकित किया है। इस आपदा को अवसर मानते हुए बहु-आयामी और बहु-स्तरीय मोर्चे पर काम करने की जरूरत है, ताकि शहरों की अर्थव्यवस्था में प्रवासी मजदूरों के योगदान को समझा जा सके।

अगर विभिन्न उपायों की मदद से प्रवासी मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा, जीवन स्तर और कामकाजी माहौल को बेहतर बनाया जाता है, तो उनकी उत्पादकता में भी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही, उन शहरों से उनका जुड़ाव भी मजबूत होगा जहां वे काम के लिए आए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखते हुए व्यापक विचार-विमर्श के बाद बेहतर ढंग से नीतियों का निर्माण करना होगा। किसी खास प्रवासी मजदूर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी स्तर पर समन्वित कार्रवाई, इस दिशा में बेहतर शुरुआत हो सकती है। ■

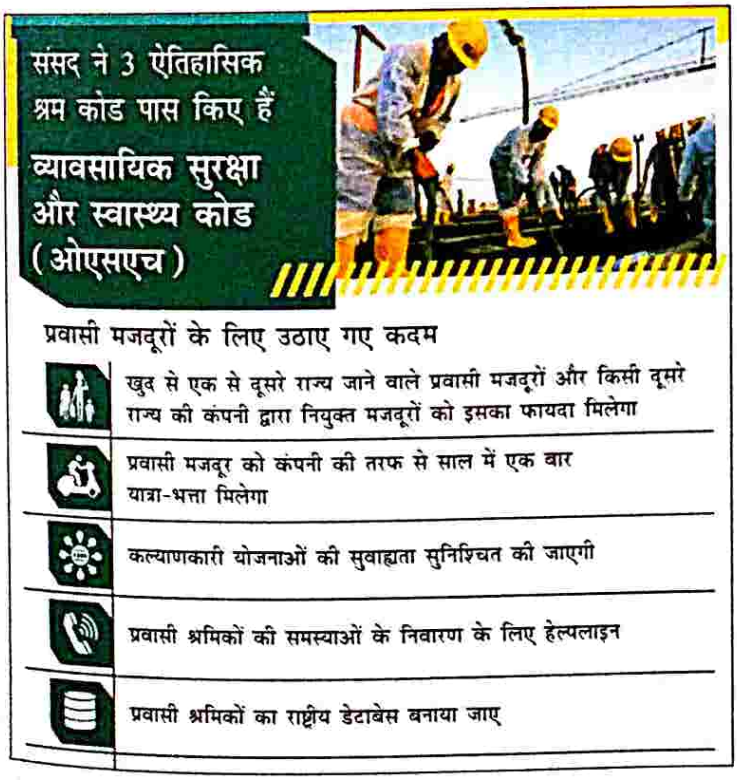

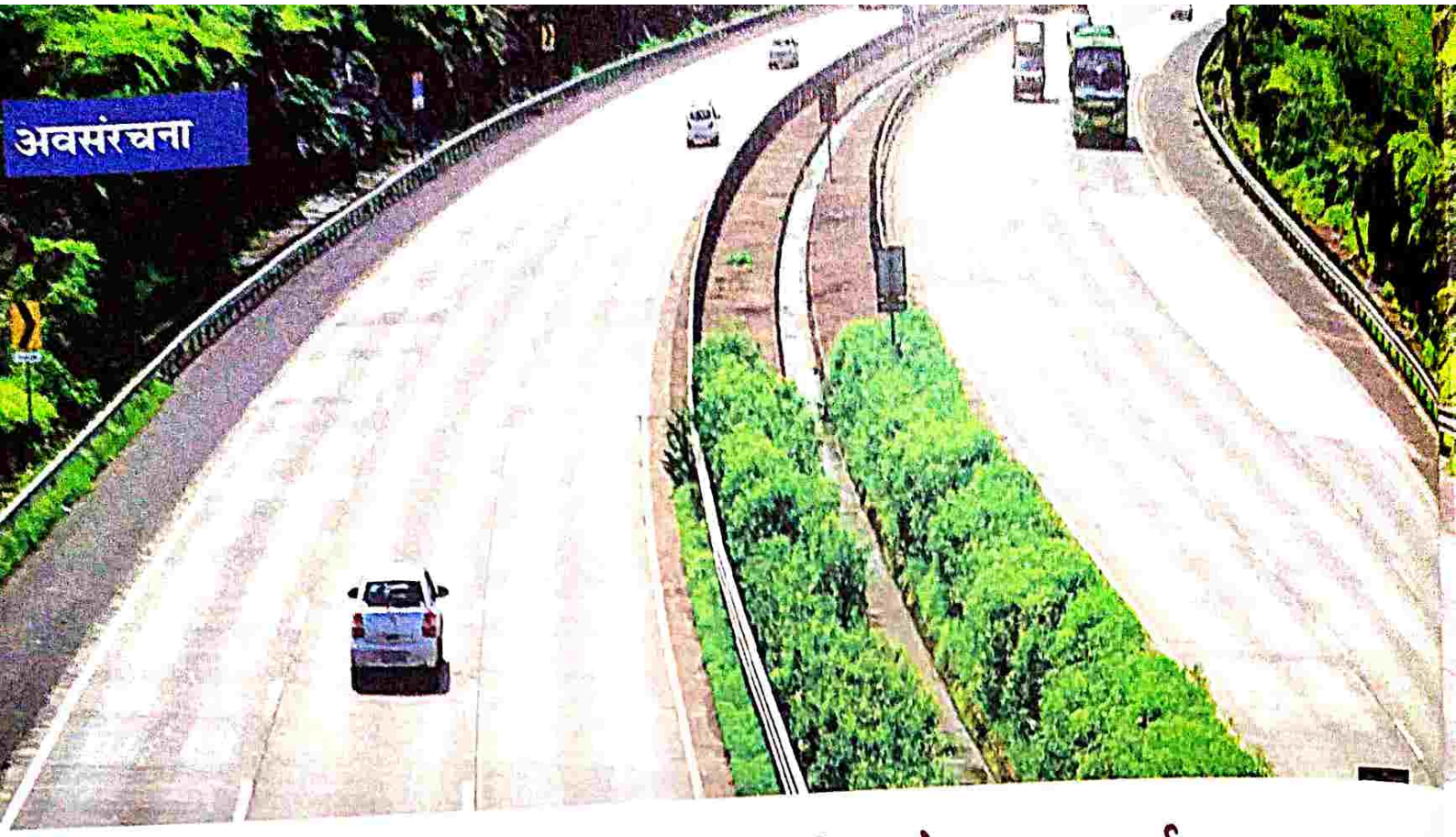

पर्यावरण अनुकूल सड़कें और राजमार्ग

डॉ दिनेश चंद

इस शोधपत्र में राजमार्ग परियोजनाओं के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, पर्यावरण के अनुकूल राजमार्ग की अवधारणा और परिभाषा तथा 'हरित' राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण के लिए दुनिया भर में की जा रही पहलों के बारे में जानकारी और जागरूकता को और अधिक बढ़ाना है। इसके अलावा शोधपत्र में विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किये गये अध्ययन तथा राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं की निरंतरता से संबंधित मुद्दों की भी चर्चा की गयी है ताकि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी विकास के बीच संतुलन कायम किया जा सके।

सड़कें और राजमार्ग मनुष्यों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन के लिए सड़कों का बुनियादी ढांचा होने से व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा देने और शहरों तथा ग्रामीण इलाकों के बीच भौगोलिक दूरियों को दूर करने में बड़ी मदद मिलती है। भारत में सरकार ने इस आशा के साथ एक नीतिपत्र जारी किया है कि जब इस नीति पर पूरी तरह अमल होने लगेगा तो भारत 'नैसर्गिक राजमार्गों' वाला राष्ट्र बन जाएगा। इस नीतिपत्र में 'सड़कों और राजमार्गों के विकास' से संबंधित मुद्दों पर विचार करने और 'सड़कों के सतत विकास' का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया गया है।

भारत में कुल 46.99 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं जिनमें से 2 प्रतिशत यानी 96,214 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में हैं। देश में कुल यातायात का करीब 40 प्रतिशत सड़कों से होकर गुजरता है। मंत्रालय ने अगले कुछ वर्षों में सभी मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों और 40,000 कि.मी. अन्य सड़कों को 'ग्रीन हाइवेज' यानी पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हरित राजमार्गों के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। लेकिन पेड़ों की कटाई और वनों का विनाश राजमार्गों के विकास की अवश्यम्भावी परिणति है। राजमार्ग परियोजनाओं से होने वाली वनों की क्षति को कम करने के लिए सरकार ने राजमार्ग परियोजनाओं में सड़कों के दोनों और और उनके बीच की पट्टी में पेड़-पौधे लगाकर हरियाली के नुकसान को

लेखक भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के पूर्व सलाहकार हैं। ईमेल: drdineshphe@gmail.com

कम करने की व्यवस्था की है, लेकिन इससे सड़क निर्माण से पहले विद्यमान प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र की क्षतिपूर्ति पूरी तरह कभी नहीं हो पाती।

इस तरह से बनी सड़कों पर वाहनों के लगातार आवागमन से स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैसों और कणों के रूप में हवा में तैरते रहने वाले पदार्थों के उत्सर्जन में वृद्धि होती है। हवा में ग्रीन हाउस गैसों और धूल के कणों की मात्रा बढ़ने से सड़कों से होकर गुजरने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बना रहता है और इलाके की जैव विविधता भी खतरे में पड़ती है। ऐसी स्थिति में राजमार्गों में प्रदूषण को कम करने के लिए जोरदार उपाय करने आवश्यक हो जाते हैं। इसी तरह का एक प्रयास है सड़कों के आस-पास हरित पट्टी का विकास जो प्रदूषण के स्रोत के निकट अवरोध का काम करती है और ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित कर तथा धूल कणों को समेट कर प्रदूषण फैलने से रोकती है। इससे जहर ध्वनि प्रदूषण कम होता है वहीं गर्मियों की चिलचिलाती धूप में सड़कों के पास छाया भी मिलती है। पेड़-पौधे लगाने से सड़कों के पुश्तों के ढलानों से मिट्टी का कटाव रुकता है, हवा तथा विकिरण का असर भी कम हो जाता है और रात को सामने से आ रहे वाहनों की हैडलाइटों से होने वाली चकाचौंध को रोकने में मदद मिलती है।

वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली

देश में वाहन मालिकों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में स्वाभाविक रूप से होने वाली वृद्धि को कम करने के लिए वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित वैकल्पिक परिवहन को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के वाहनों को एलपीजी, सीएनजी, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा से चलाने वाले वाहनों में बदलना, सड़कों के किनारे अलग से साइकिल लेन और फुटपाथ बनवाकर मोटर रहित वाहनों को बढ़ावा देना और जनता में जागरूकता फैलाने जैसे उपायों से पर्यावरण पर ग्रीन हाउस गैसों और वायु प्रदूषण के बढ़ते दुष्प्रभावों को कुछ कम किया जा सकता है।

भारत में परिवहन क्षेत्र ऊर्जा की सबसे अधिक खपत करने वाले क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर है। 2017 में कुल अंतिम खपत (टीएफसी) की दृष्टि से इसने 17 प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग किया। इसमें तेल के रूप में ईंधन का हिस्सा 96 प्रतिशत था जबकि प्राकृतिक गैस वाले ईंधन का हिस्सा 3 प्रतिशत और विद्युत चालित वाहनों का 1 प्रतिशत था। वाहनों से फैलने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषण में तेल वाले वाहन हवा में 40 प्रतिशत नाइट्रोजन ऑक्साइड और 13.5 प्रतिशत कार्बन डाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। 2007-2017 के दशक में परिवहन के लिए ऊर्जा की मांग दुगुनी से अधिक हो गयी है जिससे डीएफसी को बढ़ाने में इसका हिस्सा एक चौथाई हो गया है। (नीति आयोग द्वारा भारत की ऊर्जा नीति की समीक्षा 2020)।

भारत सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत चालित वाहनों को चार्ज करने के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करने संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इसके लिए नीतिगत खाका तैयार कर लिया गया है जिसके अनुसार 2030 तक भारत में 30 प्रतिशत से अधिक वाहन बिजली से चलने वाले होंगे।

भारत सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत चालित वाहनों को चार्ज करने के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करने संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इसके लिए नीतिगत खाका तैयार कर लिया गया है जिसके अनुसार 2030 तक भारत में 30 प्रतिशत से अधिक वाहन बिजली से चलने वाले होंगे। इस संबंध में एनर्जी एफीशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का एलईडी बल्ब लगाने के कार्यक्रम का जिक्र करना प्रासंगिक होगा जिसमें शानदार सफलता मिली है। आम जनता के लिए विद्युत चालित वाहनों पर आधारित परिवहन व्यवस्था के कार्यक्रम पर अमल करना एक चुनौती भरा कार्य है और इसके अंतर्गत अब तक जो कार्य हुआ है वह नीतिगत लक्ष्यों से बहुत कम है। 2016 में भारत में केवल 22,000 बैटरी चालित विद्युत वाहनों की बिक्री हुई जो 2020 तक 60-70 लाख विद्युत या हाइब्रिड वाहनों की बिक्री के लक्ष्य की तुलना में बहुत कम है।

देश धीरे-धीरे स्वच्छ ईंधन को अपनाने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। अनेक नीतिगत कदमों के तहत इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित परिवहन सेवाओं में ईंधन उपयोग किस तरह करना चाहिए। इनमें बिजली और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसा ईंधन भी शामिल हैं जिसकी देश में शुरुआत होना अभी बाकी है। 2020 तक देश में वाहनों की कुल संख्या में पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल वाहनों का हिस्सा बढ़कर 20 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है। इसके अलावा नीति में विद्युत चालित वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम करने और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए इस तरह के वाहन बनाने वाले कारखाने स्थापित करने पर जोर दिया गया है।

हरित राजमार्ग डिजायन की शुरुआत

भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 29 सितंबर 2015 को "हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, वृक्ष प्रतिरोपण, सुंदरीकरण और अनुरक्षण) नीति-2015" जारी की जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के आस-पास हरित पट्टियों का विकास करना

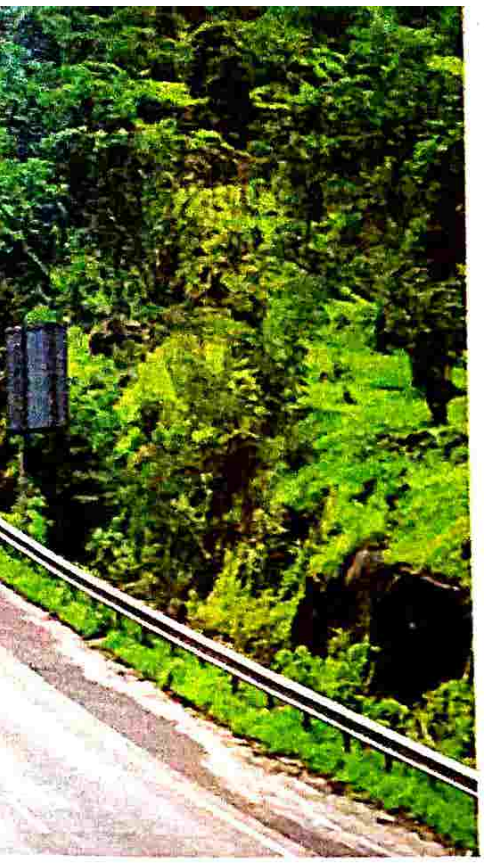

कम करने की व्यवस्था की है, लेकिन इससे सड़क निर्माण से पहले विद्यमान प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र की क्षतिपूर्ति पूरी तरह कभी नहीं हो पाती।

इस तरह से बनी सड़कों पर वाहनों के लगातार आवागमन से स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैसों और कणों के रूप में हवा में तैरते रहने वाले पदार्थों के उत्सर्जन में वृद्धि होती है। हवा में ग्रीन हाउस गैसों और धूल के कणों की मात्रा बढ़ने से सड़कों से होकर गुजरने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बना रहता है और इलाके की जैव विविधता भी खतरे में पड़ती है। ऐसी स्थिति में राजमार्गों में प्रदूषण को कम करने के लिए जोरदार उपाय करने आवश्यक हो जाते हैं। इसी तरह का एक उपाय है सड़कों के आस-पास हरित पट्टी का विकास जो प्रदूषण के स्रोत के निकट अवरोध का काम करती है और ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित कर तथा धूल कणों को संचित कर प्रदूषण फैलने से रोकती है। इससे जहां ध्वनि प्रदूषण कम होता है वहीं गर्मियों की चिलचिलाती धूप में सड़कों के पास छाया भी मिलती है। पेड़-पौधे लगाने से सड़कों के पुश्तों के ढलानों से मिट्टी का कटाव रुकता है, हवा तथा विकिरण का असर भी कम हो जाता है और रात को सामने से आ रहे वाहनों की हैडलाइटों से होने वाली चकाचौंध को रोकने में मदद मिलती है।

वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली

देश में वाहन मालिकों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में स्वाभाविक रूप से होने वाली वृद्धि को कम करने के लिए वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित वैकल्पिक परिवहन को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के वाहनों को एलपीजी, सीएनजी, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा से चलाने वाले वाहनों में बदलना, सड़कों के किनारे अलग से साइकिल लेन और फुटपाथ बनवाकर मोटर रहित वाहनों को बढ़ावा देना और जनता में जागरूकता फैलाने जैसे उपायों से पर्यावरण पर ग्रीन हाउस गैसों और वायु प्रदूषण के बढ़ते दुष्प्रभावों को कुछ कम किया जा सकता है।

भारत में परिवहन क्षेत्र ऊर्जा की सबसे अधिक खपत करने वाले क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर है। 2017 में कुल अंतिम खपत (टीएफसी) की दृष्टि से इसने 17 प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग किया। इसमें तेल के रूप में ईंधन का हिस्सा 96 प्रतिशत था जबकि प्राकृतिक गैस वाले ईंधन का हिस्सा 3 प्रतिशत और विद्युत चालित वाहनों का 1 प्रतिशत था। वाहनों से फैलने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषण में तेल वाले वाहन हवा में 40 प्रतिशत नाइट्रोजन ऑक्साइड और 13.5 प्रतिशत कार्बन डाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। 2007-2017 के दशक में परिवहन के लिए ऊर्जा की मांग दुगुनी से अधिक हो गयी है जिससे टीएफसी को बढ़ाने में इसका हिस्सा एक चौथाई हो गया है। (नीति आयोग द्वारा भारत की ऊर्जा नीति की समीक्षा-2020)।

भारत सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत चालित वाहनों को चार्ज करने के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करने संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इसके लिए नीतिगत खाका तैयार कर लिया गया है जिसके अनुसार 2030 तक भारत में 30 प्रतिशत से अधिक वाहन बिजली से चलने वाले होंगे।

भारत सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत चालित वाहनों को चार्ज करने के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करने संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इसके लिए नीतिगत खाका तैयार कर लिया गया है जिसके अनुसार 2030 तक भारत में 30 प्रतिशत से अधिक वाहन बिजली से चलने वाले होंगे। इस संबंध में एनर्जी एफीशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का एलईडी बल्ब लगाने के कार्यक्रम का जिक्र करना प्रासंगिक होगा जिसमें शानदार सफलता मिली है। आम जनता के लिए विद्युत चालित वाहनों पर आधारित परिवहन व्यवस्था के कार्यक्रम पर अमल करना एक चुनौती भरा कार्य है और इसके अंतर्गत अब तक जो कार्य हुआ है वह नीतिगत लक्ष्यों से बहुत कम है। 2016 में भारत में केवल 22,000 बैटरी वाले विद्युत वाहनों की बिक्री हुई जो 2020 तक 60-70 लाख विद्युत व हाइब्रिड वाहनों की बिक्री के लक्ष्य की तुलना में बहुत कम है।

देश धीरे-धीरे स्वच्छ ईंधन को अपनाने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। अनेक नीतिगत कदमों के तहत इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित परिवहन सेवाओं में ईंधन उपयोग किस तरह करना चाहिए। इनमें बिजली और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसा ईंधन भी शामिल है जिसकी देश में शुरुआत होना अभी बाकी है। 2020 तक देश में वाहनों की कुल संख्या में पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल वाहनों का हिस्सा बढ़कर 20 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है। इसके अलावा नीति में विद्युत चालित वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम करने और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए इस तरह के वाहन बनाने वाले कारखाने स्थापित करने पर जोर दिया गया है।

हरित राजमार्ग डिजायन की शुरुआत

भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 29 सितंबर 2015 को "हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, वृक्ष प्रतिरोपण, सुंदरीकरण और अनुरक्षण) नीति-2015" जारी की जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के आस-पास हरित पट्टियों का विकास करना

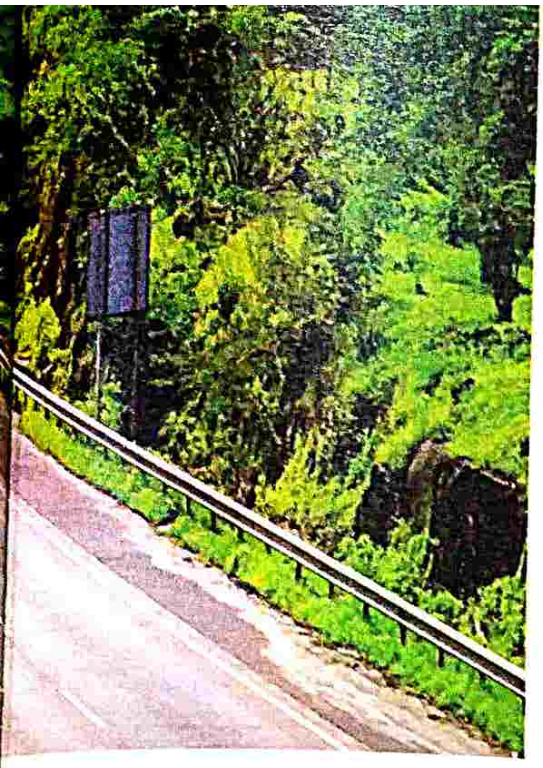

कम करने की व्यवस्था की है, लेकिन इससे सड़क निर्माण से पहले विद्यमान प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र की क्षतिपूर्ति पूरी तरह कभी नहीं हो पाती।

इस तरह से बनी सड़कों पर वाहनों के लगातार आवागमन से स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैसों और कणों के रूप में हवा में तैरते रहने वाले पदार्थों के उत्सर्जन में वृद्धि होती है। हवा में ग्रीन हाउस गैसों और धूल के कणों की मात्रा बढ़ने से सड़कों से होकर गुजरने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बना रहता है और इलाके की जैव विविधता भी खतरे में पड़ती है। ऐसी स्थिति में राजमार्गों में प्रदूषण को कम करने के लिए जोरदार उपाय करने आवश्यक हो जाते हैं। इसी तरह का एक प्रयास है सड़कों के आस-पास हरित पट्टी का विकास जो प्रदूषण के स्रोत के निकट अवरोध का काम करती है और ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित कर तथा धूल कणों को समेट कर प्रदूषण फैलने से रोकती है। इससे जहर ध्वनि प्रदूषण कम होता है वहीं गर्मियों की चिलचिलाती धूप में सड़कों के पास छाया भी मिलती है। पेड़-पौधे लगाने से सड़कों के पुश्तों के ढलानों से मिट्टी का कटाव रुकता है, हवा तथा विकिरण का असर भी कम हो जाता है और रात को सामने से आ रहे वाहनों की हैडलाइटों से होने वाली चकाचौंध का रोकने में मदद मिलती है।

वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली

देश में वाहन मालिकों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में स्वाभाविक रूप से होने वाली वृद्धि को कम करने के लिए वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित वैकल्पिक परिवहन को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के वाहनों को एलपीजी, सीएनजी, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा से चलाने वाले वाहनों में बदलना, सड़कों के किनारे अलग से साइकिल लेन और फुटपाथ बनवाकर मोटर रहित वाहनों को बढ़ावा देना और जनता में जागरूकता फैलाने जैसे उपायों से पर्यावरण पर ग्रीन हाउस गैसों और वायु प्रदूषण के बढ़ते दुष्प्रभावों को कुछ कम किया जा सकता है।

भारत में परिवहन क्षेत्र ऊर्जा की सबसे अधिक खपत करने वाले क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर है। 2017 में कुल अंतिम खपत (टीएफसी) की दृष्टि से इसने 17 प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग किया। इसमें तेल के रूप में ईंधन का हिस्सा 96 प्रतिशत था जबकि प्राकृतिक गैस वाले ईंधन का हिस्सा 3 प्रतिशत और विद्युत चालित वाहनों का 1 प्रतिशत था। वाहनों से फैलने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषण में तेल वाले वाहन हवा में 40 प्रतिशत नाइट्रोजन ऑक्साइड और 13.5 प्रतिशत कार्बन डाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। 2007-2017 के दशक में परिवहन के लिए ऊर्जा की मांग दुगुनी से अधिक हो गयी है जिससे टीएफसी को बढ़ाने में इसका हिस्सा एक चौथाई हो गया है। (नीति आयोग द्वारा भारत की ऊर्जा नीति की समीक्षा-2020)।

भारत सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत चालित वाहनों को चार्ज करने के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करने संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इसके लिए नीतिगत खाका तैयार कर लिया गया है जिसके अनुसार 2030 तक भारत में 30 प्रतिशत से अधिक वाहन बिजली से चलने वाले होंगे।

भारत सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत चालित वाहनों को चार्ज करने के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करने संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इसके लिए नीतिगत खाका तैयार कर लिया गया है जिसके अनुसार 2030 तक भारत में 30 प्रतिशत से अधिक वाहन बिजली से चलने वाले होंगे। इस संबंध में एनर्जी एफीशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का एलईडी बल्ब लगाने के कार्यक्रम का जिक्र करना प्रासंगिक होगा जिसमें शानदार सफलता मिली है। आम जनता के लिए विद्युत चालित वाहनों पर आधारित परिवहन व्यवस्था के कार्यक्रम पर अमल करना एक चुनौती भरा कार्य है और इसके अंतर्गत अब तक जो कार्य हुआ है वह नीतिगत लक्ष्यों से बहुत कम है। 2016 में भारत में केवल 22,000 बैटरी वाले विद्युत वाहनों की बिक्री हुई जो 2020 तक 60-70 लाख विद्युत व हाइब्रिड वाहनों की बिक्री के लक्ष्य की तुलना में बहुत कम है।

देश धीरे-धीरे स्वच्छ ईंधन को अपनाने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। अनेक नीतिगत कदमों के तहत इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित परिवहन सेवाओं में ईंधन उपयोग किस तरह करना चाहिए। इनमें बिजली और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसा ईंधन भी शामिल हैं जिसकी देश में शुरुआत होना अभी बाकी है। 2020 तक देश में वाहनों की कुल संख्या में पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल वाहनों का हिस्सा बढ़कर 20 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है। इसके अलावा नीति में विद्युत चालित वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम करने और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए इस तरह के वाहन बनाने वाले कारखाने स्थापित करने पर जोर दिया गया है।

हरित राजमार्ग डिजायन की शुरुआत

भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 29 सितंबर 2015 को "हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, वृक्ष प्रतिरोपण, सुंदरीकरण और अनुरक्षण) नीति-2015" जारी की जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के आस-पास हरित पट्टियों का विकास करना

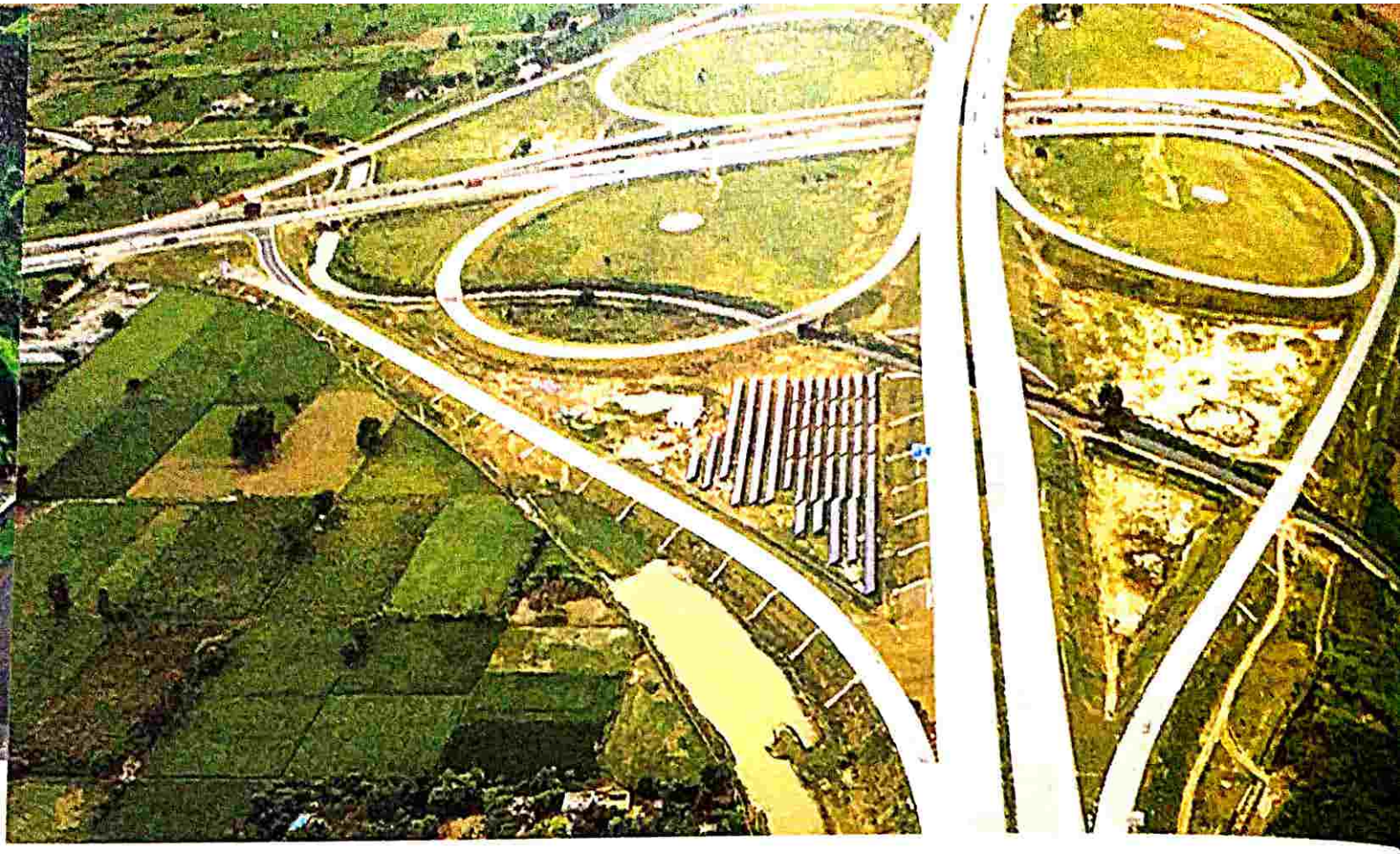

है ताकि समावेशी विकास के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी बनी रहे। इस नीति में जन समुदायों, किसानों, एनजीओज, निजी क्षेत्र, संस्थाओं, सरकारी संगठनों और वन विभाग की भागीदारी से सतत आर्थिक विकास के लिए पारिस्थितिकीय तंत्र की दृष्टि से अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन (एनजीएचएम) का गठन किया है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरित राजमार्ग परियोजनाओं का समग्र नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी करने वाली नोडल एजेंसी है। वृक्षारोपण और उनके रखरखाव में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 'हरित निधि' नाम का एक कोष गठित किया गया है जिसके लिए तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की लागत का एक प्रतिशत आवंटित किया जाता है। इसका उपयोग राजमार्गों के रखरखाव और उनके आस-पास वृक्षारोपण करने में किया जाता है। इस तरह हर साल करीब 1,000 करोड़ रुपये वृक्षारोपण के लिए दिये जा रहे हैं। वृक्षारोपण, राजमार्ग विकास परियोजनाओं का अभिन्न अंग बन गया है। राजमार्गों के दोनों ओर तथा बीच की पट्टी में वृक्षारोपण करते समय कृषि-जलवायु संबंधी परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है और उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षों तथा वनस्पतियों को लगाने की सिफारिश की जाती है। मिशन ने हरित राजमार्ग पहल पर अमल के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने का भी फैसला किया है। इनसे परियोजना अधिकारियों, वृक्षारोपण करने वाली एजेंसियों और अन्य हितधारकों को वृक्षारोपण कार्यक्रम पर कारगर तरीके से अमल और निगरानी करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे राजमार्गों को सुंदर बनाने और लैंडस्केपिंग करने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के आस-पास अनुरक्षण गतिविधियों के सुचारु रूप से संचालन में सहायता मिलेगी। ये दिशानिर्देश भविष्य में बनने वाले राजमार्गों सहित बन चुके राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी लागू होंगी, चाहे उनका निर्माण किसी भी एजेंसी (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएचआईडीसीएल, राज्य लोक निर्माण विभाग, आरडीसी, सीमा सड़क संगठन आदि) ने क्यों न किया हो।

देश में कुल यातायात का करीब 40 प्रतिशत सड़कों से होकर गुजरता है। मंत्रालय ने अगले कुछ वर्षों में सभी मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों और 40,000 कि.मी. अन्य सड़कों को 'ग्रीन हाइवेज' यानी पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हरित राजमार्गों के रूप में विकसित करने का फैसला किया है।

नीतिगत पहल और दिशानिर्देश

1. हरित राजमार्ग नीति 2015

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह नीति सड़कों के विकास में आने वाली समस्याओं का समाधान करेगी और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। दिशानिर्देशों के तहत राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन (एनजीएचएम) का गठन किया गया है जो हरित राजमार्ग परियोजनाओं के समग्र नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी करने वाली नोडल एजेंसी है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं और इसके अंतर्गत गतिविधियां इस प्रकार हैं:

उद्देश्य : राष्ट्रीय राजमार्गों के आस-पास समन्वित हरित गलियारे या पट्टी का विकास करना ताकि उस इलाके में होने वाले वृक्षों और वनस्पतियों से प्रदूषण और धूल के असर को कम किया जा सके। यह हरी पट्टी

वायु प्रदूषणकारी तत्वों को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक सिंक का काम करेगी और इससे वायु प्रदूषण और धूल को कम करने तथा सड़कों के पुश्तों के ढलानों से मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा हरित राजमार्ग मिशन के और भी कई फायदे हैं। इससे वाहन चालकों का रात के समय सामने से आ रहे वाहन की चकाचौंध वाली रोशनी से बचाव होता है और गर्मियों की चिलचिलाती धूप में छाया मिलती है। इसके अलावा तेज हवा तथा परावैंगनी विकिरण से भी बचाव होता है।

हितधारक : राजमार्गों को हराभरा बनाने के ठेके एनजीओज, एजेंसियों, निजी कंपनियों और सरकारी संगठनों को दिये जाते हैं। इन हितधारकों को वृक्षों के जीवित रहने और उनकी अच्छी स्थिति के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। किसी खास इलाके में पेड़-पौधों का रोपण जलवायु और मिट्टी की उपयुक्तता को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

निगरानी और कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा : संबंधित एजेंसी रोपे गये पेड़-पौधों की स्थिति की समय-समय पर उस स्थान पर जाकर लगातार निगरानी करने के लिए उत्तरदायी होगी। एजेंसी वृक्षारोपण स्थल पर जाकर इस बात की पुष्टि करेगी कि लगाये गये पौधे लग गये हैं, बड़े हो रहे हैं, उचित आकार के हैं और उनकी उचित देखभाल की जा रही है।

पेड़-पौधे लगाने वाली एजेंसियों के कार्यनिष्पादन की जांच वार्षिक आधार पर किसी एजेंसी से करायी जाएगी और उन्हें नया ठेका उनके पिछले कार्यनिष्पादन की लेखापरीक्षा के बाद ही दिया जाएगा।

परिणाम : नीति के अंतर्गत राजमार्गों के विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कायम किया जाएगा। इससे ग्रामीण लोगों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने में भी मदद मिल सकती है।

राष्ट्रीय वन नीति में देश के 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन या पेड-पौधों और वनस्पतियों का आच्छादन होने की बात कही गयी है, जबकि देश में वनों के अंतर्गत अधिसूचित वास्तविक क्षेत्र केवल 22 प्रतिशत ही है। नयी हरित राजमार्ग नीति पर अमल से इस अंतर को दूर करने में मदद मिल सकती है। राजमार्ग परियोजनाओं की समूची परियोजना लागत का एक प्रतिशत राजमार्गों के आस-पास वृक्षारोपण करने और इनके रखरखाव के लिए आवंटित कर दिया गया है।

इस तरह हर साल करीब 1,000 करोड़ रुपये राजमार्गों के आस-पास के क्षेत्र को हरा-भरा रखने के लिए उपलब्ध कराए गये हैं। नीति के तहत वृक्षारोपण में स्थानीय समुदायों को लगाया जाएगा और इस कार्य में सिर्फ पेड़-पौधों को लगा देने भर पर जोर नहीं दिया जाएगा बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि रोपे गये पेड़-पौधे जीवित

चित्र-1 : सतत विकास के घटक

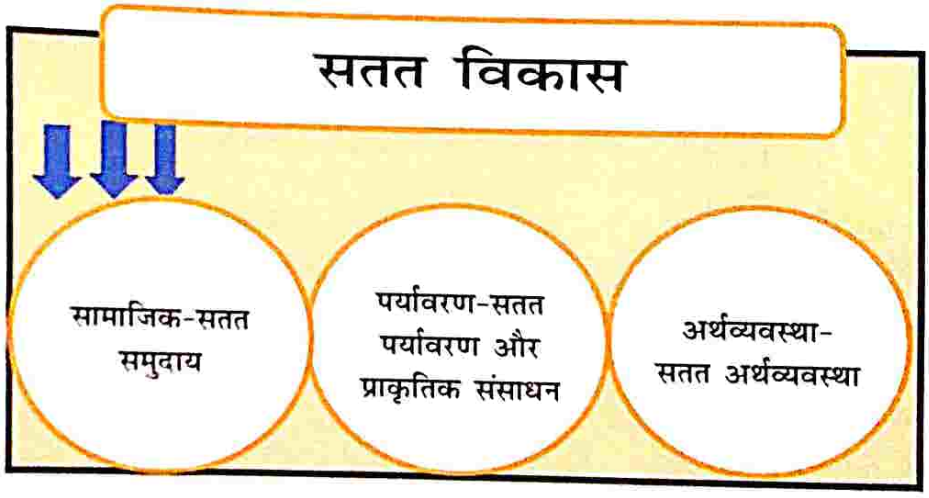

चित्र-2 : सतत विकास मॉडल- पारस्परिक निर्भरता और एक-दूसरे को मजबूत करना

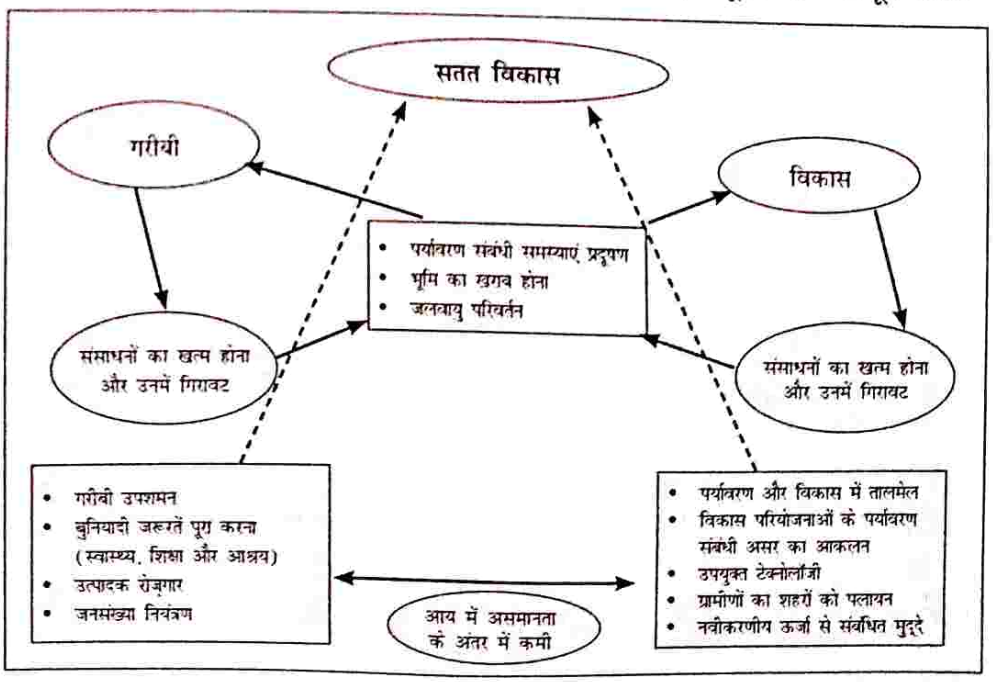

स्रोत : उप्रेती, बी.के. 2008[8]

चित्र 3: सतत पर्यावरण के लिए हरित सड़क दृष्टिकोण

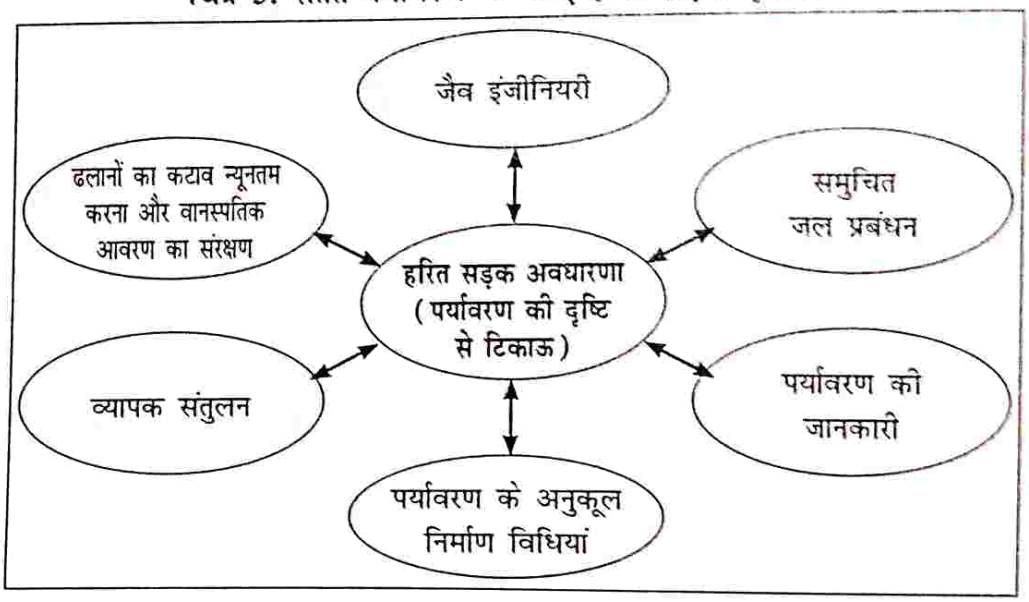

तालिका 1 : सतत पर्यावरण के लिए हरित सड़क दृष्टिकोण

देश	हरित राजमार्ग की परिभाषा
1. मलेशिया	1. हरित राजमार्ग की परिभाषा अक्सर जलसंभर पर आधारित वर्षा जल प्रबंधन; जीवन चक्र ऊर्जा और उत्सर्जन कम करने; तथा पुनर्चक्रण, पुनर्उपयोग और नवीकरण; संरक्षण तथा पारिस्थितिकीय प्रबंधन और समग्र सामाजिक फायदों के रूप में की जाती है। 2. हरित राजमार्ग ऐसे सड़क मार्ग भी हो सकते हैं जिनका डिजायन सड़कों का डिजायन तैयार करने की अपेक्षाकृत नयी अवधारणा से आधार पर किया गया है जिसमें परिवहन संबंधी गतिविधियों का पारिस्थितिकी के साथ समन्वय किया जाता है।
2. अमेरिका	1. हरित राजमार्ग एक ऐसी पहल है जिससे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलता है। 2. हरित राजमार्ग को परियोजना क्षेत्र को अनुपालन संबंधी शर्तों के दायरे के बाहर ''पहले से बहतर'' बनाने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसा करने में सामुदायिक साझेदारी, पर्यावरण संबंधी नेतृत्व और सुरक्षा तथा सुविधा की दृष्टि से परिवहन नेटवर्क में सुधार का ध्यान रखा जाता है। 3. हरित राजमार्ग के अंतर्गत आधुनिक निर्माण तकनीकों की तुलना में अधिक टिकाऊ तरीकों का उपयोग शामिल है और इसमें राजमार्गों के जीवन काल को अधिक से अधिक बनाने का प्रयास किया जाता है।
3. सिंगापुर	हरित राजमार्ग या हरित सड़क की परिभाषा ऐसी माग परियोजनाओं के रूप में की जाती है जिनका डिजायन और निर्माण उच्च स्तर के टिकाऊपन को ध्यान में रखकर किया जाता है जो वर्तमान सामान्य तौर-तरीकों से ऊपर उठकर होता है।
4. भारत	हरित राजमार्ग ऐसा मार्ग है जिसका निर्माण ऐसी सामग्री से किया जाता है जिससे कोई प्रदूषक नहीं निकलता या जो थोड़ा निकलता है वह पर्यावरण के अनुकूल होता है।
5. चीन	हरित राजमार्ग की परिभाषा डिवेलपर्स को मदद करने के ऐसे तरीके के रूप में की गयी है ताकि वे पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल, पारिस्थितिकी की दृष्टि से उत्तरदायी और सामाजिक दायित्व के साथ दीर्घकालीन लाभप्रदता कायम रख सकें तथा लगातार प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त कर सकें।

स्रोत : अभिमान दास 2009

रहें और स्थानीय समुदायों के लिए उपयोगी हों। इन गतिविधियों में स्थानीय ग्रामीण समुदायों के 5 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। हरित राजमार्ग नीति से भारत को प्रदूषण से मुक्त करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में भी मदद मिलेगी।

2. ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए दिशानिर्देश

गांवों की सड़कों के विकास के लिए एक और दिशानिर्देश ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किये हैं जिनमें सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे के उपयोग की बात कही गयी है। भारत के शहरी इलाकों में प्लास्टिक कचरे के निपटान की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने सड़कों का विकास करने वालों के लिए कोलतार के साथ-साथ प्लास्टिक कचरे का उपयोग करना अनिवार्य बना दिया है। दिशानिर्देशों के अनुसार 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के 50 किलोमीटर के दायरे में सड़कें बनाते समय कोलतार और प्लास्टिक के हॉटमिक्स के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक कचरा उपलब्ध नहीं हो तो सड़क बनाने वालों को सिर्फ कोलतार का ही उपयोग करने की अनुमति होगी। ऐसे शहरी स्थानीय निकाय जिनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है वे अपने शहरों में इकट्ठा किये गये प्लास्टिक कचरे को सड़क बनाने वाली एजेंसियों को बेच कर पैसा कमा सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय इस संबंध में बेंगलुरु जैसे शहरों से सबक ले सकते हैं जहां कूड़ा संग्रह केन्द्र आत्मनिर्भर बिजनेस मॉडल साबित हुए हैं। वे वहां अपनाए जा रहे बेहतरीन तौर-तरीकों को अपना सकते हैं।

हरित राजमार्ग की मूल अवधारणा

सड़कों और राजमार्गों का निर्माण किसी स्थान में मिट्टी खोदकर और चट्टानें हटाकर किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उस स्थान के जीव-जंतुओं, वनस्पतियों, मिट्टी आदि पर असर पड़ता है। इसके अलावा इससे जमीन के कटाव और भू-स्खलन को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ राजमार्ग परियोजनाओं के लिए यह जरूरी है कि राजमार्गों के निर्माण

से प्राकृतिक संसाधनों की जो क्षति हुई है उसे ठीक किया जाए या उसकी भरपाई की जाए। इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि परियोजना निर्माण की परिकल्पना करने से लेकर डिजायन बनाने और उसपर अमल तक के चरणों में पारिस्थितिकीय, आर्थिक और सामुदायिक मुद्दों का ध्यान रखा जाए। इस तरह राजमार्गों और सड़कों के आस-पास हरित पट्टियों के विकास से जैव विविधता को बढ़ावा मिलने और प्राकृतिक पर्यावासों के फिर से विकसित होने के साथ-साथ सभी हितधारकों को फायदा होगा।

राजमार्गों के निर्माण के जीवनचक्र की समूची प्रक्रिया में नियोजन, डिजायन, निर्माण और रखरखाव जैसे कार्य शामिल रहते हैं। अब तक किये गये अनुसंधान के विश्लेषणात्मक सिंहावलोकन के दौरान पता चला है कि हरित राजमार्ग की परिभाषा विभिन्न देशों और संगठनों के दृष्टिकोण के अनुसार बदलती रहती है। आम तौर पर सड़कों के निर्माण में सातत्य या निरंतरता के तीन महत्वपूर्ण घटकों को शामिल किया जाता है जिन्हें चित्र-1 में प्रदर्शित किया गया है।

भारत ने हरित राजमार्ग की परिभाषा ऐसे मार्ग के रूप में की है जिसका निर्माण ऐसी सामग्री से किया जाता है जो कोई प्रदूषण नहीं फैलाती या बहुत कम मात्रा में प्रदूषक तत्वों का उत्सर्जन करती है और पर्यावरण के लिए अनुकूल है। *हरित राजमार्ग नीति-2015* के अनुसार इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ पेड़-पौधे और वनस्पतियां उगाकर हरित पट्टी के समन्वित विकास के लिए व्यवस्थित ढांचा तैयार करना है ताकि वायु प्रदूषण और धूल से होने वाला प्रदूषण समाप्त किया जा सके। ऐसी हरित पट्टियां वायु प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक सिंक का भी कार्य करेंगी। इनसे धूल के कणों से होने वाला प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण कम होगा और सड़कों के पुश्तों की ढलानों से मिट्टी का कटाव भी रुकेगा। विभिन्न देशों में हरित पट्टी या हरित गलियारे को पारिभाषित करने के लिए अलग-अलग परिभाषाओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें चित्र-3 में संक्षेप में समझाया गया है।

भारत में हरित राजमार्ग नीति, 2015 की विशेषताएं

- पेड़-पौधे लगाने और उनकी देखभाल के कार्य में ग्राम पंचायतों, एनजीओज और स्वयं सहायता समूहों के जरिए सामुदायिक भागीदारी से स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसरों का सीधा लाभ मिलता है।
- वर्षा, जलवायु और मिट्टी के प्रकार जैसी स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पेड़-पौधों की क्षेत्र विशेष से संबंधित प्रजातियों का चुनाव किया जाना चाहिए। सड़कों को चौड़ा करते समय मौजूदा वृक्षों का उखाड़ कर प्रतिरोपित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- इस नीति का उद्देश्य सड़कों के किनारे हरी पट्टियां बनाकर भू-दृष्य में सुधार की समूची प्रक्रिया में बदलाव लाना है। नयी नीति के अनुसार जिस भूमि में वृक्षारोपण किया जाना है उसका भी भूमि अधिग्रहण योजना के अंतर्गत अधिग्रहण किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से पहले के चरण में ही व्यवस्थित रूप से वृक्षारोपण गतिविधियां संचालित की जा सकें।
- नयी नीति में वृक्षारोपण करने वाली एजेंसियों के उत्तरदायित्वों को लेकर स्पष्ट प्रावधान कर दिये गये हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित जगह पेड़-पौधे उगाने के लिए उपयुक्त है। एजेंसी को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गयी है कि वह जमीन तैयार करने, बीज बोने या पौधे रोपने और इस्तेमाल की जा रही पौध-सामग्री की गुणवत्ता की देखरेख करेगी।
- निगरानी एजेंसी पौधारोपण में प्रगति और उसकी स्थिति की लगातार निगरानी करेगी। वह उस स्थान पर जाकर पेड़-पौधों के जीवित रहने, उनकी बढ़वार, आकार और रखरखाव का भी ध्यान रखेगी। पूरी हो चुकी परियोजनाओं के मामले में निगरानी एजेंसी पेड़-पौधे लगाने वाली मौजूदा एजेंसी के कार्यनिष्पादन का वार्षिक आधार पर ऑडिट भी करेगी और नये ठेके देते समय पिछले अच्छे कार्यनिष्पादन से पुष्टि होने पर ही अगला काम सौंपा जाएगा।
- पौधारोपण और रखरखाव का कार्य बोली लगाने की प्रक्रिया के जरिए आउटसोर्स करके भी किया जा सकता है। ऐसा करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और उसके द्वारा नामित एजेंसियों के मानक खरीद प्रोटोकोल का पालन किया जा सकता है। इसके तहत ऐसी जमीन पर वृक्षारोपण किया जा सकता है जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अधिसूचित न की गयी हो और आने-जाने के आम रास्ते के दायरे में न आती हो।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पौधारोपण एजेंसियों को पैनलबद्ध करने के लिए किसी प्राधिकृत एजेंसी को नियुक्त करेंगे जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधारोपण के कार्य के लिए निविदा आमंत्रित करेगी।
- नयी नीति में विकास के बारे में दृष्टिकोण को लेकर अभिनव अंतर्दृष्टि दी गयी है। इस तरह के प्रयासों से इस बात के संकेत मिलते हैं कि विकास के बारे में दृष्टिकोण में पर्यावरण संरक्षण संबंधी पहलुओं को छोड़ा नहीं गया है। व्यवस्थित रूप से सोच विचार कर निर्णय लेते समय विकास कार्यों में अक्सर निरंतरता का ध्यान रखा जाता है।
- राजमार्ग परियोजनाओं में हरी पट्टियों के विकास के लिए समूची परियोजना लागत के एक प्रतिशत का आवंटन किया गया है।

हरित राजमार्गों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक

लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आने-जाने के लिए राजमार्गों और सड़कों की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के रूप में वे किसी राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरित राजमार्ग टेक्नोलॉजी के बारे में प्रारंभिक अनुसंधान और विकास 2002 में अमेरिका में हुआ। इसने जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को चर्चा के केन्द्र में ला दिया था वह था दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चिरस्थायित्व वाले हरित राजमार्गों का निर्माण। इस तरह के सारे प्रयास आम तौर

पर हरित राजमार्गों के सतत विकास की दिशा में ही होते रहे हैं। लेकिन चिरस्थायी हरित राजमार्गों पर पर्यावरण के असर का आकलन करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता की अब भी उपेक्षा हो रही है। हरित राजमार्गों के विकास की कई विधियां हैं जो इस प्रकार हैं:

1. जलग्रहण क्षेत्र से बहने वाले पानी का प्रबंधन

जलग्रहण क्षेत्रों से निकलने वाले बरसाती पानी के प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है ताकि यह बहकर राजमार्गों में न पहुंचे। इसके लिए इसे एक स्थान पर जमा कर लिया जाता है और ऐसे स्थान को भेज दिया जाता है जहां इसे उपचारित कर भूमिगत जल-स्तर बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। राजमार्गों के निर्माण में जलग्रहण क्षेत्रों के बरसाती पानी के प्रबंधन की विभिन्न तकनीकों, जैसे जैव-ढलान, जैव-नालियां, जैव-अवधारण प्रकोष्ठ, पारगम्य फर्श, पेड-पौधों और वनस्पतियों वाली फिल्टर स्ट्रिप के निर्माण और वृक्ष लगाने जैसे तरीकों का व्यापक उपयोग किया जाता है। ये सब उपाय राजमार्गों पर बरसाती पानी के प्रबंधन का विश्लेषण करने के बाद उपयुक्त डिजायन अपनाकर के उपयुक्त और किफायती तरीके से किये जा सकते है।

2. ऊर्जा और उत्सर्जन में कमी

हरित पहल की ही तरह ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊर्जा और उत्सर्जन घटाने की तकनीकों के अंतर्गत राजमार्गों और सड़कों के निर्माण में सीमेंट या कोलतार के स्थान पर फ्लाई एश, धान की भूसी, ब्लास्ट फर्नेस के कचरे, फाउंड्री की रेत, रबड़ के खराब टायरों और टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। इससे काफी ऊर्जा की बचत होती है और करीब 6.4 अरब गैलन गैस की सालाना बचत हो सकती है। इसी तरह प्लास्टिक कचरे का उपयोग कोलतार की जगह पक्की सड़कों के विकास में किया जा सकता है और इससे कोलतार की 8-10 प्रतिशत बचत की जा सकती है।

लेकिन पुनर्चक्रण या रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया में काफी ऊर्जा की खपत होती है तभी कोई वैकल्पिक उत्पाद बन पाता है। लेकिन इससे कूड़े-कचरे के प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है अन्यथा यही कूड़ा आम तौर पर इधर-उधर बिखरे रहने से गंदगी फैलाता है।

3. पुनर्चक्रण, दोबारा उपयोग और नवीकरणीय

उद्योग उपात्पादों से बने फिर से उपयोग किये जा सकने वाले सामान का इस्तेमाल से न सिर्फ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को काफी कम करने और राजमार्गों में ऊर्जा की खपत का कम करने में मदद मिलती है बल्कि इससे सड़कों और राजमार्गों की सामान्य निर्माण लागत में भी बचत होती है। यूरोप के देशों में राजमार्गों के निर्माण के समय गड्ढों और लैंडफिल को पाटने के लिए अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग में निर्माण लागत में कमी लाने में मदद मिली। राजमार्ग निर्माण में पुनर्चक्रण, फिर से उपयोग और नवीकरण के उपयोग का एक और फायदा यह है कि इससे पानी की बचत होती है और कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। कभी-कभी सड़कों के निर्माण में तोड़-फोड़ से प्राप्त मलबे का भी उपयोग किया जाता है।

4. संरक्षण और पारिस्थितिकीय प्रणाली का प्रबंधन

ग्रम्बाइन का मानना था कि पारिस्थितिकीय तंत्र के प्रबंधन से अनुरक्षण कार्रवाई तकनीकें सक्रिय हो जाती हैं जिससे जैव विविधता के संकट काल में समूचे जैविक जीवन के

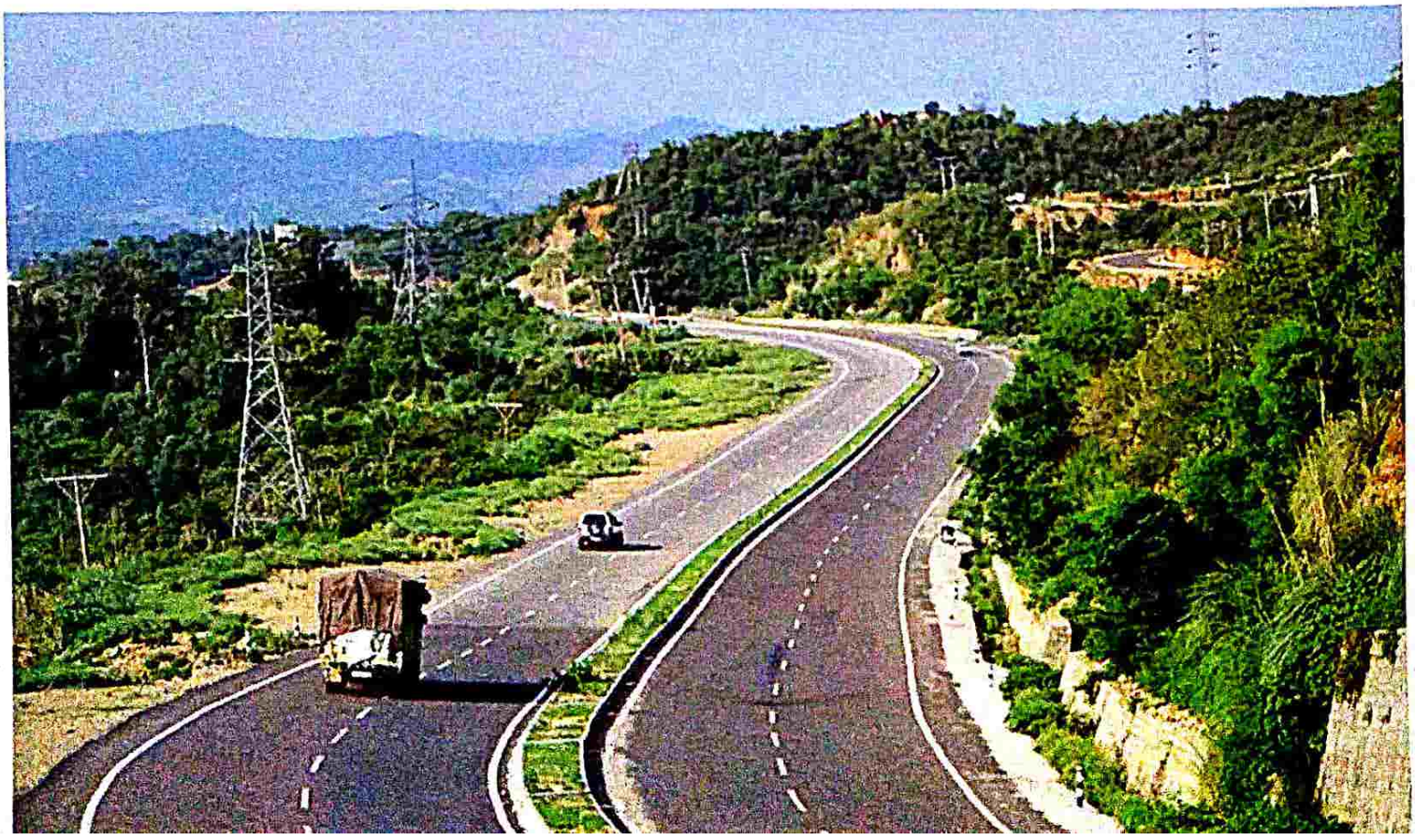

लिए भविष्य में स्वस्थ पर्यावरण को बल मिलता है। हरित राजमार्गों में संरक्षण और पारिस्थितिकीय प्रबंधन संबंधी कार्यों से वन्य जीवों के लिए सुरक्षित क्षेत्र का निर्माण होता हैं और जानवरों के ढांचों और अंडरपास से होकर गुजरने से जानवरों तथा वाहनों की टक्कर/दुर्घटना की आशंका कम होती है।

5. सामाजिक फायदे

राजमार्गों के निर्माण में निरंतरता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसके समग्र सामाजिक फायदों को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका स्थानीय इलाकों और आर्थिक विकास पर सकारात्मक असर पड़ता है। श्वाइट्जर और टोन के मत के अनुसार तीन तरह के सामाजिक फायदे हो सकते हैं, ये हैं : पर्यावरण संबंधी फायदे, आर्थिक फायदे और सामाजिक फायदे जो ऊर्जा से इतर फायदों के दायरे में आते है। लेकिन सड़क या राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण के दौरान अगर राजमार्ग का निर्माण गुणवत्ता के उच्च मानदंडों के अनुसार किया गया हो जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़े हों और समाज के लिए करों के जरिए वाजिब आमदनी हुई हो तो अगर काम में लाने योग्य हो तो उन्हें अक्सर समाज के लिए उपयोगी सड़कों के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है।

हरित राजमार्ग मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत

हाल में सतत विकास के मुद्दे पर, खास तौर पर आवास और निर्माण उद्योग में सतत विकास को लेकर व्यापक चर्चा हुई है। बढ़ती हुई आबादी और भारीभरकम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आवश्ययकताओं को पूरा करने तथा पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत विकास का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजमार्गों और सड़कों का डिजायन तैयार करते समय सतत विकास का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राजमार्गों के निर्माण और इन्हें बनाते समय मोटरवाहनों से होने वाले उत्सर्जन का ध्वनि, वायु और भूमिगत जल के प्रदूषण, जीवन-जंतुओं के पर्यावासों के उजड़ने, भूमि के उपयोग के स्वरूप में बदलाव, जलवायु परिवर्तन और पेड़-पौधों व जीव-जंतुओं पर पड़ने वाले असर के रूप में जो दुष्प्रभाव पड़ता है उसे कम से कम करना जरूरी है। सड़कों के बेहतर डिजायन, निर्माण और प्रबंधन तथा पार्किंग और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करके पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम से कम किया जा सकता है। हरित राजमार्ग मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत इसलिए की गयी थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि राजमार्गों के निर्माण का हरियाली पर क्या असर पड़ता है और ये पर्यावरण की दृष्टि से कितने अनुकूल हैं। चूंकि सड़के भू-क्षेत्र के बीचों बीच से गुजरती हैं इसलिए इनका सीधा और स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है।

हरित सड़कें हरित राजमार्गों के मूल्यांकन की पहली प्रणाली हैं जिनकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में की गयी थी। कई अन्य देशों, जैसे कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, हांगकांग, जापान, ताइवान, सिंगापुर, फिलीपीन्स, कोरिया, भारत और यूरोप के देशों ने भी अपनी हरित भवन मूल्यांकन प्रणालियां विकसित की हैं। हरित भवन मूल्यांकन प्रणालियों के भवन निर्माण में सफल क्रियान्वयन के बाद राजमार्गों के निर्माण में भी इसी तरह की रेटिंग प्रणाली का विस्तार किया गया है। यह सड़क परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू की गयी थर्ड पार्टी (निष्पक्ष) रेटिंग प्रणाली है जिसके अंतर्गत सड़क परियोजनाओं से आम जनता की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी बड़ी अपेक्षाओं को स्वीकार करते हुए उनकी भरपायी करने का प्रयास किया जाता है। रेटिंग या मूल्यांकन प्रणाली में दीर्घावधि रखरखाव के दायित्व का निर्वाह करने, उसमें मदद करने या उसे पूरा करने में डिजायन में निरंतरता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण मानदंड है। वाशिंग्टन इंटर्नशिप फॉर स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग (डब्लू.आई.एस.ई.) नाम के संगठन ने हरित राजमार्ग मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजमार्गों का डिजायन टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हो तथा उसका पर्यावरण पर दुष्प्रभाव भी कम पड़े। साथ ही इसका उपयोग पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से टिकाऊ राजमार्गों के विकास तथा वर्गीकरण में किया जा सकता है। आधुनिक राजमार्गों के डिजायन में उच्चस्तरीय नियोजन, इंटेलीजेंट निर्माण और परिवहन प्रणाली व अनुरक्षण तकनीकों के उपयोग से पर्यावरण पर राजमार्ग विकास परियोजनाओं के दुष्प्रभाव को कम करने में किया जाता है।

निष्कर्ष

इस शोधपत्र में राजमार्गों के निर्माण से संबंधित साहित्य और अनुसंधान की समीक्षा की गयी है ताकि हरित राजमार्ग के विभिन्न पक्षों तथा तत्वों को समझा जा सके। निष्कर्षों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

1. हरित राजमार्ग संबंधी पहल भारत सरकार ने किया है ताकि इस तरह के राजमार्गों के विकास के लिए सातत्य पर आधारित मानदंड निर्धारित किये जा सकें।

2. हरित राजमार्गो के फायदेमंद पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक भागीदारी ताकि वे हरित राजमार्गों के डिजायन और विकास के लाभों से पूरी तरह अवगत हो सकें।

3. जनता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि विकास की शुरुआत से ही सहभागिता निभाना उनका दायित्व है और उन्हें पर्यावरण/प्रकृति के संरक्षण की प्रक्रिया में भी भागीदारी निभानी चाहिए।

4. सरकार नीतियां बना सकती है और मानदंड निर्धारित कर सकती है मगर परियोजना की सफलता कड़ी निगरानी पर निर्भर है जो जनता की बढ़चढ़कर भागीदारी और सामुदायिक स्वामित्व के बिना संभव नहीं है।

5. हरित सड़क नीति में सामाजिक असमानताओं और समाज के भीतर अंतर को दूर करने के लिए जोरदार प्रयास किये गये हैं। इसमें गरीबी उपशमन के उपायों को अपनाया गया है जिसके लिए सड़कों के निर्माण में रोज़गार के अवसर पैदा करने और स्वयं सहायता समूहों की आमदनी बढ़ाने संबंधी गतिविधियों या स्थानीय स्तर पर क्षमता सृजन के जरिए लोगों की आय बढ़ाने के उपायों को अपनाया गया है।

6. जब हरित राजमार्ग और सड़कें सतत विकास के तीन मुख्य पक्षों-यानी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न संकेतकों का पालन करने लगेंगी तो स्थानीय लोगों को हरित सड़कों की जिम्मेदारी संभालने की प्रेरणा मिलेगी और वे उनके निरंतर रखरखाव के लिए आगे आएंगे। ■

कोविड और सतत विकास लक्ष्य

डॉ के डी प्रसाद
निखिल कांत

इस लेख में कोविड-19 के कारण, सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता योगदान को हासिल करने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा की गई है। ये अंतरराष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए दो प्रक्रियाओं के संबद्ध रूप से कार्यान्वयन के लिए आवश्यक, उनके बीच अंतरसंबंधों के बावजूद, आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग संचालित होते हैं। इसमें इस महामारी से निपटने के प्रयासों में दिखाई देने वाले अवसरों पर प्रकाश डाला गया है, जिन्हें जलवायु संकट के खतरे से निपटने और कोविड के बाद के समय में सतत विकास प्राप्त करने के लिए जारी रखा जा सकता है या दोहराया जा सकता है।

धरती के पास हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन वह हर व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती, महात्मा गांधी की इस अभिव्यक्ति में निहित ज्ञान, ब्रंटलैंड आयोग से बहुत पहले आया था जिसे सतत विकास की एक आधिकारिक और सबसे व्यापक रूप से स्वीकार्य परिभाषा का श्रेय दिया गया है। इस आयोग का गठन संयुक्त राष्ट्र ने 1983 में किया था, जिसने 1987 में अपनी रिपोर्ट- हमारा समान्य भविष्य प्रकाशित की थी। इसमें सतत विकास को, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान विकास की जरूरतों को पूरा करने वाला विकास परिभाषित किया गया था। ब्रंटलैंड (Brundtland) आयोग (1983-87 के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा मूल रूप से पर्यावरण और

दोनों लेखक इग्नू, नई दिल्ली से जुड़े है। ईमेल: kdprasad08@gmail.com, nikhilkant@ignou.ac.in

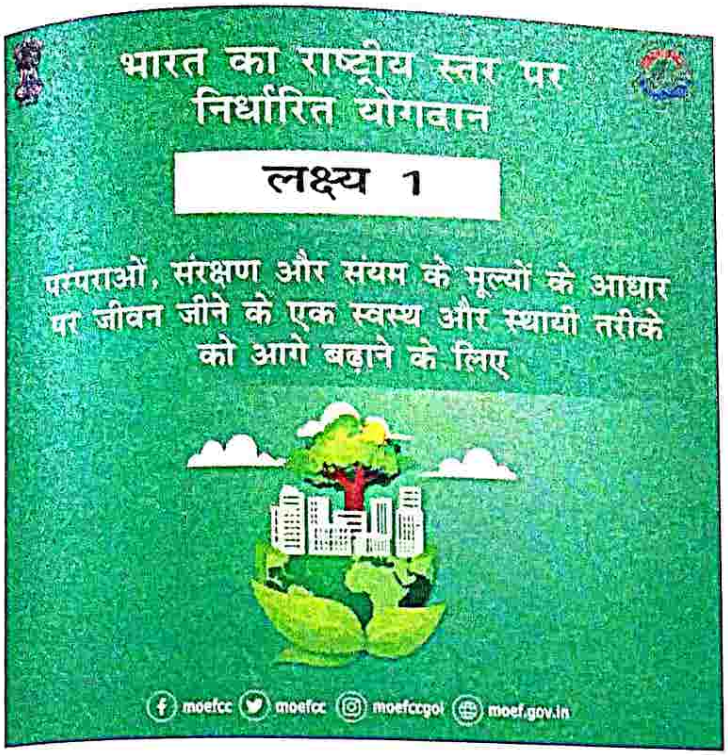

विकास पर विश्व आयोग के रूप में गठित) ने भी सतत विकास को परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित किया। इस प्रकार के उपायों से संसाधनों के दोहन, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास के उन्मुखीकरण और संस्थागत परिवर्तन के प्रयासों में पूरे तालमेल से मानव आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को बढ़ावा मिलता है। संयुक्त राष्ट्र के ये प्रयास 16 वीं सदी के बाद की शताब्दियों के दौरान विचारकों की चिंताओं और सुधार के काम में उनके योगदान की परिणति थी। 1970 से आगे के दशकों को, स्थिरता के मुद्दों को चर्चा में लाने और उन्हें संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में वास्तव में विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुतायत अंतर-सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों और राष्ट्रीय सरकारों का सक्रिय समर्थन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

1980 का दशक न केवल सामाजिक समानता, पर्यावरण सुरक्षा और आर्थिक विकास, सतत विकास के तीन आयामों के रूप में पीपुल्स-प्लैनेट-प्रोफिट के तीन स्तंभों को दर्शाने वाली ब्रंटलैंड आयोग (1983-87) की रिपोर्ट हमारा सामान्य भविष्य (1987) की वजह से बल्कि जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक सबूतों के विश्लेषण और उनके आंकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी समिति के गठन के कारण भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1990 के दशक को रियो (1992) में पृथ्वी सम्मेलन के प्रभावशाली आयोजन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) (1994), साथ ही क्योटो संधि (1997) के उद्भव के साथ चिह्नित किया गया था। नई सहस्राब्दी का पहला दशक, 2000 का दशक, संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन (2000) में 8 सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के उद्भव और एक अंतरराष्ट्रीय कानून (2005) के रूप में क्योटो संधि को स्वीकार करने का गवाह बना। इसके बाद 2010 का सबसे महत्वपूर्ण दशक आया, जिसका उल्लेख अनौपचारिक रूप से उग्र किशोरावस्था के रूप में किया गया क्योंकि इस दौरान बहुत-सी मानव-प्रेरित गतिविधियों के कारण हुए जलवायु परिवर्तन ने फिर से जलवायु संकट का रूप ले लिया था। इसे सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उद्देश्यपूर्ण आयोजनों- रियो में रियो-20 (2012), न्यूयॉर्क में सतत विकास शिखर सम्मेलन (2015) और पेरिस सम्मेलन-सीओपी21 (2015) में पेरिस जलवायु समझौते के रूप में चिह्नित किया गया था।

1970 के बाद से इन सभी वर्षों के दौरान, संयुक्त राष्ट्र ने सदस्य देशों के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक विकास के वैश्विक एजेंडे पर उपयोगी चर्चा में भाग लेने के लिए एक बहुपक्षीय वार्ता मंच प्रदान किया है। इन प्रयासों की परिणति 2015 में देखी गई थी जब संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य और सतत विकास शिखर सम्मेलन में 2030 एजेंडा और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता योगदान और सीओपी21 में कार्य योग्य समझौते के रूप में पेरिस जलवायु समझौता अस्तित्व में आया। इनका उद्देश्य वैश्विक जलवायु प्रयासों को मजबूती प्रदान करना था ताकि इस शताब्दी के अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक मानदंड स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना था।

सतत विकास लक्ष्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता योगदान, समूची दुनिया द्वारा सामाजिक-पर्यावरणीय-आर्थिक चुनौतियों से सामूहिक रूप से निपटने के इरादे का पोषण करते हैं और विभिन्न सदस्य देशों में शांति तथा साझेदारी बढ़ाना सुनिश्चित करते हुए अपने कार्यों में तेजी लाकर जलवायु संकट से निपटने और संधारणीय भविष्य के लिए अपने निवेश को बढ़ाते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के प्रति सतत विकास के अभियान ने 3 पी (पीपल-प्लेनेट-प्रॉफिट) और तीन आर (रिड्यूस-रीयूज-रीसाइकल) के अलावा और आयामों (शांति-साझेदारी) के समावेश को देखा है, जिसका उद्देश्य जलवायु संकट से प्रभावी रूप से और अधिक आयामों (रिकवर-रीडिजाइन-रिमैन्युफैक्चर-रीथिंक-रिफ्यूज़-रिप्लेस-रीपरपज़) का समर्थन प्राप्त करना है। इनके अलावा एक और आर यानी रीज्वॉयस (पूर्ण आनंद) को भी प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों

की समस्याओं को कम करने, समाधानों की उपयुक्तता बढ़ाने और स्थायी तरीके से विकास को प्राप्त करने के लिए इसे दैनिक जीवन में अपनाने पर जोर दिया।

जलवायु परिवर्तन के समाधान का अर्थ है उचित समय पर उचित जलवायु कार्रवाई करना। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता योगदान, पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप यूएनएफसीसीसी को सदस्य देशों द्वारा शमन और अनुकूलन कार्यों सहित जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने कार्यों को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत की जाने वाली जलवायु योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जलवायु परिवर्तन का, सतत विकास लक्ष्यों से महत्वपूर्ण संबंध है, जो न केवल सतत विकास लक्ष्य 13: जलवायु कार्यवाही में प्रत्यक्ष रूप से अपने महत्व को पहचानता है, बल्कि भविष्य में इसके गंभीर रूप लेने की आशंका के कारण इसे सतत विकास के लिए बड़ा खतरा मानते हुए सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए परोक्ष रूप से विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भी कृतसंकल्प है। जलवायु परिवर्तन के खतरों में शामिल हैं- विकास के लाभ कम होना, आगे की प्रगति में बाधा, कमजोर लोगों की आय तथा अवसरों में कमी, समुद्र का स्तर बढ़ना, वर्षा तथा सूखे के स्वरूप में बदलाव, समुद्र का अम्लीकरण, प्राकृतिक खतरों की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ना, पानी की उपलब्धता और पहुंच का कम होना, खाद्य सुरक्षा की कमी, प्रवासन को बढ़ाना, आजीविका का कम होना, स्वास्थ्य में गिरावट, बुनियादी ढांचे को नुकसान और कई अन्य।

दशकों से या लंबे समय से प्रकृति को नुकसान पहुंचाए जाने के कारण जलवायु परिवर्तन का सिलसिला लगातार जारी है, मुख्य रूप से ऊर्जा, उत्पादन, कृषि, उद्योग, परिवहन, इमारतों, वनों की कटाई और भूमि उपयोग में परिवर्तन जैसी मानव-प्रेरित गतिविधियों से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन और धरती का तापमान बढ़ने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न सदस्य देशों द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता योगदान, दुनिया भर में दो सबसे महत्वपूर्ण सार्वभौमिक और समग्र अंतरराष्ट्रीय विकास परिणामों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें अंग्रेजी के अक्षरों में 5 पी और 6 आर को कवर करने वाले सिद्धांतों, दृष्टि, कार्यान्वयन और अनुवर्ती तंत्र के आधार पर मूल्यांकन करते हुए एक-दूसरे से अलग नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि सतत विकास लक्ष्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता योगदान, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए परिभाषित कार्यों में एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता की क्षमता है, इसलिए दोनों प्रक्रियाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग संचालित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब वैश्विक तापमान न्यूनतम मानदंडों से 1.1 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है, तब व्यवस्थित कार्यान्वयन व्यापक अवसर प्रदान करता है।

दीर्घकाल में वैश्विक जलवायु क्रियाओं और सतत विकास के बीच तालमेल बढ़ाने और इसे समझने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने में यदि देरी हुई तो कल इससे निपटने का खर्च बहुत अधिक हो सकता है। एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने से वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट-2019 द्वारा रेखांकित अंतर्निहित तालमेल से और भी प्रोत्साहन मिलता है, जो देशों को सही उपायों को अपनाने के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण की आवश्यकता को भी उजागर करता है। सतत विकास लक्ष्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता योगदान, दोनों ही, सदस्य देशों और अन्य कर्ताओं सहित पूरे ग्रह के लिए समय सीमा तय करने के लिए सबसे व्यापक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्रवाई की महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत सतत रूप से दुनिया का नेतृत्व करने के लिए परिवर्तनकारी और सक्रिय कार्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि सभी मनुष्य प्रकृति के साथ समरसता से जीवन का आनंद ले सकें।

सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीटर व्हाइट, ने कुछ साल पहले, 2010 के दशक का उग्र किशोरावस्था के रूप में उल्लेख करने की संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पहल को विज्ञान आधारित लक्ष्यों के साथ संधारणीय भविष्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए समर्थन बढ़ाने में प्रमुख पक्षों के रूप में बड़े व्यापार संघों की स्वेच्छा पर जोर दिया था। उन्होंने आगे संकेत दिया कि कारोबारी समुदाय का उद्देश्य 2020 में नये युग की शुरूआत पर उग्र किशोरावस्था से परिवर्तन समय की ओर बढ़ना था। उग्र किशोरावस्था नामकरण इस अवधि के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि इस दौरान पर्यावरणीय

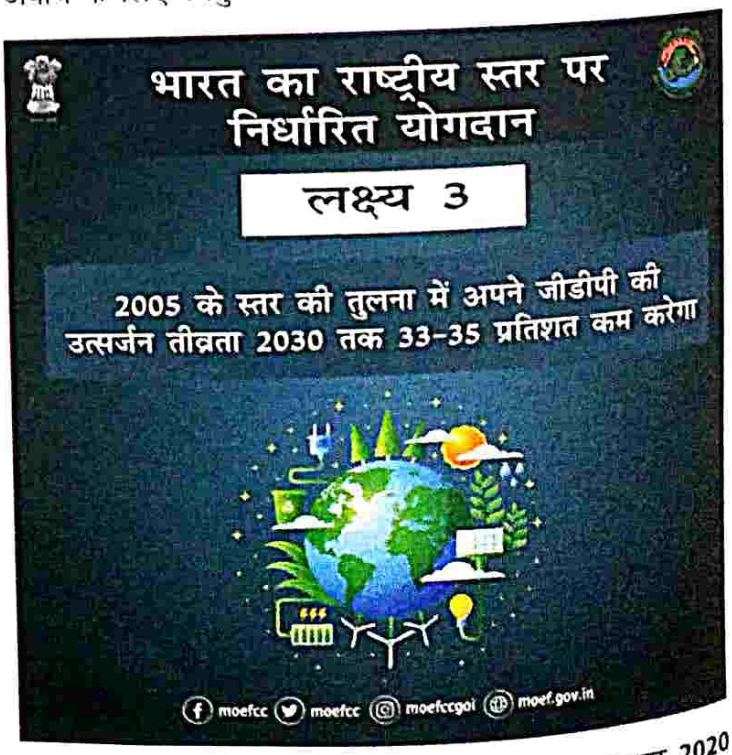

जोखिम और चुनौतियां बहुत रही हैं। इनमें शामिल हैं- मुख्य रूप से सबसे गर्म पांच साल (2015-19) और दस साल (2010-19), महासागरों का उच्चतम तापमान तथा पानी की सर्वाधिक अम्लता, सबसे कम आर्कटिक समुद्री बर्फ तथा अंटार्कटिका की बर्फ और सबसे अधिक उल्लेखनीय पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की अमेरिका के राष्ट्रपति की घोषणाएं।

राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्टों में चेतावनी दी गई है कि सतत विकास लक्ष्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता योगदान के परिणाम में से कुछ या अन्य संकेतकों में प्रगति होने के बावजूद, समग्र क्रियाएं इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए इस महत्वपूर्ण दशक में वांछित पैमाने और गति के अनुरूप नहीं हैं। 2050 तक अधिकतर विकासशील देशों के 43 बड़े शहरों के प्रदर्शन और 2030 तक विश्व की अत्यधिक गरीब 50 प्रतिशत आबादी के बढ़कर 80 प्रतिशत तक होने के अनुमान की चुनौती के मद्देनजर यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि पिछले 10 वर्षों में पहली बार, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वार्षिक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि सभी संभावित पांच शीर्ष वैश्विक जोखिमों की आशंका पर्यावरण से संबंधित है, जबकि वर्ष 2010 में पर्यावरण से संबंधित कोई भी जोखिम नहीं था। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि इस सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 3 डिग्री से. तक पहुंचना तय है जो सामाजिक-पर्यावरणीय-आर्थिक परिणामों के अधिकतम प्रभाव की गंभीरता से बचने के लिए यूएनएफसीसीसी और आईपीसीसी के निर्धारण से दुगुना है।

इस महत्वपूर्ण समय में जब दुनिया सामूहिक रूप से और अधिकतम सदस्य देशों के व्यक्तिगत रूप से, पहले से ही सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता योगदान को पूरा करने में पैमाने और गति की दृष्टि से पीछे थी, 2020 के दशक की शुरुआत में ही अभूतपूर्व महामारी कोविड-19 का सामना करना पड़ा। इस संकट के कारण 2020 के केवल तीन महीनों में ही मानव जीवन के भारी नुकसान और अर्थव्यवस्था में अनपेक्षित पतन के कारण निवेश में भारी गिरावट आई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार वैश्विक वृद्धि दर में 3 प्रतिशत गिरावट आने का संकेत है, जो अब तक सर्वाधिक मंदी की स्थिति है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र, जिसमें अधिकांश आबादी कमजोर वर्गों की है, उसे पहले से ही निजी निवेश तथा कर राजस्व में गिरावट की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा वैश्विक मांग और सकल घरेलू उत्पाद में भारी गिरावट, कमजोर राजकोषीय स्थिति और नए ऋण संकट के उभरने की आशंका है। हालांकि वैज्ञानिकों सहित सभी विशेषज्ञ इससे सहमत होंगे कि हम इस ग्रह को संधारणीय बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए चौराहे पर थे, लेकिन कोविड-19 महामारी ने हमें उग्र किशोरावस्था से बाहर निकलने के बाद बदलाव की दिशा में ले जाने की बजाए संकट काल में धकेल दिया। कोविड-19 के कारण विभिन्न देशों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बड़े पैमाने पर निवेश आवश्यक हो गया है। इस महामारी के खत्म होने के बाद अर्थव्यवस्थाओं को उबरने के लिए भी अधिक निवेश की आवश्यकता होगी, जो अनिवार्य रूप से जलवायु शमन और अनुकूलन गतिविधियों में संभावित निवेश से हटाकर किया जाएगा और शमन तथा अनुकूलन परियोजनाओं में देरी कर इनकी समय सीमा को आगे बढ़ाया जाएगा।

बहरहाल, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के गठन के संबंध में विंस्टन चर्चिल के एक कथन में निहित उनकी अंतरदृष्टि पर विश्व की मौजूदा स्थिति में अमल किया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी अच्छे संकट को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। जलवायु संकट के संदर्भ में कोविड-19 को एक परीक्षण के रूप में लिया जा रहा है। विभिन्न मोर्चों पर कोविड-19 के समान दिखने वाले, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिम और चुनौतियां, दुनिया भर में कमजोर वंचित आबादी और समुदायों पर अधिक प्रभाव डाल रहे हैं। इन स्थितियों में, जबकि निवेश अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को उबारने में लगा दिए जाते हैं, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उपायों में लगाया जा सकता था। चूंकि अधिक कुशल सतत विकास लक्ष्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता योगदान की स्थापना, सहस्राब्दि विकास लक्ष्य और क्योटो संधि की विफलताओं और सफलताओं से मिली सीख से की गई है, इसी प्रकार कोविड-19 से मिली सीख भी हमें जलवायु संकट से निपटने के लिए सही रास्ता और नई दिशा दिखा सकती है।

आर्थिक सुधार के लिए कोविड के समय में आत्मनिर्भर और लोकल के लिए वोकल को, कोविड के बाद के समय में प्रभावी रूप से जारी रखने से संभवतः जलवायु संकट से निपटा जा सकता है।

ऐसे समय में जब कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य आपात स्थिति ने इस सदी के सबसे खराब आर्थिक परिदृश्य की भविष्यवाणी की है, तब सही नीतिगत कियाएं, जलवायु संकट के गहराने से उत्पन्न किसी भी जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, संकट की इस घड़ी ने हमें प्रकृति के साथ अपने संबंधों में फिर से समरसता लाने और परिभाषित करने का अवसर दिया है। मौजूदा स्थितियों में, सरकारों को जलवायु के अधिक अनुकूल गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। कोविड-19 के दौरान समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को दर्शाने वाला कॉरपोरेट क्षेत्र कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, जीवन चक्र आंकलन, जलवायु कार्यनीति की अति सक्रियता, चक्रीय अर्थव्यवस्था का अधिकतम उपयोग जारी रख सकता है और उसे इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन का, सतत विकास लक्ष्यों से महत्वपूर्ण संबंध है, जो न केवल सतत विकास लक्ष्य 13: जलवायु कार्यवाही में प्रत्यक्ष रूप से अपने महत्व को पहचानता है, बल्कि भविष्य में इसके गंभीर रूप लेने की आशंका के कारण इसे सतत विकास के लिए बड़ा खतरा मानते हुए सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए परोक्ष रूप से विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भी कृतसंकल्प है।

राष्ट्रीय प्रतिबद्धता योगदान ने पहले ही जलवायु कार्रवाई की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अपने समर्थन को सुरक्षित करने के लिए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के प्रावधानों को शामिल किया है। ऐसे समय में जब घर से काम करने और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस तथा बैठकों का चलन काफी महत्वपूर्ण व्यवहार्य मॉडल के रूप में उभरे हैं, भविष्य में समुचित दोहन से भारी प्रदूषण वाली उड़ानों सहित परिवहन के विभिन्न साधनों से उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। दुनिया भर की कंपनियों ने भी लॉकडाउन के दौरान अपने व्यापार में कमी के प्रभाव से बचने के लिए लघु और सरल आपूर्ति- शृंखलाओं की व्यवहार्यता का फिर से आंकलन किया है, जो भविष्य में उत्सर्जन और परिचालन जोखिमों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

हालांकि कोविड-19 के कारण पेरिस जलवायु समझौते की बहुप्रतीक्षित नियम-पुस्तिका को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में विलंब हुआ है, क्योंकि नवंबर 2020 में ग्लासगो में आयोजित होने वाले सीओपी26 को नवंबर, 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। निस्संदेह इससे यूएनएफसीसीसी और सदस्य देशों को सीओपी की प्रक्रियाओं और मॉडलों के बारे में फिर से चर्चा करने के लिए एक पूरे वर्ष का अतिरिक्त समय मिल गया है। व्यस्त वार्षिक कार्यक्रम के कारण पिछले 25 वर्षों में उन्हें कभी भी जरा-सा भी अतिरिक्त समय नहीं मिल सका है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 12 (पेरिस जलवायु समझौते के) और अनुच्छेद 6 (यूएनएफसीसीसी के) के तहत शिक्षा-प्रशिक्षण-जागरूकता (जलवायु सशक्तीकरण के लिए कार्रवाई) के एजेंडे को सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों को प्रासंगिक शैक्षिक पहल के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने इस पहल को प्राथमिकता नहीं दी है, अब इसे सार्थक परिणाम तक पहुंचाने के लिए वे इस पर फिर से विचार कर सकते हैं। कोविड-19 ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित करने के साथ पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया

को बदल दिया है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का उपयोग शिक्षा-प्रशिक्षण-जागरूकता प्रदान करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जा सकता है क्योंकि यह मुक्त शिक्षा संसाधनों, बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम पोर्टल, पॉडकास्टिंग, ई-लाइब्रेरी और सोशल मीडिया सामग्री को उचित रूप से उपयोग करने के लिए संरेखित कर सकता है। वांछित गति और पैमाने को प्राप्त करने के लिए प्रभावी और कुशल संयोजन पर जोर देने में सफल रहे इग्नू जैसे संस्थान प्रमुख मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के उपयोग में मदद कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने भागीदार संगठनों के साथ नई चुनौतियों से निपटने के लिए हाल में किए गए उपायों में नीति-निर्माताओं, सरकारों और मौद्रिक प्राधिकरणों से कोविड-19 के प्रभाव को नकारने के लिए तत्काल और समन्वित प्रतिक्रिया प्रदर्शन का आग्रह करना, और सतत विकास लक्ष्यों तथा राष्ट्रीय प्रतिबद्धता योगदान के लिए पर्याप्त वित्त सुनिश्चित करना और सतत विकास में सार्वजनिक तथा निजी निवेश को सुविधाजनक बनाना, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना, संकट निवारण / जोखिम में कमी / नियोजन में अतिरिक्त निवेश करना, और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने वाले व्यापार अवरोधों को दूर करना शामिल हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के दौरान, वैश्विक उत्सर्जन में काफी कमी आई है और इसके 4.4 प्रतिशत से 8 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वार्षिक उत्सर्जन में यह सबसे अधिक गिरावट है। वैश्विक महामारियों को सही ठहराए बिना, उत्सर्जन में कमी के लिए जिम्मेदार इन कार्यों को नई सामान्य स्थितियों में भी दोहराया जा सकता है क्योंकि इस तरह के उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध होंगे जो कि अन्यथा सामान्य स्थिति में उपलब्ध नहीं होते।

इसके अलावा, कोविड-19 के दौरान आत्मनिर्भर और 'वोकल फॉर लोकल' के मॉडल को अपनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान पर अमल करते हुए स्थानीय स्तर पर विभिन्न कर्ताओं की भागीदारी के साथ किए गए प्रयासों और स्थानीय लोगों की आवश्यकता के अनुसार भागीदारी, जुड़ाव, नेतृत्व, नवाचार, सह-निर्माण तथा सहयोग को एकीकृत करने वाले दृष्टिकोण से उपयुक्त जलवायु समाधान भी निकाल सकते हैं। इस तरह के स्थानीय और सहभागी दृष्टिकोण से ऐसे उपायों को अपना सकते हैं जिनसे आर्थिक विकास से समझौता नहीं करना पड़े। महात्मा गांधी के सर्वोदय ने भी स्थानीय संधारणीय कृषि और लघु-कुटीर उद्योगों की आवश्यकता पर जोर दिया था और असंधारणीय तीव्र औद्योगीकरण के तरीकों को चुनौती दी थी। यह दर्शाता है कि गांधीजी स्थानीय संसाधनों के साथ स्थानीय स्तर पर उत्पादन और खपत को समर्थन देने के पक्ष में थे। उन्हें ये सबसे अधिक संधारणीय लगते थे। उनकी पुस्तक हिंद स्वराज इसी पर संकेंद्रित है, जिसे अनौपचारिक रूप से कई लोगों द्वारा सतत विकास का घोषणापत्र माना जाता है।

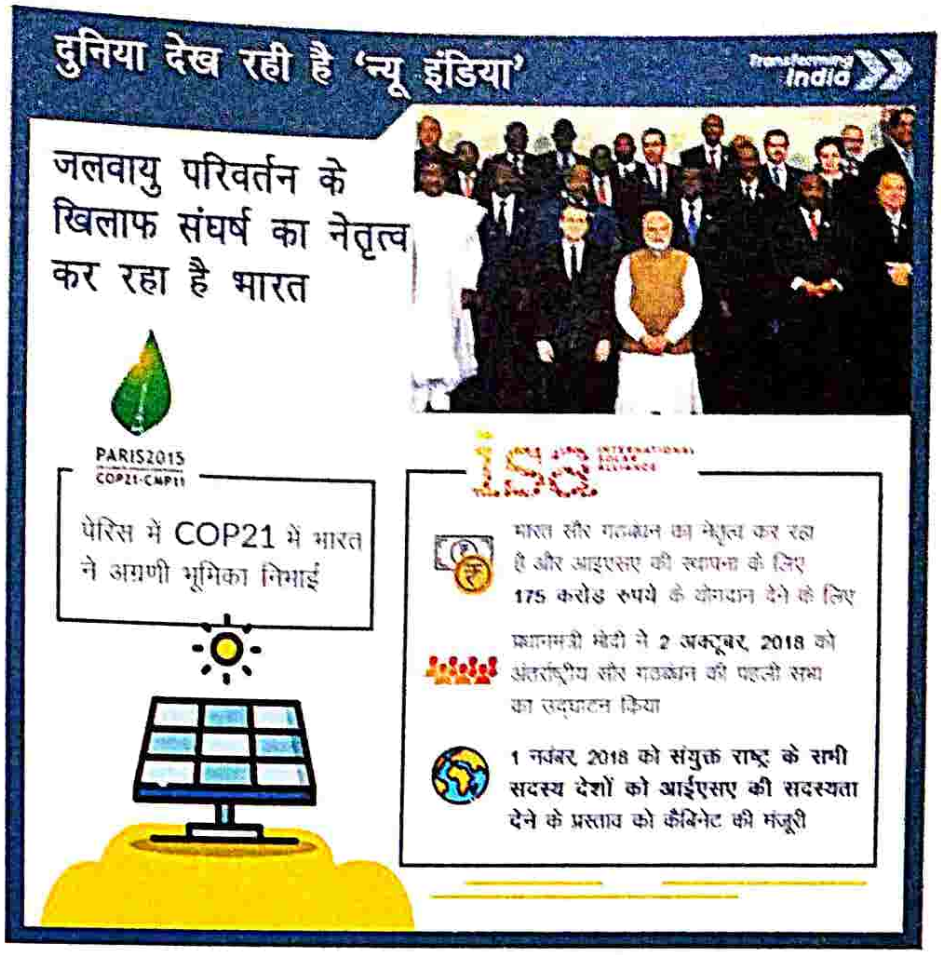

आर्थिक सुधार के लिए कोविड के समय में आत्मानिर्भर और लोकल के लिए वोकल को, कोविड के बाद के समय में प्रभावी रूप से जारी रखने से संभवत: जलवायु संकट से निपटा जा सकता है।

यह सच है कि कोविड-19 के कारण भारी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और इससे महत्वाकांक्षी जलवायु योजनाओं की प्रक्रिया में अवरोध आ सकता है लेकिन हमें निराशावादी होने के बजाय कोविड-19 के अनुभवों का उपयोग सहयोग तथा बहुपक्षीयता को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से उबरने के लिए करते हुए स्वच्छ प्रौद्योगिकी, हरित निर्माण और उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में करना चाहिए। कोविड-19 ने विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक नेतृत्व के अस्तित्व और और इसके उभरने की ओर संकेत किया है जो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए वैज्ञानिक सुझावों पर गंभीरता से ध्यान देते हैं। कोविड-19 युग ने वैश्विक निहितार्थों के साथ सहयोग का उल्लेखनीय उदाहरण भी देखा है जो जलवायु संकट से निपटने में सहायक होगा। बहरहाल, मुश्किल की यह घड़ी, संधारणीय भविष्य के लिए सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता योगदान के तहत लक्ष्यों और संकल्पों की अनदेखी किए बिना, सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और निर्णयों के सही विकल्पों के चुनाव के लिए सभी प्रमुख पक्षों का आह्वान करती है ताकि विश्व समुदाय बहुत आवश्यक परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर सके। ■

कोरोना के साथ, कोरोना के बाद

मदन जैड़ा

असल चुनौती यह है कि बीमारी के उपचार की सुविधाएं बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहें। छोटे शहरों एवं जिला अस्पतालों में संक्रामक बीमारियों का इलाज हो। कोरोना के मामले में हालांकि यह सुविधा आज देश के पास है। लेकिन इसे तैयार करने के लिए लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ी। क्योंकि लॉकडाउन ने महामारी के फैलाव को विलंबित किया और सरकार को संसाधान जुटाने का अवसर मिल गया। लेकिन भविष्य में हमें ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति पुनः पैदा होने पर लॉकडाउन की नौबत नहीं आए। स्वास्थ्य सेवाओं का जो ढांचा हमने तैयार किया है उसे और सुदृढ़ किया जाए और वह आगे कायम भी रहे तथा उसे और मजबूती मिले

विगत छह महीनों के दौरान भारत ने कोविड संकट का सूझबूझ के साथ मुकाबला किया। एक तरफ चरणबद्ध तरीके से देश ने अपनी क्षमताओं में इजाफा किया तो दूसरी तरफ इस संकट के अर्थव्यवस्था पर पड़े दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। दोनों दिशाओं में हम सफल हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कोविड के खिलाफ भारत की रणनीति दुनिया के लिए एक उदाहरण है। कोविड संकट अभी जारी है लेकिन पूरी दुनिया ने यह देखा है कि विशाल आबादी वाला भारत किस प्रकार खतरे को न्यूनतम करने में सफल रहा है। हमारे यहां अन्य देशों के मुकाबले मृत्यु दर बेहद कम है। आज भारत सर्वाधिक टेस्ट करने वाले देशों में शुमार है। अब देश में कोविड संक्रमण की ताजा स्थिति से लग रहा है कि महामारी स्थिर होने के बाद ढलान की ओर अग्रसर है। लेकिन कोविड संकट ने लोगों और सरकारों को कई सबक सिखाए हैं जिन पर उन्हें भविष्य में ध्यान रखना होगा।

अभी हम कोविड के साथ जीने की आदत डाल रहे हैं। लेकिन सबके मन में एक प्रश्न है कि आगे क्या होगा, कब तक कोविड रहेगा? चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में कोविड का खतरा धीरे-धीरे कम जरूर होगा लेकिन यह खत्म नहीं होगा। कोरोना वायरस हमेशा मौजूद रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य तंत्र की इसके खिलाफ मुहिम जारी रहेगी और लोगों को भी वे तमाम सावधानियां आगे भी बरतनी होंगी जो अभी बरत रहे हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यह उपाय हमें तब तक करने होंगे जब तक कि कोरोना का टीका उपलब्ध न हो जाए और समस्त आबादी का टीकाकरण नहीं हो जाए या फिर इसका कोई प्रभावी उपचार मिल जाए। एक स्थिति यह भी हो सकती है कि कोविड वायरस कमजोर पड़ जाए तथा यह अन्य सर्दी जुकाम के बुखारों जैसा ही हो जाए। लेकिन जब यह स्थिति नहीं आती है तब तक लोगों की और सरकार की जिम्मेदारियां कम नहीं होती।

भविष्य के लिए तैयारी

आधुनिक विश्व ने कोविड जैसी महामारी का सामना पहली बार किया है। इस जैसी महामारी पिछले सौ साल में कभी नहीं हुई। स्पेनिश फ्लू का प्रकोप 1918 में हुआ था जिसकी तुलना कोविड से की जा सकती है। हाल के दशकों में सार्स और बर्ड फ्लू जैसी महामारिया फैलीं लेकिन एक निश्चित समय के भीतर उन पर काबू पा लिया गया था। लेकिन कोविड के खतरे का आकलन करने में सभी से चूक हुई। लेकिन इस महामारी ने कई सबक सिखा दिए हैं। इन पर आगे बढ़ने के लिए दो मोर्चों पर कार्य करना होगा। हमें अपने स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करना होगा। उसमें भारी निवेश करना होगा। दूसरे, लोगों को अपनी दिनचर्या और व्यवहार में बड़े बदलाव लाने होंगे और उन्हें स्थाई तौर पर अपनाना होगा। यदि हम टीके से कोरोना पर अगले कुछ सालों में काबू भी पा लेते हैं तो इस प्रकार की बीमारियों का खतरा हमेशा रहेगा। इसलिए आज विश्व और सभी देशों के पास इस प्रकार की महामारी से मुकाबले की ठोस रणनीति होनी चाहिए।

देशव्यापी निगरानी तंत्र

किसी भी बीमारी की रोकथाम के लिए जरूरी कि उसका जल्दी पता लगाना। संक्रामक बीमारियों के मामले में यह बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे उसके प्रसार को रोका जा सकता है। इसलिए कोविड के बाद देश को संक्रामक बीमारियों की निगरानी

लेखक वरिष्ठ पत्रकार तथा हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ हैं। ईमेल: m_jaira@hotmail.com

का एक ऐसा तंत्र विकसित करना होगा जो ऐसे किसी वायरस के संक्रमण होने की स्थिति में तुरंत अवगत कराया ताकि स्वास्थ्य एजेंसियां बीमारी को उसी स्थान पर रोक दें। सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से इस तंत्र को विकसित करना मुश्किल नहीं है। इस तंत्र को शहर से लेकर गांव तक स्थापित करना होगा। कम से कम ब्लॉक स्तर पर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में संक्रामक बीमारियों की जांच की सुविधा होनी चाहिए। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत घोषित कई उपायों में ब्लॉक स्तर पर जांच की बात भी कही है। इस पर जल्दी आगे बढ़ने की जरूरत है।

संक्रमण को रोकने की रणनीति

कोविड का अगर जिक्र करें तो यह बीमारी दूसरे देशों से भारत पहुंची। इसी प्रकार पूर्व में सार्स, वर्ड फ्लू समेत कई और बीमारियां भी आई। हालांकि उन पर काबू पा लिया गया। इसलिए आज एक ऐसा तंत्र हवाई अड्डों, बंदरगाहों आदि पर बनाए जाने की जरूरत है जो सभी यात्रियों की प्रभावी जांच कर सके। बाहर से प्रवेश करने वाली बीमारियों को एंट्री प्वाइंट पर ही रोकने के उपाय सुनिश्चित करने होंगे। कोविड के मामले में चीन से आने वाले यात्रियों की निगरानी बेहतर तरीके से की गई लेकिन वायरस चीन से यूरोप होकर भारत पहुंचने में सफल रहा। इसलिए देश में प्रवेश के सभी बिन्दुओं पर एक प्रभावी हैल्थ स्क्रीनिंग तंत्र स्थापित करना होगा। यह तंत्र चौबीसों घंटे और बारहों महीने काम करता रहे।

इसके साथ ही देश के भीतर परिवहन के दूसरे तरीकों जैसे घरेलू हवाई सेवा, रेलवे और बस ट्रांसपोर्ट केंद्रों से होने वाली आवाजाही की स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। यदि किसी प्रकार की चूक एक स्तर पर होती है तो दूसरे स्तर पर उसे दुरुस्त किया जाए।

जिला अस्पतालों को मजूबत करना होगा

इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका आती है। यदि हम बीमारी को प्रवेश करने से नहीं रोक पाते हैं तो हमारे पास मरीजों की जांच और उपचार की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। जांच की सुविधाएं तैयार करने की क्षमता हमारे पास है। कोविड संकट में न सिर्फ हमने जांच किटें तैयार कीं, बल्कि दो हजार से भी ज्यादा प्रयोगशालाएं जांच के लिए तैयार कीं जबकि मार्च में सिर्फ एक प्रयोगशाला में कोविड जांच हो रही थी। इसी प्रकार करीब 90 लाख तक लोगों को क्वारंटाइन करने और उपचार की सुविधा भी देश ने लॉकडाउन के दौरान तैयार की। पीपीई किट, वेंटीलेटर, एन-95 मास्क आदि तैयार किए। अपने लिए भी और दूसरे देशों को भी दिए। कोरोना की दवा रेमडेसिवीर जो विदेशों से 12 हजार की आ रही थी वह देश में सिर्फ चार हजार में बनने लगी।

असल चुनौती यह है कि बीमारी के उपचार की सुविधाएं बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहें। छोटे शहरों एवं जिला अस्पतालों में संक्रामक बीमारियों का इलाज हो। कोरोना के मामले में हालांकि यह सुविधा आज देश के पास है। लेकिन इसे तैयार करने के लिए लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ी। क्योंकि लॉकडाउन ने महामारी के फैलाव को विलंबित किया और सरकार को संसाधान जुटाने का अवसर मिल गया। लेकिन भविष्य में हमें ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति पुनः पैदा होने पर लॉकडाउन की नौबत नहीं आए। स्वास्थ्य सेवाओं का जो ढांचा हमने तैयार किया है उसे और सुदृढ़ किया जाए और वह आगे कायम भी रहे तथा उसे और मजबूती मिले। आज भी देश में करीब नौ लाख कोविड रोगी उपचाराधीन है। कहीं से भी यह शिकायत नहीं है कि किसी रोगी को उपचार नहीं मिल रहा है।

सस्ती हुई कोरोना जांच किट

कोविड-19 संकट के बीच केंद्र सरकार ने आपदा को अवसर में बदलने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। इसके पीछे मकसद यह है कि हम देश की जरूरतों का सामान देश में ही तैयार करें। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेंगे। लेकिन इससे एक फायदा और भी हो रहा है, वह है देश में बन रहे सामानों की कीमतों में कमी। जब कोई सामग्री देश में बनती है तो उसकी कीमतों में भारी कमी आ जाती है। कोविड जांच किट का देश में निर्माण और कीमतों में कमी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार कोविड-19 टेस्ट किटों का निर्माण देश में होने से इनकी कीमतें पांच सौ फीसदी से भी अधिक की कमी आई है।

कोविड की जांच में तीन प्रकार की किट का इस्तेमाल होता है। एक, आरटी-पीसीआर किट, दूसरी आरएनए एक्सट्रक्ट किट तथा तीसरी वीटीएम किट। देश में जब मार्च में कोरोना महामारी ने पैर पसारे तो इनमें से कोई भी किट देश में नहीं बनती थी। लेकिन जैसे-जैसे इनकी जरूरत बढ़ने लगी तो देश की सरकारी एवं निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं ने मिलकर इन किटों का निर्माण शुरू कर दिया। जैसे ही देश में उत्पादन बढ़ा तो इनके दामों में भारी कमी आ गई।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने बताया कि मार्च में आयातित कोविड किटों का इस्तेमाल हो रहा था। चूंकि एक टेस्ट के लिए तीन अलग-अलग किट इस्तेमाल होती थीं जिनकी कुल कीमत तब 1790 रुपये सरकार को पड़ती थी। लेकिन देश में निर्माण होने के बाद अब तीनों किटों का मूल्य घटकर सिर्फ 323 रुपये रह गया है।

डॉ भार्गव ने कहा कि कोविड टेस्ट में इस्तेमाल होने वाली आरटी-पीसीआर किट की कीमत मार्च में 1150 रुपये थी जो अब 138 रुपये है। जबकि इस दौरान आरएनए को निकालने वाली किट की कीमत 320 रुपये थी जो अब 93.6 रुपये है। मरीज का

सैंपल लेने के लिए इस्तेमाल होने वाले वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम यानि वीटीएम किट की कीमत 320 रुपये से घटकर 91 रुपये आ गई है। इस प्रकार एक टेस्ट की लागत 1790 रुपये से कम होकर 323 रुपये आ गई।

कीमतें घटने से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि आज बड़े पैमाने पर टेस्ट हो पा रहे हैं। क्योंकि इससे एक तरफ किट की उपलब्धता बढ़ी है तो दूसरी तरफ कम खर्च में ज्यादा टेस्ट हो पा रहे हैं। आज देश में रोजाना औसतन 10-12 लाख तक टेस्ट होने लगे हैं।

आईसीएमआर ने सभी सरकारी एवं निजी प्रयोगशालाओं को किट बनाने के लिए प्रेरित किया। आईआईटी, सीएसआईआर से लेकर निजी कंपनियां तक कोरोना किट बनाने में जुटीं। आईसीएमआर ने कुल 212 आरटीपीसीआर किटों की जांच-पड़ताल की जिनमें से 104 को उपयुक्त पाया गया है तथा उन्हें मंजूरी प्रदान की गई। इनमें से 46 किट देश में निर्मित हैं। इसी प्रकार आरएनए निकालने वाली 186 किट की जांच करने के बाद 112 को मंजूरी दी गई जिनमें 62 स्वदेशी हैं। कुल 171 वीटीएम किट का परीक्षण किया गया जिनमें से 139 को मंजूरी दी गई। इनमें 119 स्वदेशी हैं। देश में विकसित और निर्मित किटों कीमतें सबसे कम हैं। यह सफलता भी दर्शाती है कि भविष्य में हम कैसे क्षमता का निर्माण करेंगे।

अलग चिकित्सा तंत्र की जरूरत

कोविड काल में एक सबसे बड़ी चुनौती यह देखी गई कि अस्पतालों में कोविड रोगियों का तो उपचार होने लगा लेकिन गैर कोविड उपचार लगभग ठप हो गए। यह एक नई किस्म की चुनौती थी। दोनों प्रकार की सेवाओं को साथ-साथ जारी रखना होगा। यह तभी संभव होगा जब हमारे पास संक्रामक बीमारियों के इलाज के लिए अस्पतालों में अलग से परिसर हों। कोविड काल के दौरान ही सरकार ने जिला स्तर के अस्पतालों में अलग संक्रामक रोग परिसर बनाने का ऐलान किया है। यह अच्छा कदम है तथा इस पर तुरंत कार्य शुरू किया जाना चाहिए। यदि संक्रामक बीमारियों के लिए अस्पतालों में अलग से भवन एवं वार्ड होंगे तथा साथ में प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी होंगे तो सामान्य चिकित्सा सेवाएं भी बहाल रहेंगी।

लोगों की जिम्मेदारी

संक्रामक बीमारियों के फैलाव में लोगों का व्यवहार भी अहम भूमिका निभाता है। यदि लोग सरकार द्वारा तय मानकों का पालन करते हैं तो बीमारी के फैलाव को नियंत्रित किया जा सकता है। यह माना जाता है कि यदि एक व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति को बीमारी फैलाता है तो उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही यह संख्या बढ़ती है तो बीमारी बेकाबू होने लगती है। बीमारी के फैलाव को लोगों के व्यवहार से ही सीमित किया जा सकता है। कोरोना संकट में मास्क लगाने, दो गज की सामाजिक दूरी का पालन

करने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाने से काफी हद तक बीमारी का फैलाव रोका जा सकता है।

कोविड संकट में लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया है। ज्यादातर लोग खतरे को महसूस कर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। लोगों ने कई ऐसे कदम उठाए जो उन्हें इस बीमारी से बचा रहे हैं। जैसे भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना, वर्क फ्रॉम होम, अनावश्यक यात्राओं से बचना आदि। यह उपाय आगे भी जारी रखने होंगे। मोटे तौर पर यह रणनीति रखनी पड़ेगी कि काम भी करना है, कोरोना से बचना भी है। यह कोरोना के साथ-साथ कई और संक्रामक बीमारियों से भी बचाव में कारगर होगा।

तकनीक को हथियार बनाना होगा

आने वाले समय में तकनीक को कोविड या किसी भी संभावित संक्रामक बीमारी के खिलाफ हथियार बनाना होगा। संक्रामक बीमारियों की निगरानी में तकनीक की अहम भूमिका हो सकती है। मौजूदा समय में अपनाया जा रहा आरोग्य सेतु ऐप इसका उदाहरण है जो कोविड रोगी के संपर्क में आने पर आपको आगाह करता है। लेकिन आईटी में कई नए प्रयास हो रहे हैं जो भविष्य में कोरोना से बचाव, जांच एवं उपचार के मार्गदर्शन में कारगर साबित होंगे। इतना ही नहीं इस प्रकार की किसी बीमारी के फैलाव को लेकर चेतावनी भी जारी कर सकेंगे। देश में और देश के बाहर संक्रामक बीमारियों की निगरानी में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के इस्तेमाल को लेकर कई शोध हो रहे हैं। साथ ही लोगों को जीवन में उन तकनीकों का सहारा लेना होगा जो कोविड प्रबंधन में कारगर हो सकती है। इनमें ऑनलाइन बैठकें, पढ़ाई और अन्य कामकाज शामिल हैं जो किए जा सकते हैं।

नीतिगत बदलाव लाने होंगे

कई अहम नीतिगत बदलाव लाने की जरूरत होगी। सबसे पहले स्वास्थ्य पर निवेश बढ़ाना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि गंभीर बीमारियों के मामले में लोगों को नि:शुल्क उपचार मिले तथा उसका बोझ व्यक्ति पर नहीं पड़े। इसी प्रकार वर्क फ्रॉम होम की नीति को आत्मसात करना होगा। कोविड संकट के बाद भी जो कार्य घर

से हो सकता है, उसे जारी रखना होगा। इससे अनावश्यक परिवहन रुकेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी।

स्वास्थ्य पर व्यय

देश में मौजूदा समय में स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी का 3.6 फीसदी व्यय होता है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र का व्यय भी शामिल है। लेकिन यदि इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों के सरकारी व्यय को देखें तो वह महज 1.29 फीसदी ही है। जबकि हमारी जैसी अर्थव्यवस्था के देश ब्राजील में सरकारी व्यय 3.9 फीसदी है। चीन में 2.9 फीसदी है। विकसित देशों में सरकारी व्यय दस फीसदी या इससे ज्यादा होता है। अमेरिका में यह जीडीपी का 16.9 तथा जर्मनी में 11.2 फीसदी है।

हमारे देश में हाल के वर्षों में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 में 1008 रुपये प्रति व्यक्ति था जो 2020 में 1944 रुपये हो गया। वृद्धि दोगुने की हुई है लेकिन अभी भी यह बहुत कम है। क्योंकि जो व्यय होता है, उसका बड़ा हिस्सा अस्पतालों के निर्माण, संसाधनों की खरीद, वेतन आदि पर खर्च होता है। इसलिए सार्वजनिक व्यय को जीडीपी के चार फीसदी तक ले जाने की जरूरत है तभी हम भविष्य में कोविड जैसे संकटों का मुकाबला आसानी से कर सकेंगे। साथ ही अन्य चिकित्सा सेवाओं को बेहतर भी बना पाएंगे। यहां गौरतलब है कि स्वास्थ्य में निवेश से न सिर्फ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी बल्कि यह क्षेत्र रोज़गार सृजन

तालिका 1 : स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय

वर्ष	स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय (करोड़ रु. में)	जनसंख्या (करोड़ में)	सकल घरेलु उत्पाद	स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च (रु. में)	स्वास्थ्य पर सकल घरेलु उत्पाद के प्रतिशत में व्यय
2009-10	72536	117	6477827	621	1.12
2010-11	83101	118	7784115	701	1.07
2011-12	96221	120	8736039	802	1.1
2012-13	108236	122	9951344	890	1.09
2013-14	112270	123	11272764	913	1.00
2014-15	121600.23	125	12433749	973	0.98
2015-16	140054.55	126	13764037	1112	1.02
2016-17 (सं.अ.)	178875.63	128	15253714	1397	1.17
2017-18 (ब.अ.)	213719.58	129	16751688	1657	1.28

स्रोत : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019

के लिए भी उपयुक्त है। इसमें चिकित्सा पर्यटन की भी संभावनाएं हैं। दवा और टीका उत्पादन में पहले ही भारत की मजबूत स्थिति बनी हुई है और दो सौ देशों को हम दवाएं निर्यात कर रहे हैं।

शोध क्षमता में इजाफा करना होगा

कोविड संकट के दौरान वैज्ञानिक महकमों ने हालांकि तत्परता से कार्य किया है। देश में 30 टीकों एवं दवाओं पर कार्य चल रहा है जिनमें से दो टीकों के दूसरे चरण के परीक्षण पूरे हो चुके हैं। लेकिन इन प्रयासों को और तेज किए जाने की जरूरत है। दवा और टीके बनाने की हमारे पास अपार क्षमताएं हैं तथा हम दो सौ देशों को इनकी आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन शोध को बढ़ाया जाए तो हम नई दवाएं एवं टीके खोजने में भी आगे रह सकते हैं। यहां गौरतलब है कि ज्यादातर शोध देश में सरकारी धनराशि से होते हैं। निजी क्षेत्र भी शोध के मामले में सरकारी अनुदान पर निर्भर है, उसे खुद भी शोध पर धनराशि का निवेश करना चाहिए। इसके बेहतर परिणाम होंगे। यह जहां देश के नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे रफ्तार मिलती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में स्वास्थ्य क्षेत्र को भी शामिल किया गया है।

स्वास्थ्यकार्मिकों का नया कैडर

संक्रामक रोग बीमारियां कई हैं। लेकिन ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए अलग से स्वास्थ्य तंत्र नहीं है। जैसे सरकार ने अलग से संक्रामक रोग ब्लॉक बनाने की बात कही है। उसके साथ ही संक्रामक रोगों के उपचार आदि को लेकर नर्स, पैरामेडिकल एवं डॉक्टरों का एक समर्पित कैडर तैयार किया जाना चाहिए। इससे संकटकाल में सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं नहीं चरमराएंगी। क्योंकि अभी एक ही तंत्र है जिसे दोनों मोर्चों पर कार्य करना पड़ता है। यहां यह भी प्रश्न उठ सकता है कि यदि अलग से कोई तंत्र बनाया जाएगा तो कोरोना संकट निपटने के बाद वह क्या करेगा। तब वह दूसरी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम एवं विशेष स्वास्थ्य अभियानों में कार्य कर सकता है जिनमें ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है।

चार योजनाओं की अहम भूमिका

कोविड संकट का सबसे ज्यादा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को उबारने की है। जब अर्थव्यवस्था उबरेगी तभी हम स्वास्थ्य क्षेत्र पर ज्यादा निवेश कर पाएंगे। यह देखा गया है कि देश की चार योजनाएं ऐसी हैं जिन्होंने न सिर्फ कोरोना संकट के दौरान देश को ताकत प्रदान की और गरीबों का सहारा बनी बल्कि आगे भी उनकी भूमिका बनी रहेगी। इन्हीं योजनाओं के भरोसे आगे भी सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में बढ़ा जा सकेगा। जिनमें गरीबी हटाने, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, कुपोषण से मुक्ति, सबको स्वास्थ्य सेवाएं देना आदि शामिल है।

रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डवलपिंग कंट्रीज (आरआईएस) के एक पॉलिसी दस्तावेज के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, मनरेगा और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कोरोना संकट के प्रभावों को खत्म करने एवं गरीबी उन्मूलन के खिलाफ प्रमुख हथियार के रूप में कार्य करेंगी।

दरअसल, कोविड संकट के दौरान भी इन योजनाओं ने अहम भूमिका निभाई है। देश में 38 करोड़ जनधन खाते हैं। लॉकडाउन की अवधि के दौरान 31.7 करोड़ खातों में 500 रुपये प्रतिमाह तीन महीने तक डाले गए। इन खातों में विभिन्न योजनाओं की कैश सब्सिडी और अन्य लाभ भी प्रदान किए जाते हैं।

इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में देश की दो तिहाई आबादी तकरीबन 81 करोड़ लोग आते हैं। इन्हें बेहद किफायती दरों पर प्रतिमाह 35 कि.ग्रा. अनाज तो मिलता ही है। इस तंत्र का इस्तेमाल करते हुए कोरोना संकट के दौरान इन्हें नवंबर तक पांच कि.ग्रा. अनाज एवं एक किलो दाल निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

इसी प्रकार मनरेगा में 2019-20 के दौरान 2.64 अरब कार्य दिवस सृजित किए गए। मनरेगा के कामगारों में 54 फीसदी महिलाएं हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इसमें 12 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। कोरोना संकट में सरकार ने तत्काल 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन इस योजना के लिए किया। कोविड संकट के कारण जो लोग शहरों से गांवों की तरफ लौटे, उन्हें मनरेगा ने रोज़गार दिया। उनका जीवन यापन का जरिया बना।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 50 करोड़ आबादी को पांच लाख के स्वास्थ्य बीमा में कवर किया गया है। कोरोना उपचार को भी इसमें शामिल किया गया। लांच होने के एक साल के भीतर ही 46 लाख लोगों ने योजना के तहत उपचार लिए जिसकी क्लेम राशि 75.64 अरब रुपये है।

इस प्रकार ये चार योजनाएं आबादी के एक बड़े हिस्से को आर्थिक, खाद्य एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। इसके बावजूद कुछ लोग हो सकते हैं जो इस प्रकार की सुरक्षा से वंचित हों लेकिन जिस प्रकार एक बड़ी आबादी को ये योजनाएं कवर कर रही हैं, उससे कोविड के प्रभावों को न्यूनतम किया है। आगे भी इन योजनाओं की भूमिका बनी रहेगी। ■

कोविड के बाद 'नया सामान्य'

मदन सबनविस

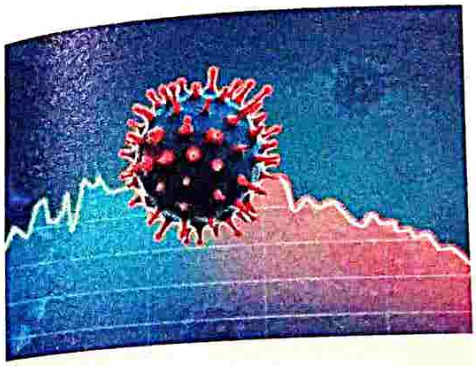

महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान व्यवसायों के कार्य करने के तरीके बदल गए हैं। भारतीय व्यापार के परिदृश्य में बड़ा परिवर्तन यह होगा कि इससे कई सेवा उद्योगों का महत्व अप्रासंगिक हो जाएगा या उनमें धीरे-धीरे गिरावट आएगी। सबसे पहले, वाणिज्यिक अचल संपत्ति के भविष्य पर सवालिया निशान लगाया गया है क्योंकि कंपनियों ने पाया है कि घर से काम करना एक सुविधाजनक तरीका है और इससे पट्टा किराया और किराए की बचत होती है

इस वर्ष मार्च में घोषित महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में शटडाउन को छह महीने से अधिक समय हो गया है, जिसे धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में आवधिक लॉकडाउन भी हुए हैं, जिनसे आपूर्ति शृंखलाएं और उत्पादन गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इस अवधि के दौरान लॉकडाउन और परिचालन की सीमित स्वतंत्रता की चुनौती को स्वीकार करते हुए कारोबार के तरीकों में काफी बदलाव किया गया है। वास्तविकता यह है कि संक्रमण के प्रसार में अनिश्चितता है, इसलिए अर्थव्यवस्था को खोलने का कारण, महामारी पर नियंत्रण में सफलता के परिणाम की बजाय आजीविका को बचाने की हताशा अधिक है।

घर से काम करने की अवधारणा जो अतीत में आईटी क्षेत्र में विलासिता हुआ करती थी, इस चुनौतीपूर्ण समय में व्यापार निरंतरता बनाए रखने के लिए शुरू की गई थी जो अब आदत बन गई है। कंपनियों ने इस नई व्यवस्था के प्रति स्वयं को अनुकूलित किया है जिसके कई उद्योगों के भविष्य के लिए अन्य परिणाम भी हैं। भविष्य में यह न्यू नार्मल यानी नई, लेकिन सामान्य व्यवस्था होगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा-संचालित रही है और इसलिए विनिर्माण दूसरे स्थान पर रहा है। पिछले छह महीनों में जिस तरह से स्थितियां बदली हैं, अर्थव्यवस्था के लिए, विशेष रूप से नीति निर्माताओं के दृष्टिकोण से, भविष्य के विकास के मार्ग पर पुनर्विचार करने के लिए अंतरनिरीक्षण की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें विनिर्माण पर वापस जाना होगा।

महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान व्यवसायों के कार्य करने के तरीके बदल गए हैं। भारतीय व्यापार के परिदृश्य में बड़ा परिवर्तन यह होगा कि इससे कई सेवा उद्योगों का महत्व अप्रासंगिक हो जाएगा या उनमें धीरे-धीरे गिरावट आएगी। सबसे पहले, वाणिज्यिक अचल संपत्ति के भविष्य पर सवाल उठाया गया है क्योंकि कंपनियों ने पाया है कि घर से काम करना एक सुविधाजनक तरीका है और इससे पट्टे के किराये और किराए की बचत होती है। यह देखा गया है कि कई कंपनियों ने पहले ही

लेखक केयर रेटिंग्स में मुख्य अर्थशास्त्री हैं। ईमेल: madan.sabnavis@careratings.com

पट्टों को छोड़ दिया है और अपने कर्मचारियों को सप्ताह में दो या तीन बार कार्यालय बुलाने की व्यवस्था शुरू की है। देश में रियल एस्टेट क्षेत्र में अचानक आई वृद्धि का कारण कर्मचारियों के लिए कार्यालयों की आवश्यकता थी, आने वाले समय में इसकी मांग में बहुत अधिक कमी होगी। कंपनियां परिसर खरीदने के लिए कम इच्छुक होंगी और संपत्ति को किराए पर लेने की आवश्यकता भी कम पड़ेगी, क्योंकि घर से काम करने का चलन बढ़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में काफी मांग में रही सामान्य कार्यक्षेत्र की अवधारणा में भी कुछ नया किया जा सकता है।

दूसरा, आतिथ्य व्यवसाय के विकल्पों पर पुनर्विचार करना होगा। बड़े होटलों के लिए व्यापार का मुख्य जरिया कारोबारी वर्ग था। इनके यात्रा करने और पांच सितारा होटलों में ठहरने से आतिथ्य व्यवसाय को बढ़ावा मिलता था। कई कंपनियों के अब जूम और वीबेक्स के साथ इंटरनेट पर बैठकों का संचालन करने से यात्रा करने और होटलों में रहने की आवश्यकता कम हो जाएगी। स्पष्ट रूप से, होटलों को पर्यटकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की कार्यनीति पर काम करना होगा, जिसका मतलब होगा कि उन्हें अपनी सेवाओं और लागतों को अलग-अलग लोगों के अनुरूप निर्धारित करना होगा। कुछ को कारोबार का नया विकल्प खोलने के लिए खाली स्थान को व्यापार केंद्रों में परिवर्तित करने के अर्थशास्त्र पर विचार करना पड़ सकता है।

तीसरा, आतिथ्य से संबंधित एक व्यवसाय-सम्मेलन है। सम्मेलनों का आयोजन, कंपनियों के लिए ब्रांड बनाने के लिए या आयोजकों के लिए प्रायोजकों और भागीदारी शुल्क के माध्यम से राजस्व अर्जित करने का एक तरीका था। सेमिनार आयोजित करने और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए वेब-सक्षम मीडिया के उपयोग के साथ, आयोजनों के संचालन का तरीका बदल जाएगा। मनोरंजन के लिए होने वाले आयोजनों में संगीत और अन्य कार्यक्रमों की मेजबानी में काफी बदलाव आने लगा है। इस सेवा खंड में भी स्थितियों के विश्लेषण के बाद सुदृढ़ीकरण के उपाय करने होंगे क्योंकि भविष्य अलग प्रकार का होगा।

चौथा, विमानन सेवा व्यवसाय जो पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसे भी यह देखते हुए कि यात्रा कुछ समय के लिए पहले जैसी नहीं होगी, अपने मॉडल पर फिर से विचार करना होगा। इन सेवाओं का इस्तेमाल भी कारोबारी वर्ग बहुतायत में करता है। कोरोना संक्रमण के समाप्त होने या इससे बचाव का टीका उपलब्ध होने के बाद ही लोगों में सुरक्षित विमान यात्रा करने के प्रति विश्वास पैदा होगा। इसके अलावा, जैसा कि कॉर्पोरेट जगत पर राजस्व पक्ष का दबाव रहा है, इस अवसर का उपयोग लागतों में कटौती के लिए करना भी उचित है, इससे भी एयरलाइंस कारोबार और अधिक प्रभावित हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक आदत बन सकती है क्योंकि कंपनियां यह सोच सकती हैं कि जब वेब कॉल के माध्यम से कोई काम संपन्न किया जा सकता है तो यात्रा पर होने वाले खर्चे को कम किया जा सकता है।

पांचवां, जब पिछले लगभग पांच वर्षों में मॉल का प्रसार हुआ तो यह धारणा बनी कि खुदरा बिक्री में उछाल होगा। युवा आबादी को काम करने का अवसर मिलने और उनका खर्च करने का सामर्थ्य बढ़ने के कारण इसे और अधिक बल मिलेगा। यहां तक कि जब महानगरों में संतृप्ति थी, तो प्रवास छोटे शहरों और कस्बों तक था। कोविड-19 प्रभाव, ई-कॉमर्स के बढ़ने के साथ इन योजनाओं के भविष्य पर सवाल उठाएगा, रेस्तरां और मनोरंजन को छोड़कर मॉल आगंतुकों के लिए अपेक्षाकृत कम आकर्षक हो गया। ये मॉल विशेष रूप से स्नातक या स्कूल स्तर के युवाओं के लिए रोजगार के बड़े स्रोत रहे हैं और यहां मंदी के कारण नौकरियों के सृजन पर प्रभाव पड़ेगा।

घर से काम करने की अवधारणा जो अतीत में आईटी क्षेत्र में विलासिता हुआ करती थी, इस चुनौतीपूर्ण समय में व्यापार निरंतरता बनाए रखने के लिए शुरू की गई थी जो अब आदत बन गई है। कंपनियों ने इस नई व्यवस्था के प्रति स्वयं को अनुकूलित किया है जिसके कई उद्योगों के भविष्य के लिए अन्य परिणाम भी हैं। भविष्य में यह नई, लेकिन सामान्य व्यवस्था होगी।

छठे, पर्यटन उद्योग को भी बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि स्थितियां काफी हद तक बदलती रहेंगी। यह कुछ राज्यों जैसे गोवा, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि में भी एक प्रमुख रोजगार स्रोत रहा है। वैश्विक पर्यटक हमेशा भारत जैसे देशों की यात्रा के प्रति सतर्क रहेंगे, जो महामारी के समाप्त होने तक संक्रमण के मामले में पहले नहीं तो दूसरे स्थान पर हो सकता है। घरेलू पर्यटकों को भी महामारी खत्म होने के कम से कम एक वर्ष बाद और सामान्य स्थिति की बहाली तक कई अवरोधों का सामना करना पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या उद्योग बच सकता है? नौकरियों को कैसे बचाया जाएगा और पर्यटन से जुड़े सहायक व्यवसायों का क्या होगा?

सातवां, लॉकडाउन से एक बदलाव यह भी आया है जिसमें शिक्षा संस्थानों को खोले

बिना ऑनलाइन माध्यम पढाई जारी रखी जा सकती है। इससे शिक्षा प्रदान करने की एक नई विधा की गुंजाइश का विस्तार करेगा। शिक्षण का पारंपरिक तरीका कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। यह न केवल स्कूलों की फीस को प्रभावित करेगा बल्कि आंतरिक सुविधाओं के साथ-साथ स्कूली किताबों, स्कूल बसों आदि जैसी व्यवस्थाओं को भी प्रभावित करेगा। ये सभी संरचनाएं समय के साथ बेमानी हो सकती हैं और ऑनलाइन शिक्षा जोर पकड़ सकती है। हालांकि यह बच्चों को शिक्षित करने का आदर्श तरीका नहीं हो सकता है क्योंकि यह माना जाता है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो सामाजिक मेलजोल महत्वपूर्ण होता है।

आठवां, गैर-थिएटर अनुभव के माध्यम से मनोरंजन पहले से ही प्रचलन में आ गया है और उद्योग को उसी के लिए तैयार रहना चाहिए। उपभोक्ता की बदलती रुचि के साथ मनोरंजन हॉल जिसमें थिएटर और मल्टीप्लेक्स शामिल हैं, का आकर्षण बने रहना मुश्किल होगा। इससे भी रोजगार पर असर पड़ेगा।

दूसरी तरफ, दो उद्योग जिन्हें हम छह महीने की अवधि में कंपनियों और व्यक्तियों की बदलती आदतों के कारण बड़े पैमाने पर लाभ की स्थिति में देखते हैं, वे हैं- दूरसंचार सेवाएं और ई-कॉमर्स। वाणिज्यिक अचल संपत्ति, परिवहन, होटल जैसे उद्योगों के लिए काम करने वाली नकारात्मकता, दूरसंचार उद्योग के लिए बडी सकारात्मक होगी क्योंकि डेटा की खपत में वृद्धि होगी, क्योंकि अधिक लोग घर से काम करते हैं। यह इस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जो शुरुआती उभार के बाद परिपूर्णता के स्तर तक पहुंच गया था। दूरसंचार उद्योग के लिए विनियामक वातावरण विवादास्पद रहा है जो नए प्रवेशकों को रोक सकता है।

लॉकडाउन के दौरान लोकप्रिय हुए ई-कॉमर्स के लिए भी यही धारणा है। कई कंपनियों ने ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों के कारोबार में हुई बढ़ोत्तरी आगे भी जारी रहेगी क्योंकि लोगों को इस तरह की खरीदारी सुविधाजनक लग रही है। खरीददारी के लिए लोग स्थानीय स्टोर पर कम जाते हैं और सुरक्षित दूरी के सिद्धांत से सुपरमार्केट स्टोर में भी उनका जाना कम हो जाएगा। इसी तरह खरीददारी के तरीके में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, जिससे इन कंपनियों को फायदा होगा। इससे बाद में विलय और अधिग्रहण को भी बढ़ावा मिल सकता है।

सरकार के लिए इसका क्या मतलब है? स्पष्ट रूप से, कारोबार के तरीके उसी तरह बदल जाएंगे जैसे कि मैक्रो-आर्थिक तरीके बदलेंगे। यह माना जाना चाहिए कि भारत के लिए विकास का भविष्य अब विनिर्माण की तरफ अधिक और सेवाओं पर कम होगा। कई सेवाएं समय के साथ कम महत्वपूर्ण होती जा रही हैं, खासकर जब रोजगार पैदा करने की बात आती है, तो ध्यान वापस विनिर्माण पर केंद्रित होना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि युवाओं के लिए सही तरह के कौशल का निर्माण किया जाए ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें।

उल्लेखनीय है कि भारत ने कृषि प्रधानता से, सेवा-प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया था, हम औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण कदम चूक गए थे। औद्योगिक विकास को हमेशा कम महत्व दिया गया और सेवाओं को प्राथमिकता दी गई क्योंकि इनमें निवेश कम होता है और यह उद्योगों की तुलना में अधिक अनुकूल पूंजी उत्पादक होने के कारण, इन्हें सुचारू और निर्बाध रूप से आगे बढ़ाया जा सकता था। इसके अलावा जहां देश के शीर्ष संस्थानों के अधिकांश इंजीनियर निवेश बैंकों, परामर्श फर्मों और अन्य वित्तीय फर्मों में नौकरी करना पसंद करते थे वहीं प्रमुख विनिर्माण फर्मों के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी कि उन्हें हमेशा योग्य इंजीनियरों की कमी का सामना करना पड़ा।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कौशल प्रदान किया जाए और व्यावसायिक कौशल पर ध्यान देना सही दिशा में एक कदम है। इसे जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

सरकार के लिए एक और चुनौती श्रम से निपटने की होगी क्योंकि लॉकडाउन ने कई उद्योगों को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया था, जिससे श्रम बल का इस्तेमाल कम हो गया। सुरक्षित दूरी की अवधारणा और कृत्रिम बुद्धिमता पर बहुत अधिक तथा श्रम बल पर कम ध्यान केंद्रित करने के कारण भी यह स्थिति बनी है। यह स्थिति सरकार के लिए एक समस्या है क्योंकि निवेशक पहले से ही अधिक लचीले श्रम कानूनों के लिए दबाव बना रहे हैं जो एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन जाता है। विनिर्माण के, प्रौद्योगिकी की दिशा में उत्तरोत्तर बढ़ने से श्रम की मांग कम होगी।

लॉकडाउन के प्रभाव का आमतौर पर कई मैक्रो-इकनोमिक मापदंडों में गिरावट के दृष्टिकोण से अधिक विश्लेषण किया गया है, ऐसी कई स्थितियां हैं जो लोगों के व्यवहार करने के तरीके के आधार पर दर्शायी गई हैं और कई उद्योगों को बाधित कर सकती हैं। हालांकि शुरुआत में इन्हें स्वीकार करने में मुश्किल होगी, कंपनियों को इस तरह के परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए और खेल में बने रहने के लिए अपनी प्रक्रियाओं और व्यवसायों को आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थित करने के लिए काम करना चाहिए। ■

स्वामित्व योजना

स्वामित्व योजना राष्ट्रीय पंचायत दिवस यानी 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पंचायती राज मंत्रालय, योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। राज्यों में, राजस्व विभाग/भूमि रिकॉर्ड विभाग नोडल विभाग होगा और राज्य पंचायती राज विभाग के समर्थन से इस योजना को आगे बढ़ाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसके कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी भागीदार (टेक्नोलॉजी पार्टनर) के रूप में काम करेगा।

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में घर मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान किया जाएगा, जो उन्हें बैंक से ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम करेगा।

स्वामित्व योजना के उद्देश्य

- ग्रामीण भारत में नागरिकों को वित्तीय स्थिरता लाने के लिए उन्हें ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए एक वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए सक्षम करना।
- ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड का निर्माण।
- सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे और जीआईएस नक्शे का निर्माण जो किसी भी विभाग द्वारा उनके उपयोग के लिए किया जा सकता है।
- जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता करना।
- संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करने में सहायता करना।

प्रायोगिक (पायलट) तौर पर 6 राज्यों में शुरू की गई 'स्वामित्व योजना' ड्रोन और नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके गांवों में बसी हुई भूमि या आवासों का नक्शा बनाने में मदद करती है। यह योजना सुव्यवस्थित योजना बनाना एवं राजस्व संग्रह सुनिश्चित करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार पर स्पष्टता प्रदान करेगी। इससे संपत्ति (प्रॉपर्टी) के मालिकों द्वारा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए आवेदन करने के रास्ते खुल जाएंगे। इस योजना के माध्यम से आवंटित मालिकाना प्रमाण पत्र (टाइटिल डीड) के जरिए संपत्ति से संबंधित विवादों को भी सुलझाया जाएगा।

निम्नलिखित 763 गांवों के लगभग 1 लाख सम्पति धारक अब अपना सम्पत्ति कार्ड (भौतिक प्रतियां) ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है -

क्र.सं.	राज्य	गांवों की संख्या
1.	हरियाणा	221
2.	कर्नाटक	2
3.	महाराष्ट्र	100
4.	उतराखंड	50
5.	मध्य प्रदेश	44
6.	उत्तर प्रदेश	346

देश में 4 साल (2020-2024) में चरणबद्ध तरीके से लगभग 6.62 लाख गांवों में स्वामित्व योजना को लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2020 को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। इसके साथ, देश ने एक आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि यह योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एक लाख लाभार्थियों को उनके घरों के कानूनी कागजात सौंप दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि देश के विकास में भूमि और घर का स्वामित्व एक बड़ी भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है तो नागरिक आत्मविश्वास हासिल करते हैं और निवेश के नए रास्ते खुलते हैं। संपत्ति, रोजगार और स्व-रोजगार के रिकॉर्ड पर बैंक से ऋण आसानी से उपलब्ध होता है। उन्होंने कहा कि संपत्ति कार्ड ग्रामीणों के लिए किसी भी विवाद के बिना संपत्ति खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा। सटीक भूमि रिकॉर्ड के बल पर गांव में विकास संबंधी कार्य भी आसान हो जाएंगे, जो इन संपत्ति कार्डों का एक और लाभ होगा। स्वामित्व योजना नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से हमारे ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम प्रबंधन को आसान बनाएगी। ■

योजना - सही विकल्प

'योजना' के अगस्त-2020 अंक से हमने पाठकों के लिए, खास तौर से सिविल सर्विसेज़ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले प्रतिभागियों के लिए बहुविकल्प प्रश्नों का स्तंभ 'योजना-सही विकल्प' शुरू किया है। इसमें 'योजना' के अंकों में प्रकाशित आलेखों/सामग्री से या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ज्ञान के आधार पर प्रश्नों एवं विकल्पों को तैयार किया गया है।

1. भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त किस देश के संविधान से लिए गए थे?
   क) ब्रिटेन
   ख) आयरलैंड
   ग) यूएसए
   घ) कनाडा

2. भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा मूल कर्त्तव्य नहीं है?
   क) लोक चुनावों में मतदान करना
   ख) वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना
   ग) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना
   घ) संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना।

3. यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो –
   क) वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे
   ख) वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे
   ग) वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं
   घ) उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद छह मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा।

4. बिटकॉन (Bitcoin) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   1. यह एक विकेंद्रीकृत परोक्ष मुद्रा है।
   2. इसे जटिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणालियों द्वारा सृजित किया जाता है।
   3. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी 2016 में इसे एक वैध टेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
   क) केवल 1
   ख) केवल 1 और 2
   ग) केवल 2 और 3
   घ) 1, 2 और 3

5. अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) में मुख्य रूप से जोर दिया गया है–
   1. जलापूर्ति
   2. सीवरेज सुविधाएं
   3. सार्वजनिक यातायात सुविधाएं
   4. पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतया बच्चों के लिए
   5. जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ के पानी का निर्गम

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
   क) 1, 2, 3, 4 तथा 5
   ख) केवल 1, 2 और 5
   ग) केवल 1, 2 और 3
   घ) 2, 3 और 4

6. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, (PMGY) को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध करना है?
   क) मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं
   ख) केवल ग्रामीण सड़कें
   ग) केवल पीने का पानी
   घ) कृषि आधारित औद्योगिक विकास

7. वर्ष 1995 में 'मध्याह्न भोजन' योजना चलाई गई थी-
   क) प्रौढ़ शिक्षा बढ़ाने के लिए
   ख) प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु
   ग) माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु
   घ) उपरोक्त में से कोई नहीं।

8. पर्यावरण सम्मेलनों से संबद्ध युग्मों पर विचार कीजिए-
   1. मांट्रियल संधि प्रस्ताव : विकसित देशों को क्लोरोफ्लोरो कार्बन का उत्पादन वर्ष 2000 तक तथा विकासशील देशों का वर्ष 2010 तक बंद करने पर सहमति।
   2. पृथ्वी शिखर सम्मेलन : तापमान नियंत्रण, वन संरक्षण टिकाऊ विकास एवं जैव संरक्षण जैसे जुड़े मुद्दों पर निर्णय।

3. क्योटोप्रोटोकॉल : भारत, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका आदि विकासशील देशों ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में 20 से 25 प्रतिशत तक की कटौती करने का निर्णय लिया।

निम्न कूटों की सहायता से सही युग्मों का चयन कीजिए:

क) 1 और 2
ख) 2 और 3
ग) 1 और 3
घ) 1, 2 और 3

9. सतत विकास से संबंधित 'अंतर-पीढ़ी समानता' से संबद्ध कथनों पर विचार कीजिए–

1. अंतर-पीढ़ी समानता एक मूल्यगत संकल्पना है, जो मानव समुदाय की भूत, वर्तमान और भविष्यकालीन पीढ़ियों के मध्य समझदारी को दर्शाता है।
2. अंतर-पीढ़ी समानता सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पीढ़ी को संसाधनों तक पहुंच का लाभ प्राप्त होना चाहिए।

उपर्युक्त में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

क) केवल 1
ख) केवल 2
ग) 1 और 2
घ) न तो 1 न ही 2

10. पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत/अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन-से ई-अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं?

1. बेरिलियम
2. कैडमियम
3. क्रोमियम
4. हेप्टाक्लोर
5. पारद
6. सीसा
7. प्लूटोनियम

क) केवल 1, 3, 4, 6 और 7
ख) केवल 1, 2, 3, 5 और 6
ग) केवल 2, 4, 5 और 7
घ) 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7

सही उत्तर : 1. ख, 2. क, 3. क, 4. ख, 5. क, 6. क, 7. ख, 8. क, 9. ग, 10. ख